खण्ड-118, अंक-5
शुक्रवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(20 फरवरी, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 118 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

शुक्रवार, २० फ़रवरी, १९५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्य
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन श्री,
काशीप्रसाद पांडेय श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद, पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानुगुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल,श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त श्री

बाबू लाल कुसुमेश श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती , श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह, यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महाजन, श्री सी०बी०
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री

रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
वजवासी लाल, श्री
वजबिहारी मिश्र, श्री
वजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह, कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराज पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा के लोहाघाट हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन का निर्माण

१*—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा के लोहा घाट हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिये जनता द्वारा ७५,००० रु० चन्दा एकत्रित किये चार साल व्यतीत हो चुके हैं ?

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि ७५ हजार रुपया जो सरकार ने लिया वह किस आधार पर लिया था ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—भवन बनाने के लिये लिया था।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या सरकार को विदित है कि लोहाघाट हायर सेकेन्डरी स्कूल, चम्पा तहसील में जिसका विस्तार ७०० वर्गमील है एक मात्र यही स्कूल है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, ऐसा हो सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार को विदित है कि कुछ समय पहले लोहाघाट के एम०एल०सी० महोदय के प्रश्नों के उत्तर में यह आश्वासन दिया गया था कि यह विषय सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—आज भी वही कहा जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या सरकार नहीं सोचती कि ४ साल तक ७५ हजार रुपया रखने के बाद भी ऐसा निराशाजनक उत्तर जनता में असंतोष पैदा करेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह राय का सवाल है।

*२—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार ने वहां की जनता को आश्वासन दिया था कि शीघ्रातिशीघ्र उक्त धनराशि एकत्रित हो जाने पर सरकार स्कूल भवन का निर्माण करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*३—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार निश्चित तिथि बताने की कृपा करेगी कि कब तक यह आश्वासन कार्यरूप में परिणत हो सकेगा ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सी० टी० ट्रेनिंग कालेज, बरेली की अध्यापिकाओं का वेतन

*४—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि राजकीय सी०टी० ट्रेनिंग कालेज, बरेली की क्रमशः शारीरिक शिक्षा, हस्तकला तथा कला में ट्रेंड अध्यापिकाओं को क्या वही वेतन मिल रहा है जो सी० टी० महिला ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ और एच० टी० सी० कालेज, इलाहाबाद में उपरोक्त विषयों की ट्रेन्ड अध्यापिकाओं को दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, राजकीय ट्रेनिंग कालेज बरेली पहले पुरुषों के लिये था और उस समय वहां पर अध्यापकों का वेतन क्रम १२० से ३०० रु० ही स्वीकृत था जो इस समय भी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार पुरुष और स्त्री अध्यापकों के वेतन के लिये समान योग्यता में कुछ भेद समझती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसमें भेद नहीं है। किस विषय के अध्यापक को कितना वेतन मिले यह निश्चित है। इसमें कोई भेद का सवाल नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बरेली महिला ट्रेनिंग कालेज और लखनऊ महिला ट्रेनिंग कालेज में क्रमशः हस्तकला और कला की ट्रेन्ड अध्यापिकायें सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, उनको जो ग्रेड दिया जाता है वह आर्थिक कारणों से दिया जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—लखनऊ महिला ट्रेनिंग कालेज की जो अध्यापिकायें हैं वह बरेली महिला ट्रेनिंग कालेज की अध्यापिकाओं की बराबर योग्यता रखती हैं लेकिन लखनऊ में २०० से ४०० का वेतन दिया जा रहा है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, मैंने उत्तर दे दिया कि इस समय ऐसा ही है और वह आर्थिक कारण से है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार बरेली महिला ट्रेनिंग कालेज की अध्यापिकाओं का वेतन लखनऊ महिला कालेज ट्रेनिंग की अध्यापिकाओं के बराबर करने पर विचार करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने उत्तर दिया कि इसमें आर्थिक कारणों से समानता नहीं रखी गई लेकिन जब भी ऐसी अवस्था उपस्थित होगी तो वैसा जरूर किया जायगा।

राजकीय कन्या इन्टरमीडियट कालेज, शाहजहांपुर में लड़कियों की संख्या

*५—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कन्या इन्टरमीडियेट कालेज, शाहजहांपुर में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं और हर दर्जे में कितने सेक्शन हैं?

डाक्टर सीताराम—६०६ लड़कियां पढ़ती हैं।

कक्षा	वर्ग
१	१
२	१
३	१
४	२
५	२
६	२
७	२
८	२
९	२
१०	२
११	१
१२	१
१२	१९

*६—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की राजकीय कन्या इन्टरमीडियट कालेज के पास कितने क्लास रूम हैं?

डाक्टर सीताराम---६ कमरे ।

श्री भगवान सहाय---क्या मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि कन्या इन्टर कालेज, शाहजहांपुर में स्थान की कमी है जिस के कारण लड़कियों को पढ़ने में असुविधा होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---स्थान की कमी अभी तो नहीं मालूम होती ।

श्री भगवान सहाय---क्या यह बात सही है कि जो क्लास रूम बनाये गये हैं वह चौकीदारों के क्वार्टर्स को परिवर्तित कर के बनाये गये हैं और वहां स्थान की बहुत कमी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस की सूचना चाहिये लेकिन अगर किसी पुरानी बिल्डिंग में परिवर्तन कर के पढ़ने के कमरे बनाये गये हैं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां जगह की कमी है।

श्री भगवान सहाय---क्या गवर्नमेंट इन्टर कालेज के हेड की तरफ से ऐसी कोई शिकायत आई हैं कि लड़कियों को स्थानाभाव के कारण पढ़ने में दिक्कत होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कोई ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है।

राजनीतिक बन्दियों के लिये सुविधायें

*७---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि निकट भविष्य में राजनीतिक आंदोलनों में सजा पाये बन्दियों की सुविधा के लिये वह कोई "राजनीतिक बन्दी श्रेणी" बनाने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी नहीं।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि जो लोग किसी राजनैतिक पार्टी से संबंधित हैं या राजनैतिक आन्दोलन में जेल गये हैं उनको किसी राजनैतिक बन्दी श्रेणी में सरकार रखने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सन् ४६ में समस्त राजनैतिक बन्दियों को बी० क्लास श्रेणी दी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इस समय ठीक नहीं कह सकता ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि जो लोग आजकल जेलों में पोलिटिकल अपराधों में गये हैं उनके साथ अन्य क़ैदियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, उस से क्यों भेद नहीं किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब मैं यह कह चुका कि राजनैतिक क़ैदियों का कोई वर्ग नहीं है तो मैं उसको नहीं मानता कि पोलिटिकल कारणों से जो लोग जेल गये हैं वह और लोग हैं, मैं जानता ही नहीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि राजनैतिक श्रेणी बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है और दूसरी जगह भी हो चुकी है कि किसको राजनैतिक श्रेणी में रखा जाय, इसका निर्णय करना कठिन है। दो एक दफ़ा १२४ वग़ैरा हैं लेकिन किस नीयत से काम लिया जाता है उसका निर्णय करना कठिन है, जुर्म का नेचर देखा जाता है बाक़ी नीयत का निर्णय करना तो भगवान के हाथ की बात है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय गृह मंत्री जी को मालूम है कि राजनैतिक बंदी श्रेणी बनाने की मांग हिन्दुस्तान की जनता की और राजनैतिक बंदियों की भी और राजनैतिक आन्दोलन की भी बहुत अर्से से हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जनता की तरफ से ऐसी किसी मांग का पता नहीं और जो यह कहा गया कि राजनैतिक बंदियों की तरफ से मांग है तो जब राजनैतिक बंदी कोई है ही नहीं तो उनकी तरफ से मांग हो ही नहीं सकती।

*८---श्री झारखंडे राय---अगर नहीं, तो उनके लिये साधारण बन्दियों से अधिक सुविधा देने के लिये वह क्या क़दम उठाना चाहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चूंकि जेलों में कोई "राजनैतिक बन्दी श्रेणी" नहीं है इसलिये उनको दूसरे बंदियों से अधिक सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठाता।

*९---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार धवाय (बस्ती) कान्ड के बन्दियों को राजनैतिक बन्दी मानती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। ऐसा कोई पृथक वर्ग जेलों में नहीं होता है।

*१०---श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---[१३ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य में विदेशी शासकों की मूर्तियां

*११---श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर आज भी विदेशी शासकों की मूर्तियां (Statues) हैं ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*१२---श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार उन्हें हटाने की सोच रही है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

श्री रामनरेश शुक्ल---इनके हटाने के रास्ते में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसलिये कि यह ठीक नहीं प्रतीत होता।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार कुछ और विदेशी शासकों की मूर्तियों की स्थापना करने को सोच रही है।

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)---क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके बतायेंगे कि अगर इनको हटा दिया जाय तो उनके काम के चलने में कोई दिक्कत होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसका कुछ कुप्रभाव पड़ सकता है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार को सूचना मिली है कि इन मूर्तियों के न हटाने से प्रान्त की जनता क्षुब्ध है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, ऐसी तो कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इनके संरक्षण तथा मेंटिनेन्स का खर्चा कौन बर्दाश्त करता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो गवर्नमेंट ही बर्दाश्त करती है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो विदेशियों की मूर्तियां टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत कराने की कृपा वह करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उन सब की हालत बहुत अच्छी है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार को पता है कि आजाद पार्क, इलाहाबाद में जहां चन्द्रशेखर आजाद शहीद हुये थे उनके शहीद होने के बाद जार्ज पंचम की मूर्ति उसी कक्ष में रखी गयी है?

श्री हरगोविन्द सिंह—वहां मूर्ति है, यह तो मालूम है। लेकिन वह आजाद जी के मरने के बाद रखी गयी है, इसकी सूचना तो मुझे नहीं है।

श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार सभी विदेशी मूर्तियों को उठा कर म्यूजियम में रखवा देगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका उत्तर तो दिया जा चुका है।

*१३-१४—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—[१३ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

श्री शिब्बन लाल सक्सेना की गोरखपुर में गिरफ्तारी

*१५—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि क्या श्री शिब्बन लाल सक्सेना, गोरखपुर में गिरफ्तार कर लिये गये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या इल्जाम है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

जिस नोटिस में उनकी नजरबंदी के आधार दिये हुये हैं उसकी प्रतिलिपि मेज़ पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९७ पर)

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस नोटिस को यदि माननीय गृह मंत्री जी को पढ़ने का आदेश दे दिया जाय तो इस सदन का बड़ा लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष—(गृह मंत्री से) यह तो बहुत लम्बी है। इसमें अगर आप अनुचित न समझें तो थोड़े से शब्दों में उसका खुलासा बयान कर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब खुलासा में दिक्कत यह है कि जितने खूबसूरत शब्दों का प्रयोग शिब्बन लाल जी ने अपनी स्पीचेज में किया, वैसे शब्द तो मैं बतला नहीं सकूंगा। बहरहाल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो नोटिस दी थी उसमें यही कहा गया है कि उन्होंने घुघली में कुछ स्पीचेज दी थीं, उनके कुछ जुमले लिखे हैं, और उनसे पब्लिक आर्डर को खलल पहुंचने की संभावना हो सकती है। इस वजह से उन्होंने उनको डिटेन किया है। उनकी स्पीचेज के पांच उद्धरण हैं। आप कहें तो उनको पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—कारण जो है उसके संबंध में उसका बता देना आवश्यक है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन्होंने लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट, १९५०, ऐक्ट नम्बर ४ आफ १९५० के सेक्शन ७ के मुताबिक़ उनको नोटिस दी गयी है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि पिछली २५, २६, २८, और ३१ दिसम्बर को जो शिब्बन लाल जी ने बयान दिया था जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया है, उसकी बुनियाद पर अदालत में मुक़दमा करने में कोई हर्ज है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस वक्त इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि जो लोग डिटेन किये जाते हैं, उनके मामले एक खास ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं। शिब्बन लाल जी

का मामला ऐसी ट्रिब्यूनल के सामने जा चुका है और जहां तक मैं समझता हूं इस महीने की २३ तारीख़ तक वह ट्रिब्यूनल इन सब मामलों पर ग़ौर कर रहा होगा और फ़ैसला देगा। ऐसी हालत में मेरा कुछ राय देना मुनासिब न होगा।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि यह झगड़ा इसलिये शुरू हुआ कि घुघली में किसान केन यूनियन बनाने के पक्ष में नहीं हैं और उन्होंने गन्ना देना बन्द कर दिया था और उन किसानों की मददशिब्बन लाल जी कर रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो कुछ सही या ग़लत होगा, शिब्बनलाल जी अच्छी तरह से ट्रिब्यूनल के सामने रख सकेंगे।

सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध

*१६—श्री बलवन्त सिंह (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के प्रबंध में कोई परिवर्तन करने का विचार किया है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। सन् १९४६ में नियुक्त "बेटर मैनेजमेंट कमेटी" के सुझावों के अनुसार सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अनुसार प्रत्येक विद्यालय की प्रबन्ध समिति पर तीन सरकारी सदस्य मनोनीत किये जा रहे हैं। इस प्रश्न को आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में नियुक्त माध्यमिक शिक्षा समिति को पुनः विचारार्थ भी सौंपा गया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या मैनेजमेंट में अध्यापकों के भी प्रतिनिधि लिये जा रहे हैं ?

डाक्टर संपूर्णानन्द—जी हां।

श्री बलवन्त सिंह—कितने ?

डाक्टर सीताराम—एक।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी पर अब तक कितना खर्च आ चुका है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी सूचना चाहिये।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस उत्तर में जो यह बतलाया गया है कि इस प्रश्न को आचार्य नरेन्द्र जी के पास फिर भेजा गया है, तो वह प्रश्न कौन सा है जो उनके पास भेजा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सवाल यही है कि एडेड इंस्टिट्यूशन्स जो हैं उनके मैनेजमेंट में और क्या परिवर्तन आवश्यक हैं।

श्री श्रीचन्द (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी अध्यापक की नियुक्ति या बरखास्ती सरकार की अनुमति से होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये तो सूचना चाहिये। इन प्रश्नों से तो इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री बलवंत सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो तीन सदस्य मैनेजमेंट में रखे जायंगे उनको कौन मनोनीत करेगा? यानी किस के परामर्श से सरकार मनोनीत करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सरकार द्वारा।

श्री शिवनाथ काटजू (ज़िला इलाहाबाद)—क्या मंत्री महोदय जी को यह विदित है कि सरकार द्वारा जो सदस्य मनोनीत किये जायंगे उससे शिक्षा संस्थाओं में बड़ी गड़बड़ी होने का अन्देशा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इन मैनेजमेंट बोर्डस् में १५ आदमी होंगे। मगर १२ आदमियों से कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो इन तीन आदमियों से भी नहीं होगी जिनमें वहीं का एक अध्यापक होगा।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या यह बात सही है कि हर एडेड इंस्टीट्यूशंस से सरकार ने १० आदमियों का एक पैनेल मांगा है उन्हीं दस में से तीन आदमी छांटे जायंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह गोपनीय है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मैनेजमेंट में सरकार की ओर से भी कोई व्यक्ति रखे जाते हैं या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी नहीं रखे जाते।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस नरेन्द्र-देव कमेटी की और कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो तीन सज्जन गवर्नमेंट मनोनीत करेगी वह कितने समय के लिये होंगे ?

डाक्टर सीताराम—तीन साल के लिये होंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आचार्य-नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट कब तक शाया हो जायगी ?

डाक्टर सीताराम—१५ मई, १९५३ तक।

*१७—श्री बलवन्त सिंह—[१३ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८—श्री नेकराम शर्मा—[६ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

पिठौरागढ़-चम्पावत, जिला अल्मोड़ा में पुस्तकालय की आवश्यकता

१— श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार पिठौरागढ़-चम्पावत निर्वाचन क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा में कोई सरकारी पुस्तकालय खोलने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम—नहीं।

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के विशेष द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर ही विवाद करने का सुझाव

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

इस सप्लीमेंटरी बजट में कुल ३५ मदों के संबंध में मांगें की गयी हैं और ९० कटमोशन हैं। पिछली मर्तबा जब सप्लीमेंटरी बजट पेश हुआ था तो हमारी तरफ से चार दिन मांगे गये थे और हमने प्रोटेस्ट में वाकआउट भी किया था। लेकिन सरकार द्वारा फिर भी एक ही दिन रखा गया है। तो परिस्थिति के अनुकूल तमाम मदों पर बहस न करके सिर्फ १५ मांगों पर बहस की जाय और वह पंद्रह मांगे इस प्रकार होंगी—नम्बर २, ३, ५, १०, ११, १२, १५, १८, १९, २८, ३०, ३५, ४०, ४२, और ४३।

श्री अध्यक्ष—(वित्त मंत्री से) इसमें आपको कोई आपत्ति है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—गवर्नमेंट को उसमें क्या एतराज हो सकता है ? सब ग्रांट्स सामने हैं। जिनको हाउस डिस्कस करना चाहे, करे।

श्री अध्यक्ष—किसी और को कोई आपत्ति है ? (कोई आवाज नहीं आयी) किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो अनुदान संख्या २,३, ५, १०, ११, १२, १५, १८, १९, २८, ३०, ३५, ४०, ४२, और ४३ पर कटौती के प्रस्ताव आयेंगे और बाकी वैसे ही पेश कर दी जायेंगी।

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २–लेखा शीर्षक ७–मालगुजारी

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २, लेखा शीर्षक ७, मालगुजारी के अन्तर्गत २१,२८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के अन्तर्गत जमींदारियों का खात्मा होने के बाद जो अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है उस संबंध में जो ट्रस्ट, वक्फ या एंडाउमेंट्स शिक्षा संस्थायें चैरिटेबिल पर्पजेज के लिये जो ऐसी जमींदारियां हैं उनके संबंध में उन शिक्षा संस्थाओं के लिये यह दिक्कत पैदा हो गयी है कि उनकी व्यवस्था कौन हो, उनका खर्चा कैसे चले। इसीलिये यह बात रखी गयी है कि बजाय कम्पेंसेशन के उनके लिये उनका जो खर्चा हो उस संबंध में दो-तिहाई की रकम उनको दे दी जाय और इसलिये आदेश भी जारी कर दिये गये हैं जिलाधीश आदि को कि ऐसे जो वक्फ, ट्रस्ट या एंडाउमेंट्स हैं उनके संबंध में वह अपना विवरण तैयार करें। तो इसके लिये अनुमान यह लगाया गया है कि करीब २५ लाख रुपया खर्च होगा, लेकिन चूंकि ३,७२,००० रुपये की बचत इसी अनुदान के अन्तर्गत हो रही है इसलिये जो बकिया रकम २१,२८,००० है उसी के लिये यह मांग की गयी है। और चूंकि एक आवश्यक मांग है, एक आवश्यक विषय है कि जो संस्थायें इस प्रकार चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स पर आधारित हैं वक्फ ट्रस्ट वगैरा से, तो उनका काम न रुके। वह एक जनोपयोगी काम है। इसलिये रुपये की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि सदन उस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कटमोशन पेश करता हूं।

"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अनुदान का संबंध है और जिस काम के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी ने इसको खर्च करने की बात कही, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती और जितनी भी इसमें देर हुई वही बुरा हुआ। लेकिन हमको इसमें संदेह है। कि जो कुछ भी सरकार के आदेश जिलाधीशों को दिये गये हैं वह ठीक-ठीक से पालन हो सकेंगे या नहीं। क्योंकि इसका संबंध प्रतिकर से है और प्रतिकर का नक्शे से है नक्शा बनाने का काम पटवारियों के जिम्मे था। पटवारियों ने जो आज तक सारे सूबेमें काम किया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिकर का नक्शा जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सकता है। जब तक कि नकशा जो रूल्स में बताया गया है वह पटवारी न तैयार कर दें तब तक किसी को प्रतिकर नहीं दिया जा सकता और इसलिये नहीं दिया जा सकता कि जब तक कि वह नक्शा न तैयार हो जाय किसी की आमदनी का नक्शा पक्का नहीं कहा जा सकता। अब कुछ जिलों में यह बात हो सकती है कि इस प्रकार के नक्शे तैयार हो गये हों, लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा और मुनासिब होगा कि वह सदन को इस बात की

जानकारी करावें कि नक्शा नं० २६ न तैयार होने के बाद भी वह किस प्रकार से इस अनुदान में रकम स्वीकार कराके उन चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स इंस्टीट्यूशन को दे सकेंगे।

हम लोग जिस वक्त यहां पर इस बात को कहते हैं कि हम पटवारियों की हिमायत करते हैं तो हम उनके पाप की हिमायत नहीं करते। अगर मुझे माफ किया जाय तो मैं कहूंगा कि वर्त्तमान सरकार ने भी यह पाप किया है कि पटवारियों के पाप की हिमायत उसने आज से पहिले बराबर की है। कुछ दिन पहले मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जिस वक्त पटवारियों के संबंध में हम लोगों ने यह कहा था कि पटवारियों को ऐसा काम दिया जाता है जिसकी वजह से उन्हें खुलकर रिश्वत लेने का मौका मिलता है और उन्हें इस तरह का काम करने का अवसर न दिया जाय, उसके जवाब में मुझे जहां तक याद है माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा था कि पटवारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा सकती और वह इसलिये नहीं बढ़ाई जा सकती कि चूंकि वह गांव में काम करता है और अपना काम चला लेता है। "काम चला लेता है" यह एक ऐसा वाक्य है जिसका माने हर आदमी अपने-अपने ढंग से लगा सकता है। जिस तरह से कि अगर कोई कहता है कि शाम हो गई तो उसका मतलब हर एक आदमी अपने-अपने ढंग से लगाता है। जैसे कि अगर कोई संध्या करने वाला है तो वह यह समझ जाता है कि अब संध्या करनी चाहिये और इसी तरह दूसरा कोई व्यक्ति जो कि रात को अपनी ऐक्टिविटी जारी रखता है वह यह समझ जाता है कि शाम हो गई, इसलिये अब चलकर तैयारी करनी चाहिये, कहीं कोई सीटी बजायेगा, कहीं कोई गीदड़ की बोली बोलकर लोगों को इकट्ठा करेगा और फिर अपने काम के लिये चल पड़ेगा। सो इसी तरह जब इस सदन में बैठकर एक तबके को हमने यह आवाज लगायी और उस जगह बैठकर जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की जगह है, यह आवाज लगायी कि वह अपना काम चला लेगा तो वह अपना काम चलाने की कोशिश करता है और फिर वह उस काम चला लेने के नाम पर सब कुछ करता है। आज जब कि गरीब किसानों में एक चेतना आयी है कि वह रिश्वत नहीं देंगे और पटवारी ने भी यह एहसास किया कि वह न रिश्वत लेगा और न रिश्वत देगा। जब पटवारी को रिश्वत मिलने में दिक्कत होगी तो ऊपर के आदमियों को कहां से देगा? सभी माननीय सदस्य जो माल के मुहकमे से जानकारी रखते होंगे वह जानते होंगे कि क्या कानूनगो पटवारियों से रिश्वत नहीं लेते हैं? वह लेते हैं और कानूनगो पटवारी से एक मुकर्रर तादाद में हर महीने में वसूल करते हैं। अगर पटवारी इनकार करे तो गैर आबादी की रिपोर्ट कराके उसको मुअत्तल और बर्खास्त करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, पटवारियों के लिये जितनी मजबूरियां दी गई थीं कि वह अपने हल्के में खेती न कर सके, लेन-देन न कर सके, किसी तरह का कारोबार न कर सके सिवाय इसके कि वह अपनी तनख्वाह पर अपने को डिपेंड करे। इसके अलावा मैंने तो लैंड रिकार्ड्स मैन्युअल में यह भी देखा कि एक कानून यह भी लिखा हुआ है कि अगर पटवारी की माली हालत इतनी खराब हो जाय कि वह अपने फर्ज मनसबी को भी अन्जाम देने में असफल रहें, उसमें कठिनाई मालूम हो तो सरकार उसे बर्खास्त कर दे। तो १२, १३ रुपये और २५ रु० की तनख्वाह पटवारी पाये और इसी से अपने मनसबी फर्ज भी अन्जाम दे, यह कहां तक मुनासिब और मुमकिन है। जब वह काम पूरा नहीं कर पाता है तो उसके बाद वह अपने हाथ-पैर मारता है। माननीय अध्यक्ष महोदय हम तो पटवारियों की इसलिये हिमायत करते हैं कि अब उनसे यह एहसास किया है कि न वह रिश्वत लेगा और न रिश्वत देगा। मुझे तो अफसोस होता है कि जब यह एहसास किसी में आता है तो वर्तमान सरकार नाराज होती है और वह कहती है कि तुम अपना काम इसी तरह चलाते रहो। वह यह नहीं सोचती है कि काम चलाने के लिये वह कौन सा तरीका अख्तियार करते हैं। वह चोरी करते हैं या रिश्वत लेते हैं या और काम करते हैं। तो वे सब काम करके जब तक वह अपना काम चलाता रहे तब तक तो सरकार उससे नाराज नहीं होती है, लेकिन जिस वक्त वह यह एहसास करता है कि हम यह काम नहीं करेंगे और ईमानदारी से अपना काम करके गुजर करेंगे तो सरकार नाराज होती है और कहती है हम तुमको बरखास्त करके छोड़ेंगे, तुमने इस्तीफा

[श्री गेंदा सिंह]

दिया तो हम नाराज हो जायेंगे और तुमसे बात नहीं करेंगे । यह नामुनासिब बात है और अगर पटवारियों के काम को सरकार खत्म करने का इरादा रखती है तो पहले कम से कम यह तो काम करे कि इन कानून की पोथियों को थोड़ा आसान बनाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९३९ में भी इस सदन ने काश्तकारी का एक कानून पास किया। उस कानून के बाद जब नियम बने तो मेरी याददाश्त जहां तक काम करती है कि ५० नियमों से अधिक नहीं थे लेकिन इस वक्त यह पोथी है नियमों की । इन नियमों की पोथी को पढ़ने के लिये मैं समझता हूं कि ४३० माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठे हुये हैं, मैं किसी के अपमान की दृष्टि से कुछ नहीं कहता हूं जानकारी की दृष्टि से यह कहता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे, इन ४३० आदमियों में जो इन नियमों की जानकारी रखते होंगे। पटवारियों के कागज की बात मैं कहता हूं कि कितने कागज लिखे जाते हैं अगर माननीय अध्यक्ष महोदय किसी वक्त माननीय सदस्यों का इम्तहान लें तो पता चल जायगा कि हम पटवारियों के कागज को कितना जानते हैं। एक तरफ तो पटवारियों के कागज को इतना पेंचीदा बनाया गया और दूसरी ओर यह धमकी दी जाती है कि हम उन्हें निकाल देंगे। यह सिवाय आंखों में धूल झोंकने के और क्या है ? पहले आप जमीन के कानून को ऐसा बनाइये कि साधारण से साधारण आदमी भी उसको समझ सके और कब्जे के झगड़े इतने न हों, तो उस समय पटवारियों को निकाल देना आसान होगा। पटवारी आदमी है और इसी देश का है। इस देश का दुश्मन नहीं है। हिन्दुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को कुचला, जिन्होंने हिन्दुस्तान की सारी स्पिरिट को कुचला, आजादी के आन्दोलन को कुचला, हमने किसी से यह तो नहीं कह दिया कि हम तुम्हें राष्ट्र से हटा देंगे ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस अनुदान से पटवारियों से क्या संबंध है ?

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि अगर पटवारी नहीं होंगे तो मालगुजारी की वसूलयाबी में कठिनाई पड़ेगी और मालगुजारी अगर वसूल नहीं होगी तो यह रुपया किसी संस्था को दिया नहीं जा सकेगा । इसलिये यह जरूरी है कि जो कठिनाइयां वसूली में आनेवाली हैं उन कठिनाइयों को मैं सदन के सामने रखूं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप जारी रक्खें। मैं समझता हूं कि यह सुसंगत है।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही इस पर अपनी बात खत्म करने जा रहा था और शायद मैं खत्म कर चुका होता। तो मैं केवल सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार गुस्से में आकर ऐसी बात न कहे और न करे जो कल चलकर सरकार की प्रतिष्ठा के अनुकूल न हो। सरकार की प्रतिष्ठा के अनुकूल यह सब बातें नहीं हुईं जब एक मर्तबा माननीय माल मंत्री जी ने कहा और अखबारों में एक वक्तव्य दिया कि पटवारियों के इस्तीफे से मैं इतना नाराज हूं कि अगर वे माफी भी मांगें तो माफी नहीं दी जायगी लेकिन उसके बाद उन्होंने यह कहा कि अगर वह इस्तीफा वापिस ले लेंगे तो उनको वापस लेने का मौका दे दिया जायगा। तो किस ने माननीय राजस्व मंत्री जी से कहा था कि आप इस तरह की सुविधा दीजिये ? क्या पटवारियों ने कभी आपसे कहा था ? और कह भी कैसे सकते हैं जब आप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन इस प्रतिष्ठा को ठेस लगी। साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूं कि अगर नक्शा नम्बर २५, २६ और २७ ठीक नहीं होता तो सरकार का काम अधूरा ही रह जायगा। सिर्फ दो तीन महीने काटने के बाद हमें एक खतरा दिखलाई पड़ता है कि इस प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी और पटवारियों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और उसका नतीजा यह होगा कि सारे देश में जो किसानों का मारल है वह गिरेगा, डिमार-लाईजेशन फैलेगा और उसका नतीजा यह भी हो सकता है कि पटवारी लोगों में रिश्वतखोरी आज से अधिक बढ़ जाय और उसका नतीजा यह भी हो सकता है कि पटवारी अपनी ड्यूटी

को ठीक से अन्जाम न दे सके। इसलिये मैं यह कहता हूं कि पटवारियों के ऊपर भी कोई जुल्म ज्यादती न हो इसके लिये जरूरी है कि उनकी हैसियत का आप सही अन्दाज करें, उनके काम का ठीक ठीक से अन्दाज करें कि वह काम वाकई गांव का सभापति या दूसरा आदमी कर सकता है या नहीं। मैं यह सुनना चाहता हूं कि क्या सरकार यह घोषित करने को तैयार है कि वह पटवारी प्रथा को समाप्त कर देगी? न तो सरकार यह कह सकती है कि वह पटवारी प्रथा को समाप्त करेगी और न पटवारियों से सम्मानपूर्ण समझौता करने की बात करती है। तो इन दोनों चीजों में एक ही हो सकती है। मैं इस बात का कायल हूं कि पटवारी भी इस देश का रहने वाला है और यह भी मानता हूं कि उसने समाज में बड़े पाप किये। लेकिन आप देखिये तो मैंने भी पाप किये हैं और माननीय सदस्यों में से बहुत से ऐसे होंगे जो अगर अपनी जिन्दगी भर के पापों को याद करेंगे तो शरमायेंगे। अगर आप हर एक आदमी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो उन पर भी विश्वास कीजिये और उनके काम को ऐसा बना दीजिये कि वे ठीक से सरकारी काम को अन्जाम दे सकें, यह मैं सरकार से कहना चाहता हूं।

दूसरी बात इस अनुदानके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और संस्थाओं को सहायता करने का इंतजाम हुआ है वह तो अच्छा ही है, हम लोगों ने कई महीने से इस बात की कोशिश की कि एक संस्था ऐसी है जिसके नाम से शायद ही कोई ऐसे माननीय सदस्य हों जिनको कोई आपत्ति हो, वह है काशी विद्यापीठ। इसकी जो आज हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से तथा आप से किसी से भी उसकी हालत छिपी हुई नहीं है। लेकिन इसके लिये आज एक कानून बनाने की जरूरत है जिसके जरिये काशी विद्यापीठ को एन्यूइटी मिल सके। सारा हाउस चाहता है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बात के लिये पूरी तरह से तैयार हैं कि काशी विद्यापीठ को यह सुविधा प्रदान की जाय लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने यह बात कही थी कि कानून समाज की अवस्था से पीछे रहा करता है। मैं मानता हूं कि जब हमें आवश्यकता होती है तो कानून बदला जाता है और आने वाले समाज के लिये कानून बनाना पड़ता है। अगर यह बात सही है और कानून में दिक्कत है और उसकी वजह से हम काशी विद्यापीठ को एन्यूइटी नहीं दे पाते हैं, अगर हम उसको एन्यूइटी देना चाहते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि उसको सहायता दी जाय तो कानून बनाने में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये और जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाना चाहिये।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। एक छोटी सी संस्था है मेरे देवरिया जिले में, उसके संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं। फतेह मेमोरियल कालेज को तमकुही के राजा साहब ने बनवा दिया और उसके लिये एक ट्रस्ट बना दिया और उसको कुछ मालिकाना रकम दे दी। राजा साहब मर गये और उनके मरने के बाद झगड़ा वरासत के लिये चला। इसमें लिखा हुआ है कि जिस वक्त झगड़ा चले उस वक्त प्रान्तीय गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह कमेटी बनाये, जांच करे और जैसा उचित समझे वैसा करे। उसको पूरा पूरा अधिकार है कि उसका फैसला कर दे। लेकिन तीन वर्ष से वह संस्था सफर कर रही है और सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया है बावजूद इसके कि कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास गई लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

एक बात मैं मालगुजारी के सिलसिले में और कहना चाहता हूं कि किसान मालगुजारी देने वाले हैं। अगर उनके घर से मालगुजारी नहीं आयेगी तो यह संस्था ही नहीं बल्कि और भी काम सफर करेंगे। मुझे मालूम हुआ है कि कई जिलों में बहुत कम वसूली हो पाई है। इसकी वजह को समझने की सरकार कोशिश नहीं करती है। मेरा जिला देवरिया है वहां पर कुल २८ प्रतिशत वसूली हुई है। मेरी लोगों से इस संबंध में बातचीत हुई और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि क्यों इतनी कम मालगुजारी वसूल हुई है।

[श्री गेंदा सिंह]

हमारे सूबे का सब से बड़ा व्यापार गन्ने का व्यापार है। इधर कुछ दिनों से सरकारी नीति ऐसी रही है कि इस व्यापार को बड़ा भारी धक्का लगा है। इससे मैं तो प्रांत की इकोनामी को खतरा समझता हूं और मालगुजारी की वसूली में कठिनाई पड़ती है। अब किसान ऐसा है जो गन्ना मिलों को सप्लाई करता है और मिलें उसको गन्ने की कीमत नहीं देती हैं तो सरकार को उसको महसूस करना चाहिये क्योंकि उसके पास एक ही कैशक्राप है गन्ना, गन्ने की कीमत न मिलने से वह लगान देने में असमर्थ हो गया है। इसलिये सरकार को उसकी कीमत दिलाने में मदद देनी चाहिये। अगर वह मदद नहीं देती है तो जो सरकार जिम्मेदार है कि रिजर्व्ड एरिया में किसान को गन्ना मिल को ही बेचना पड़ेगा, एक निश्चित कीमत पर बेचना पड़ेगा जिसको सरकार तय करती है, अगर दूसरी जगह बेचने ले जाता है या कोई दूसरा खरीद लेता है तो वह सजा पायेगा। ऐसी हालत में सरकार को चाहिये कि उसको उसके गन्ने की कीमत दिलाये। पिछले वर्ष में १३ करोड़ रुपया जिसमें से ४ करोड़ के करीब कोल सेस का और ७ करोड़ रुपया केन प्राइज़ का मिलों के जिम्मे बाकी था जिस समय मिलें बन्द हो गई थीं। इस समय भी २ करोड़ ६० लाख रुपये किसानों के गन्ने की मिलों पर बाकी हैं। खास तौर से मैं पड़रौना क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं जहां पर कि जगन्नाथमल्ल की गिरफ्तार हुये। ५ लाख रुपये पिछले वर्ष के और १५ लाख रुपये इस वर्ष के पड़रौना मिल पर बाकी हैं। जब से मिल चली उसने एक पैसा भी काश्तकारों को नहीं दिया और मजदूरों की भी तीन महीने की तनख्वाह बाकी रक्खी। मेरा ख्याल यह है कि अगर सरकार लगान उस वक्त ले ले जिस वक्त कि गन्ने की कीमत काश्तकारों को मिलों से मिल जाय तो मुनासिब होगा। लेकिन सरकार अगर इस पर विचार करने को तैयार नहीं है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वह कौन सा रास्ता बतलाते हैं जिससे कि काश्तकार मालगुजारी अदा कर सकें। मालगुजारी को अदा करने की सहूलियत पैदा करने की जिम्मेदारी भी सरकार पर है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं यह बतला देना चाहता हूं जहां तक मुझे मालूम है यह आदेश जारी हो चुका है कि जिन काश्तकारों को गन्ने का रुपया लेना है उनकी मालगुजारी गन्ने की मिलों से वसूल की जायगी।

श्री गेंदा सिंह—मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की लेकिन मेरी जानकारी यही है कि जिन क्षेत्रों में ओले पड़े हैं उन्हीं क्षेत्रों के लिये यह आदेश है। माननीय मुख्य मंत्री के कहने के बाद अब मैं यह मानता हूं कि ऐसा आदेश भी जारी हो जायगा। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कठिनाई है और वहां पर कलेक्शन अमीन पहुंचा हुआ है। ओले पड़े और ओले पड़ने के बाद सरकारी रिपोर्ट में निकलता है कि केवल देवरिया जिले में १ हजार गांव में ओले पड़े, गोरखपुर और बस्ती जिले में ओले पड़े, दूसरे दिन का दृश्य किसी माननीय सदस्य ने देखा होता जो उसका दिल पिघल गया होता। वहां जिलाधीश गये। उन्होंने देखा होगा कि गांव के गांव बरबाद हो गये, मकान उड़ गये, पेड़ गिर गये। इस वक्त ठीक तादाद तो नहीं बतला सकता लेकिन वह देखने की चीज है। जब हम एक गांव में जाते थे उनकी हमदर्दी के लिये तो उसी गांव में अमीन अपनी डंडा-लाठी लिये कलेक्शन के लिये घूमता था। वह कहता है कि हमारा लगान दे दो। वह आकर हमसे कहते हैं कि हमारी हालत खराब हो गई है। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी यह कहने की कि लगान दे दो या न दो। यह कह देते थे कि दे सकते हो तो दे दो। इसके अलावा हमारी कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जो आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया है उसे अभी थोड़े दिन ही भेजे हुये हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं हुक्म मंगवाये लेता हूं। मुमकिन है आपकी याददाश्त ठीक हो। मैंने अपनी याददाश्त से कहा। मुमकिन है उसी एरिया के लिये हो जहां पर

ओले गिरे हों और ज्यादा के बारे में न हो। मगर मुझे ठीक याद नहीं। हुक्म मंगवाये लेता हूं और आपको बतलाये देता हूं।

श्री गेंदा सिंह—मैं इसलिये नहीं कहता कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा उससे पीछे उनका वह हुक्म है सिर्फ ओले वाले क्षेत्र के लिये तो वह अब भी ओले वाले क्षेत्रों के लिये ही रहे। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं अगर नहीं है तो वहां के लिये भी होना चाहिये। जहां गन्ना का काम बाकी है या गन्ना खड़ा है। इसमें सरकार को क्या कठिनाई है। न कोई सरकार को नुक्सान है। एक हमदर्दी हो जाती है और काश्तकार को थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। ऐसी हालत में जब कि काश्तकार की हालत खराब हो उस वक्त ठीक ठीक इंतजाम होना चाहिये। पिछली खरीफ की फसल में माननीय राजस्व मंत्री को मैंने कई पत्र लिखे। इसलिये लिखे कि खेतों में खड़ी फसल की जांच होनी चाहिये ताकि ठीक अन्दाजा लगाया जा सके लेकिन उनके कोई उत्तर नहीं दिये गये और न राजस्व मंत्री जी ने उस तरफ कोई ध्यान दिया। मैं आपकी जानकारी के लिये यह और बता देना चाहता हूं कि जहां पटवारियों ने गलत इन्दराज कर दिया, गलत नक्शा बनाकर दे दिया और फसल को ठीक बता दिया, वहां का तो नक्शा मान लिया गया लेकिन अगर कहीं उन्होंने ठीक नक्शा बनाकर भेजा तो उनके ऊपर दबाव पड़ा। मैं नहीं कहता हूं कि यह दबाव मिनिस्टर साहब ने डाला, लेकिन यह सही है कि यह दबाव ऊपर से पड़ा और गलत नक्शा बनाया गया। मैं जरूर इस सिलसिले में यह कह देना चाहूंगा कि कम से कम इस जमाने में जब कि जमींदारी खत्म हो गयी है इस बात की कोशिश होनी चाहिये और फसल का सही सही इन्दराज होना चाहिये। अगर सही अन्दाज नहीं लगेगा तो जितनी भी प्लानिंग होगी, जितनी भी योजना उस से बनाई जायेगी उस सब की बुनियाद ही गलत हो जायगी, अतः हमें इस खतरे से बचना है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)—स्पीकर साहब, मुझे दो ही बातें अर्ज करना है। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन्स हैं जो औकाफ से चलते थे लेकिन जमींदारी अबालीशन हो जाने के बाद, इन मदरसों और तालीमी इदारों नीज और मजहबी इंस्टीट्यूशन्स की हालत बहुत खराब हो गई, इनमें से तालीमी इदारों के लिये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन आया और गवर्नमेंट उनके मसले पर गौर करेगी। लेकिन मैं गवर्नमेंट की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि एजूकेशनल इस्टीट्यूशन्स के अलावा और मजहबी इदारे हैं जिनको इखराजात वक्फ के जरिये से मिला करते थे, वह भी नहीं चल रहे हैं। इसलिये जो खतरा ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के सामने है वह उनके सामने भी है, इसलिये अगर उनको भी जल्द रुपया दे दिया जाय तो मुनासिब होगा।

जहां तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चलने का मसला है, उसके चलने में भी मुश्किलात हो रही थी, वह इन्तजाम नहीं कर पा रहा था, उसके बारे में हमने बार बार गवर्नमेंट से अर्ज किया। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि वह चीज उसके सामने आ गयी। हम समझते हैं कि वह कठिनाई और दुश्वारी जो अभी हमारे दोस्त गेंदासिंह ने फरमाई है, हो सकती है कि पटवारियों के सिलसिले में यह दिक्कत पैदा हो जाय, गोकि मालूम यह पड़ता है कि यह रास्ते से हट गये लेकिन हमें ऐसा सामान करना चाहिये कि जो खतरा कागजात के तैयार कराने में महसूस किया जाता है वह पैदा न हो। मैं गवर्नमेंट से मोअद्दिबाना अर्ज करूंगा कि नक्शे कम से कम वक्फे में तैयार कराने की कोशिश की जाय। इसलिये जो भी इन्तजाम किया जाय वह बरमहल वर मौका हो और ऐसा न हो कि वह खतरा हमारे सामने आ जाय जो कि गेंदा सिंह जी ने बयान किया है। मैं इन अल्फाज के साथ अपने आनरेबिल चीफ मिनिस्टर और तमाम जो बुजरा यहां बैठे हुये हैं उनसे अर्ज करूंगा कि कागजात को तैयार करा के रुपये की अदायगी का जल्द से जल्द इंतजाम फरमाया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मसले पर कोई बहुत ज्यादा कहना नहीं है। जहां तक इस अनुदान की बात है जो कि सदन के सामने रखा गया है, इसमें तो सभी सहमत हैं कि जो मांग की गयी है वह ठीक है और वह मंजूर

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

होनी चाहिये। लिहाजा इस अनुदान के सम्बन्ध में तो बहस मुबाहिसे की बात पैदा नहीं होती। जो यह कहा गया कि इन संस्थाओं को कठिनाई आयी उसके लिये अगर यह याद रखा जाय कि पहली जुलाई को जमींदारी प्रथा खतम हुई और जो पहले खरीफ का लगान था वह तो जमींदारों ने और उन संस्थाओं ने ही वसूल किया था। अगर जमींदारी प्रथा कायम भी रहती तब भी जो उन्होंने खरीफ का लगान पहले वसूल किया था उसी से अब तक उनको अपना काम चलाना होता और वही उनका जरिया गुजर होता। अब जब कि नया लगान वसूल हो रहा है तब फिर आयन्दा के लिये उससे उन्हें मदद मिल सकती थी। मगर इससे पहले अगर जमींदारी प्रथा खतम न भी होती तब भी उनको जो लगान अब वसूल हो रहा है उससे मदद नहीं मिल सकती थी। इसलिये गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द जितना हो सकता था इस बात की तजवीज की कि इन संस्थाओं को मदद दी जाय ताकि कोई दिक्कत इनको न हो। अगर कोई दिक्कत और हुई है तो उसकी जिम्मेदारी जमींदारी विलीनीकरण पर नहीं है। उसका कारण और कोई हो सकता है और गवर्नमेंट इन शिक्षा संस्थाओं को और तरह से भी सहायता देती है और सहायता देना उसका कर्तव्य है। इस प्रकार से जो कुछ सहूलियत हो सके इन संस्थाओं के लिये उसे हम पहुंचाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में कुछ काशी विद्यापीठ का भी जिक्र किया गया। गवर्नमेंट बहुत दिनों से चाहती है कि वह काशी विद्यापीठ को कुछ न कुछ मदद दे। मगर काशी विद्यापीठ के संस्थापक जो बाबू शिवप्रसाद गुप्त जी थे उन्होंने जो ट्रस्ट मुकर्रर किया उसमें एक शर्त्त लगा दी कि काशी विद्यापीठ गवर्नमेंट से कभी मदद न लेवे। इस कारण उसकी इस प्रकार की व्यवस्था की वजह से गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और वह सहायता नहीं दे सकी। तमाम सदस्यों को मालूम होगा कि इस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कई का काफी घनिष्ट सम्बन्ध काशी विद्यापीठ से है। और काशी विद्यापीठ ने जो हमारे देश का हित किया है, जो स्वतंत्रता संग्राम में उसने अपने देश के हित के लिये सारे विद्यार्थियों और अध्यापकों को झोंक दिया और काशी विद्यापीठ से जो शास्त्री निकलते हैं वे जिस तरीके पर रचनात्मक कार्य करके मंत्री पदों को सुशोभित करते हैं, हमारे यहां और केन्द्र में भी काम कर रहे हैं उससे सब समझ सकते हैं कि काशी विद्यापीठ के लिये कितना सम्मान हमको और हर एक नागरिक को होना चाहिये। इसलिये जब इस तरह से नहीं हुआ तो हमने कुछ पुस्तकालय के नाम पर और कुछ दूसरे ढंग से विद्यापीठ को कर्ज देकर उसको सहायता करने की कोशिश की है। जहां तक अब बात है हम काशी विद्यापीठ के लिये कुछ कोशिश करते रहे। अब बड़ी मुश्किल से ऐसा हुआ है कि वहां की जो सम्पत्ति है, जिसके बारे में मुकदमेबाजी बहुत हुई थी वह अब विद्यापीठ के राजीनामे के मुताबिक मिलेगी। हम चाहते हैं कि विद्यापीठ को ऐन्यूटी मिले और मिलेगी। अगर उसके लिये कानून की जरूरत होगी तो कानून बनाया जायगा या जो कानून बना है उसके अन्दर ही यह काम हो सकता है तो उसके मुताबिक किया जायगा। मगर कानूनी अड़चन रास्ते में नहीं लाने दिया जायगा। इस तरह से काशी विद्यापीठ को जो मिलना चाहिये वह अवश्य मिलेगा, इसके बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिये।

कुछ बातें यहां पटवारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कही गयी हैं। मैं समझता हूँ जहां तक मेरा और मेरे साथियों का सम्बन्ध है हमने पहले पटवारियों के बारे में कोई बात खास खिलाफ नहीं कही। वह काम करते थे और उनका काम ऐसा था कि जिसके जरिये हमारे तमाम माल के कागजात और बहुत सी और बातों की जरूरी जितनी इत्तिला थी वह मिलती थी। उनका काम इन्तजाम करने के लिये बहुत मददगार था। हमको इनके इस तरह के काम से कभी गुस्सा नहीं है। बल्कि मैं यह कहूं कि विरोधीदल की तरफ जो बैठे हुए हैं उन्होंने हमेशा पटवारियों को बुरा जीव

समझा और उनको मनुष्य के नाम से पुकारना भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे इस बात की खुशी है कि गेंदा सिंह जी ने इस सम्भावना को माना है कि सभी हृदय परिवर्तन हो सकता है और जब पटवारियों के लिये जो उनकी धारणा पुरानी थी वह आज उनके हड़ताल करने के बाद मिट गई। तो जो भी बुरा काम करता हो उसका इलाज कम से कम आज उनको मालूम हो गया। वह यह कि अगर हड़ताल की जाय तो हृदय परिवर्तन का सबूत ऐसा मिलता हो जिसके बारे में गेंदा सिंह जी और उनके साथियों में कोई शंका रहती नहीं है। अब हमें इस विषय में कोई ज्यादा नहीं कहना है। पटवारियों से हमें कोई द्वेष नहीं है। मैं यह समझता हूं कि हर मनुष्य में कमियां होती हैं और हर मनुष्य अच्छा बन सकता है क्योंकि मैं यह भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि पटवारियों ने कोई अच्छा काम नहीं किया। परन्तु सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि हम कुछ भी कहें जनता के ऊपर पटवारियों का क्या प्रभाव है। वह लोग समझते हैं कि पटवारी कैसे रहे हैं क्योंकि उनके साथ जनता का घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। वह उनको कैसा समझते हैं और उनके हृदय में पटवारियों के लिये कितनी श्रद्धा है और कितना सम्मान है। जब जिनके बीच वह काम करते रहे उनकी धारणा भिन्न रही हो तो हृदय परिवर्तन का सबूत उनको मिल जायगा। बड़ी खुशी की बात है और मैं आशा करता हूं कि जो भी पटवारी थे चाहे वह मुलाजिम रहे या न रहे वह सचाई से नागरिकता का अपना कर्त्तव्य पूरा करने का पूरी तरह से यत्न करेंगे।

जहां तक हड़ताल की बात है वह किसी क्रोध की बात नहीं है। सीधा सा सवाल यह है कि चाहे सरकार के संचालन का भार हमारे हाथ में हो या किसी और के हाथ में हो जब हमने लोकतान्त्रिक संस्था को माना है, डेमोक्रेटिक तरीके पर हम अपना काम करते हैं। डेमोक्रेटिक तरीके पर काम करने में सम्भव हो सकता है कि कमी हो और सम्भव हो सकता है कि नियम बनें और कानून पास हों और फिर भी चाहे किसी को अच्छा न लगे तो उसका भी कुछ कर्त्तव्य होता है। जब लेबर गवर्नमेंट पावर में थी तो लेबर गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज किया जाय और उस ट्रान्सपोर्ट को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती थी। कंजरवेटिव लोगों ने उसका मुकाबला किया लेकिन वह हार गये और वह नेशनलाइज हो गया। उन्होंने उस कानून को नापसन्द किया लेकिन उस पर वह चले और देश में सभी ने उसको माना। आज जब कंजरवेटिव गवर्नमेंट पावर में आयी तो उसने उसको खत्म कर दिया और फिर उन्हीं लोगों के हाथ में दे दिया। लेबर पार्टी ने कोई सत्याग्रह नहीं किया। जो कानून उन्होंने बनाया था उसको उन्होंने आकर खत्म कर दिया। पहले जो उसके विरोधी थे कानून बनने पर उसको माना और अब खत्म करने पर लेबर पार्टी ने कुछ नहीं किया। इस तरह की बात हो सकती है कि कोई गलती हो और न इस बात का कोई दावा करता है कि कोई कमी नहीं है। वह होती है लेकिन अगर हमको डेमोक्रेटिक तरीके पर चलना है तो उनको मानना चाहिये। इसी तरीके पर लेबर गवर्नमेंट ने स्टील को नेशनलाइज किया था। इसका कानून बना और स्टील इंडस्ट्री को नेशनेलाइज किया गया। उस वक्त वहां की कन्जरवेटिव पार्टी ने उसकी मुखालफत की लेकिन वहां जब वह कानून बन गया तो उसके मुताबिक अमल हुआ और कन्जरवेटिव्ज ने भी उसको चलाने में कोआपरेट किया। आज फिर जब यह गवर्नमेंट वहां आई तो उसने उस कानून को रद्द कर दिया और अब फिर लेबर गवर्नमेंट उसको मानती है। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती हैं और जो पोलिटिकल अपोनेंट्स भी होते हैं वह भी कानून बनने के बाद उस पर अमल करते हैं और कोआपरेट करते हैं। वह एजेंसी जिसके जरिये से शासन चक्र चलता है, जिसके सामने हर तरह की परेशानियां होती हैं दिक्कतें होती हैं उसको उनका इलाज करना भी जरूरी हो

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

जाता है और उसके लिये उपाय करना भी हर हालत में सोचने की बात हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो एक जिम्मेदारी का काम करते हैं, जिनकी संख्या २८ हजार है और जो तमाम सूबे के गांवों में फैले हुये हैं, जिनसे राजस्व मंत्री जी ने स्वयं भी कहा था कि हम तुम्हारी बातों पर विचार कर रहे हैं —

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी को अगर तकलीफ है तो वह बैठ कर बोल सकते हैं, आप बैठ कर बोलें तो ठीक होगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—तो राजस्व मंत्री जी ने उनको विशेष कर स्वयं यह आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या पर विचार कर रहे हैं और उसके बाद भी वह इस तरह से स्ट्राइक करें और सब के सब २८,००० आदमी कहें कि हम काम नहीं करेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जायंगी, तो मैं कहूंगा कि क्या यह सदन उनके लिये डेढ़ करोड़ रुपये का नया खर्च करने के लिये तैयार है जब कि हमारे सामने तमाम डेवलपमेंट वग़ैरा के प्रोग्राम हैं और तरह तरह के मसले ह? इस तरह से तो काम नहीं चल सकता कि एक तरफ तो सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ा कर खर्च बढ़ाने की बात कही जाय और साथ ही दूसरी तरफ जब टेक्सेज बढ़ाने की बात कही जाती है तो भी सत्याग्रह की बात लाई जाती है। यह बातें ऐसी नहीं हैं कि जिनका सम्बन्ध एक बात से ही हो। यह उसूली बातें हैं और हमें देखना है कि हमारे यहां किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कामयाबी के साथ चल सकती है और किस तरह से कांस्टीटयूशनल तरीक़े काम में लाये जा सकते हैं। अगर इस तरह से कहीं भी डायरेक्ट तरीके काम में लाये जायं तो फिर कहां इसका अन्त होगा। यह ठीक है सरकार को इससे दिक्कत हो सकती है और जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि खास कर ऐसे मौके पर जब कि जमींदारी खत्म हो रही है और जब कि मुआवजे के स्टेटमेंट्स बन रहे हैं क्या कोई भी जिम्मेदार नागरिक इस तरह के क़दम को उठा सकता ह कि म काम नहीं करूंगा ? इस तरह के डायरेक्ट ऐक्शन को अगर क़बूल किया जाय तो फिर कहां वह हालत रुक सकती है, कल को फिर वह दुगुना चाहेंगे तो वही सवाल पैदा होगा। तो सब के लिये यह सोचने की बात है कि किस तरह से इस तरीके की चीजें चलने दी जा सकती हैं और यह कोई खास बात पटवारियों की ही नहीं है बल्कि कांस्टीटयूशनल तरीके पर हर एक को अख्तियार है कि वह अपनी बातों को कहें और जो विधान सभा के सदस्य हैं वह भी जनरल बातों को ला सकते हैं, वह प्रस्ताव भी ला सकते हैं और उन बातों पर गवर्नमेंट गौर कर सकती है, यह ठीक है लेकिन इस तरह से काम नहीं चल सकता कि एक तरफ तो हम कहें कि किसान को उसकी पैदावार की कीमत चौगुनी मिले और दूसरी तरफ शहरों के नागरिकों से कहें कि जो माल तुम खरीदते हो उसकी कीमत चौथाई दो। यह चीज चल नहीं सकती। हमें पटवारियों से न कोई रोष है न कोई द्वेष मगर यह बात पक्की है कि सरकार डर कर किसी अहलकार या किसी वर्ग के साथ हमदर्दी नहीं कर सकती जो इस तरह से अनकांस्टीटयूशनल तरीक़े अख्तियार करें। बाकी जो अहलकार आज हमारे हैं उन सबके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी करने में और अपने कर्तव्य को करने में यह सरकार च्युत नहीं होगी और सोच समझ कर हर एक के साथ वह न्याय करने का प्रयत्न करेगी जिससे जनता का और प्रदेश का लाभ हो। देश और समाज के प्रति पूरी भक्ति और श्रद्धा का होना कर्मचारियों में बहुत ही आवश्यक है लेकिन जो यह इरादा रखते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम हड़ताल कर देंगे तो यह सरकार उनके सामने नहीं दबेगी। यह गवर्नमेंट यह जानती है कि उसका यह फर्ज है कि वह अपने अहलकारों को और मातहतों को खुश रखे, उनकी दिक्कतों को समझे, और हर एम्पलाई को समझना चाहिये चाहे वह कोई इंडस्ट्री ही चलाता हो, सब कर्मचारी और हम

सब भाई हैं और इसी देश के रहने वाले हैं परन्तु इस बात की आवश्यकता है कि उनमें कर्तव्यपरायणता आये और जिसको जो काम करना है वह पूरा करे।

इसलिये पटवारियों से, जैसा मैंने कहा, कोई जाती मुखालिफत किसी को नहीं है। उनमें कमियां रही हैं यह भी सब मानते हैं और गेंदा सिंह जी ने भी कुछ इस तरह की बातें कहीं जिससे कि वह भी मानते हैं मगर समझते हैं कि अब हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन का सबूत अभी तक हड़ताल करना ही मिला है और तो कुछ मिला नहीं। इतने से ही उनको परिवर्तन मालूम हो जाता है कि जो कोई सरकार के काम में अड़चन डाले तो उसका हृदय बदल गया मगर मुझे तो यह सबूत काफी नहीं मालूम होता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे जितना ही जरूरी काम कोई करता हो और उसके अलग हो जाने से कितनी ही दिक्कतें महसूस हों मगर गेंदा सिंह जी और सभी इस बात को मानेंगे कि सरकार के एक दफा दबने से फिर दूसरी दफा भी दबना पड़ता है। आखिर अन्त कहां है ? आप किसी के ५० रुपये कर दें और फिर वह कहे कि साहब १०० रुपये से नीचे तो मेरा काम नहीं चलता। मैं यह कहने को तैयार नहीं कि १०० रुपये बहुत ज्यादा हैं। आप किसी के २०० रुपये कर दें और फिर वह कहे कि साहब इतने से तो मेरा काम ही नहीं चलता। दो सौ रुपये भी कोई बहुत ज्यादा रक़म नहीं है। लेकिन आखिर इस तरह से ये कहां पर ठहरेंगे, यह काम कैसे चलेगा ? यह सब सोचने की जरूरत होती है। इसलिये सरकार ने जो कुछ निर्णय किया वह तो इस सिद्धान्त को सामने रखते हुये किया। और मैं आपसे कहता हूं कि चाहे यहां पर सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेन्ट हो तब भी मेरी सलाह जनता को यही होगी कि डायरेक्ट ऐक्शन मत करो। जितने सरकारी मुलाजिम हैं उनसे कहो कि तुमको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिये और जो भी गवर्नमेंट हो उसके सामने तुम्हें इस तरह की बातें नहीं रखनी चाहियें जिससे कि तुम्हारी प्रेस्टिज कम हो, गवर्नमेंट की प्रेस्टिज कम हो और न ऐसा रास्ता अख्तियार करो जिससे सारा काम ही खत्म हो जाय। हमारे यहां बहुत से वर्ग के लोग हैं। हमारी सबके साथ हमदर्दी है। आखिर जिन लोगों को जिस आवाज से हमारे विरोधी दल वाले कोसा करते हैं, सरकार मुलाजिमों को, उसको आप समझ सकते हैं कि हम सरकारी मुलाजिमों की हिम्मत को क़ायम रखना चाहते हैं, हम उनसे काम लेना चाहते हैं। हमारी हर्गिज यह ख्वाहिश नहीं हो सकती कि हम उनको बिला वजह नाराज करें। हमें उनको देश हित के लिये, कर्तव्य परायणता के लिये सजा भी देनी पड़ती है, हम उनको बरखास्त भी करते हैं, हम उनके ऊपर मुक़दमा चला कर उनको जेल भी भेजते हैं मगर इसके माने यह नहीं हैं कि हम उनकी भलाई नहीं चाहते। सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच काफी मेल का ताल्लुक़ होना चाहिये और हर एक को यह देखना चाहिये कि ईमानदारी से, सच्चाई से, भलमनसाहत से काम होता रहे। इसलिये पटवारियों के बारे में जो कुछ कहा और किया गया वह इस सिद्धान्त पर है कि डर के मारे गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगी। डेमोक्रेसी डर से नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी विवेचना से चलती है, रेप्रेजेंटेशन से चलती है, कलेक्टिव ओपीनियन से चलती है और इस तरह से नहीं चलती है नहीं तो इसका कोई अन्त नहीं हो सकता। तब तो फिर काम चल नहीं सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सदन में व्याख्यान देकर या किसी और तरह से पटवारियों को ऐसी झूठी आशा न बंधाइये कि आज जो कुछ किया जा रहा है तीन चार महीने में फिर बदलना पड़ेगा। यह तो गेंदा सिंह जी ने कहा कि तीन चार महीने में फिर बदलाना पड़ेगा। मैं यह नहीं चाहता कि पटवारियों को झूठा मुग़ालता हो कि तीन चार महीने तक हम खींचें रहें तो फिर हमको रखना ही पड़ेगा। यह बात नहीं है कि हम इस तरह की शैली को ग़लत समझते हैं। हम चाहते हैं कि हर आदमी अपने काम को दिल लगा कर करे। उसकी जो दिक्कतें हों उनको हम समझें और

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

उनको दूर करने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि सदन भी, उनकी मदद करने के लिये जो कुछ बोझा उठाना पड़े, उसको उठाने के लिये तैयार हो और इस तरह से कामों को करे जिससे जरूरत भी पूरी हो और जरूरत पूरी करने के लिये साधन भी आ सकें। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि ऐसी बातों में हमको सिद्धान्तों को देख कर चलना चाहिये और यह समझना चाहिये कि हमने जब इस लोकतंत्र की प्रथा को स्वीकार किया है, तो हमको अच्छी तरह से इस बात का उद्योग करना चाहिये कि हमारे सब काम वैधानिक ढंग से हों। सरकारी गुलाजिम अपने कर्त्तव्य, अपने को देश का एक नागरिक समझते हुये और देश प्रेम की भावना से प्रेरित हो करके करें और न तो उनमें उत्तेजना फैलाई जाय और न तो उनको ऐसे रास्ते पर लगाया जाय जिससे उनको भी हानि पहुंचे और देश को भी हानि पहुंचे।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कई बातें माननीय मुख्य मंत्री जी से सुन करके संतोष हुआ। जहां तक पटवारियों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, उस सम्बन्ध में मैं केवल एक ही बात निवेदन करूंगा कि हमें अपने देश को इंगलैण्ड और अमेरिका की तुलना में रख देना जरा उचित नहीं मालूम होता है। यहां तो पटवारियों की जो मांग है वह लिविंग वेज, गुजारे लायक वेतन की है, और लिविंग वेज की मांग के लिये लड़ाई इंगलैण्ड और अमेरिका में नहीं होती है। वहां कुछ और बातों की लड़ाई होती है। वहां देश लिविंग वेज से ऊपर उठ चुका है। जब इंगलैण्ड और अमेरिका से हम अपने देश की तुलना करते हैं तो फिर हमारे लिये पेट का प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसलिये उस पेट के प्रश्न को इंगलैण्ड और अमेरिका से तुलना करना ठीक नहीं मालूम होता है। ऐसी हालत में अगर पटवारी नाराज होते हैं या ग़लती करते हैं, तो उसको उसी रोशनी में देखना चाहिये। एक बात मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे हमारी पार्टी की बात हो या हमारी व्यक्तिगत बात हो, जहां कहीं भी हमारी पटवारियों से बात हुई, वहां हमने कहा कि तुम सरकारी नौकर हो, तुम्हारी एक मर्यादा है, और उस मर्यादा के भीतर तुमको रहना चाहिये, तुमको हड़ताल और काम छोड़ने की तरफ नहीं जाना चाहिये। मालूम नहीं कैसे उनके मन में यह बात आयी, कैसे उन्होंने इसे सोच लिया, क्या-क्या उनकी बातें पहले से सरकार से हुईं, जिनसे वह विवश हो गये और उनको यह फैसला करना पड़ा, मैं सभी तफसील की बातें नहीं जानता हूं, वह राजस्व मंत्री जी जानते होंगे, पटवारियों के नेता और पटवारियों में काम करने वाले लोग जानते होंगे। लेकिन मैं यह जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पटवारियों को हमारी बातों से ग़लतफहमी नहीं होगी। हमेशा हम लोगों ने पटवारियों को सही सलाह देने की कोशिश की है और हम समझते हैं कि सरकार का साथ देने में और सरकार का हुक्म मानने में पटवारी गांवों पर काम करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार की सब से बड़ी ताकत है और इसलिये मैंने यह निवेदन किया। जहां तक पटवारियों के हृदय परिवर्तन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सभी लोग वातावरण और परिस्थिति के दास होते हैं। जैसी परिस्थिति होती है उसी तरह से मनुष्य को बनना पड़ता है। इसलिये अगर हम उनके हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं तो कोई आशंका की बात नहीं है, लेकिन जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा वह मेरे कहने का अर्थ नहीं है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि पटवारी तीन चार महीने तक अपने आज के ढंग पर अड़े रहें और तीन चार महीने के बाद यह सरकार झुक जायगी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कहीं तीन चार महीने के बाद सरकार को ऐसा अनुभव न हो कि उसका काम ऐसा है जो पटवारियों के बिना चलना संभव नहीं है। जहां तक मेरा अपना बयान है वह इतने ही तक सीमित है कि हमारे प्रदेश का जो लैंड टेन्योर सिस्टम है उसमें उसकी अर्थात्

पटवारी की जरूरत अनिवार्य है। इसलिये मैंने यह बात कही। और जो बातें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं उनसे मुझे संतोष है। जो अभी पूर्वी जिलों में ओले से नुक़सान हुआ है और जिससे किसानों की दयनीय दशा हो गई है मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता था क्योंकि सदन में यह होता है कि बार-बार भूख से मरने की चर्चा की जाती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस सम्बन्ध में अपनी कोई राय देने की चेष्टा करेंगे, जिससे जो मुसीबतजदा लोग हैं उन लोगों की सहायता हो जायगी। आज मुख्य बात मैं यह समझता हूं कि यह अनुदान जो है उसमें से एक फारमैलिटी तो यह है कि कटौती वापस न लिया जाय। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक पैसा भी कम न किया जाय। उस फारमैलिटी को छोड़ कर मैं कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २- लेखा शीर्षक ७- मालगुजारी के अन्तर्गत २१,२८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी के अन्तर्गत १८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५२-५३ के लिये स्वीकार किया जाय।

मांग की जो वजह है वह नीली किताब जो इसके साथ शाया हुई है उसमें लिखी हुई है। उसकी वजह यह हुई कि पांच लाख पांच सौ रुपये अफीम की कीमत के सिलसिले में रखे गये थे। यह हिसाब इस तरह लगाया गया था कि उसकी कीमत गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ४० रुपये फ़ी मन मुकर्रर की थी। लेकिन उसके बाद यह कीमत बदल दी और बजाय ४० के ४५ रुपये हो गयी। लेकिन यह इतनी देर में हुई कि इसका इन्तजाम १९५२-५३ के बजट में नहीं हो सका। बहरहाल इसकी वजह से साढ़े चौहत्तर हजार रूपये का फर्क पड़ा। लेकिन साढ़े ५६ हजार रुपये का इन्तजाम बजट में बचत करके कर लिया गया है। इसलिये सिर्फ १८ हजार रुपये की मांग पेश की गयी है। यह एक ऐसी रक़म है जो एक तरफ से खर्च की जाती है और दूसरी तरफ मिल जाती है। इससे बजट पर कोई मजीद बार नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह मांग मंजूर की जायगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी के अन्तर्गत १८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५, लेखा शीर्षक १०, वन के अन्तर्गत ४,१५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

[श्री गोविन्द बल्लभ पन्त]

इसका जो कुछ ब्योरा है वह इस पुस्तक में दिया हुआ है जो याददाश्त है। उससे अधिक कहने की आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें १० रुपये की कमी का प्रस्ताव करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हमारे इस प्रदेश में जहां तक जंगलों का ताल्लुक है वह हमारे पहाड़ी प्रदेशों और पहाड़ी तराइयों में ही ज्यादातर हैं, और वहां के लोगों की उपेक्षा की गयी है। इस समय जिस चीज के लिये यह रुपया मांगा जा रहा है वह एक चीज है जो कि चीड़ के पेड़ों से निकलती है, जिसको रेजिन कहते हैं और उससे टरपेंटाइन का तेल बनता है। टरपेंटाइन निकालने का सरकारी कारखाना बरेली में है। जितना भी रेजिन हमारे यहां के जंगलों में निकलता है वह बरेली के टरपेंटाइन फैक्टरी में ही इस्तेमाल होता है और उसमें बहुत सा रिफाइंड टरपेंटाइन बनता है जो देश और बाहर के देशों में जाता है। पर जहां यह रेजिन होता है वहां के इलाकों में इसका कोई कारखाना आज तक नहीं खोला गया है। मैं यह जानता हूं कि अगर वहां पर कोई बड़ा कारखाना खोला जाय तो जो बरेली में सरकारी कारखाना टरपेंटाइन आइल कम्पनी का है वह शायद चलना बन्द हो जाय। पर जिस प्रकार रेजिन में आज बृद्धि हो रही है और जिस समय हम लोग कहते हैं कि हमारे कुटीर उद्योग भी हों, वहां पर छोटे-छोटे कारखाने खुलें जिन में वहां के लोग काम में लगाये जा सकें तो उस समय वहां के छोटे-मोटे ग्राम उद्योगों को चलाने वाले लोगों को सरकार की ओर से जहां तक रा मैटिरियल का सवाल है, कोई मदद नहीं मिली। मैं समझता हूं कि हमारे देश के कुटीर-उद्योग वगैरा जो हैं वह तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि हम यह तो नहीं चाहते हैं कि बरेली की टरपेंटाइन फैक्टरी बन्द हो लेकिन फैक्टरी वाले जब कभी भी हमसे इस बात की मांग करते हैं कि लीसा वहां के छोटे उद्योगों के लिये भी रखा जाय और कुटीर उद्योगों में चाहे वह क्रूड फार्म का ही टरपैन्टाइन क्यों न बनावें उन उद्योगों के लिये रेजिन दिया जाय तो वह जब तक नो आब्जेक्शन नोट टरपैन्टाइन कम्पनी बरेली से नहीं मिलेगा तब तक जंगलात विभाग रेजिन नहीं देता है और वह नोट फैक्टरी वाले नहीं देते हैं। अब तो काफी लीसा बढ़ गया है। हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे यहां की जो दूसरे इलाके में मोटर रोड्स हैं वहां पर छोटे कारखाने खोलने में मदद करें और हमारे यहां जो प्राइवेट लीसा प्राइवेट जंगलों में होता है उसे भी इकठ्ठा किया जा सकता है और उससे क्रूड फार्म में टरपेंटाइन बनाया जा सकता है और उद्योग में लगाया जा सकता है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री इस ओर भी ध्यान देंगे। हमारे पहाड़ों में जो टेहरी, अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल में और जितने तराई के जंगल है वहां का जो इन्तजाम होता है वह एक फारेस्ट कमेटी द्वारा होता है। और जगह से चाहे हमारे सोशलिस्ट भाई न आयें हो लेकिन हम अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल हर एक जगह पर्वतीय प्रदेशों से एक-एक सोशलिस्ट तो आया ही है। मुझे अफसोस है कि उस कमेटी में जब इस सरकार ने मेम्बर बनाये, उनकी नामजदगी की तो हम लोगों में से एक भी उस कमेटी का सदस्य नहीं बनाया गया। मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि हम कोई रिएक्शनरी नहीं है हम अपने को प्रोग्रेसिव समझते हैं। हम लोग भी समझते हैं कि देश की भलाई किस तरह से की जाय। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी हम लोगों में से भी कुछ लोगों को जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उस में जगह देंगे। क्योंकि उसमें तो सिर्फ हाथ उठाने वाले लोग ही हैं। दूसरे पक्ष की बातें उस कमेटी के सामने नहीं आ सकती है और क्योंकि उस पर ही हमारे यहां का जीवन निर्भर है इसलिये हमारा दृष्टिकोण भी रखने का मौका होना चाहिये। वहां से लाखों रुपयों की आमदनी इस प्रांत को होती है। जहां तक लकड़ी वगैरा का संबंध है सारे प्रांत का काम वहीं से चलता है। लेकिन हमारे मेम्बर उसमें कोई नहीं हैं। न मालूम क्यों नहीं रखे गये हैं। शायद उस पर माननीय मुख्य मंत्री प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

रहा यह वहां के, जंगलात के, जो अफसरान हैं, वह उन्हीं जंगलों की तरक्की में लगे रहते हैं जहां पर आसानी से पेड़ लगते हैं। हमारे यहां ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी ऐसी जगह है जो बंजर पड़ी हुई है जहां पर जंगल नये सिरे से लग सकता है। सल्ट का इलाका ऐसा है कि जहां पर जंगल दूर है और पहाड़ ऐसे हैं जहां पर पेड़ नहीं हैं। वहां के लोग जो लाल मिर्चा होता है उनकी लकड़ियों से खाना बनाते हैं। हजारों की ऐसी आबादी वहां पर है जहां पर मिर्चे की लकड़ी से लोग खाना बनाते हैं और बड़ी तकलीफ इससे उन्हें होती है। आस पास जंगल नहीं हैं। उधर सड़कें नहीं हैं। सरकारी अफसर कोई उधर जाता ही नहीं। जंगलात के बड़े बड़े अफसरों से आज यह पूंछा जाय वह कमी सल्ट की तरफ गये हैं। कोई नहीं जाता उस तरफ क्योंकि वहां कोई रहने की जगह नहीं है। कोई अच्छा बंगला नहीं है और टिकने की जगह भी नहीं है इसलिये ऐसी सारी जगह छोड़ देते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी हिदायतें दी जायं कि ऐसी ऐसी जगह जहां कि बंजर पड़ा हुआ है जहां पेड़ लग सकते हैं वहां पेड़ लगाये जायं और वहां के लोग उसमें काम कर सकें। लेकिन जब तक उनको जंगल बनाने के लिये जंगलात विभाग सहायता नहीं करेगा तब तक उनकी मदद वहां नहीं हो सकती है यह कहा गया है कि सड़कों और इमारतों के लिये काफी रुपये की जरूरत हुई है। मुझे अफसोस है अध्यक्ष महोदय, कि रानीखेत में एक फारेस्ट हाउस है जिसमें हिन्दुस्तान के ही नहीं दुनिया के बड़े-बड़े लोग जो आते हैं, टिकते हैं अमेरिका के या दूसरे बाहर के लोग जो आये, सुप्रीम कोर्ट के जज आये, वेविन साहब आये और हमारे प्रधान मंत्री आये, ये सब लोग उसी फारेस्ट हाउस में रहे और जो भी हिन्दुस्तान के बाहर के देशों से आते हैं उसी में रहते हैं। लेकिन सरकार से बहुत दफा कहा गया कि उसमें एक टेलीफोन लगवा दे जिससे कि वहां की जनता को वहां से संपर्क रखने में आसानी हों। केवल दो सौ रुपये साल का खर्चा है उसमें। लेकिन आज तक वहां फारेस्ट हाउस में टेलीफोन नहीं लगाया गया। वह मेरी कांस्टीच्युयेंसी है, जब बड़े बड़े लोग आते हैं तो कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है। पैदल चलने में परेशानी होती जाती है। अगर टेलीफोन हो तो मैं समझता हूं कि उससे सरकार को भी सहूलियत होगी और जनता को भी तथा हर एक को सहूलियत होगी। खर्चा सिर्फ दो सौ रुपये का है। जो इतना रुपया मांगा गया है १ लाख ५० हजार रु० उसमें से अगर २०० रुपया खर्च कर दें और वहां पर एक टेलीफोन लगवा दें तो उनको भी बड़ा आराम होगा और हम लोगों को भी बड़ा आराम होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में पेड़ बड़ी संख्या में लगाये जावें। मैं एक चीज के लिये और माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो सार्वजनिक काम हैं जैसे छोटे मोटे पुल बनाना है, स्कूल, अस्पताल वगैरह उनमें जंगलों की आमदनी से मदद हो, मैं प्रार्थना करूंगा कि गांव वालों के ८० साला बाउन्ड्री के अन्दर चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने की इजाजत दे दें। उससे वहां के सार्वजनिक छोटे मोटे कामों के लिये, स्कूल, सड़क, अस्पताल बनाने के लिये ऐसे आदेश दे दें कि उस लीसे से जो रुपया मिल सके वह हमारे यहां के छोटे मोटे कामों, सार्वजनिक कामों में लगाया जाय।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य उपाध्याय जी ने जो पहाड़ी जिलों की बाबत और खासकर के वहां की इंडस्ट्रीज के बाबत यह बताया है कि वहां रेजिन टरपेंटाइन की इंडस्ट्री अच्छी तरह से चल सकती है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। यह रेजिन टरपेंटाइन की इंडस्ट्रीज को चलाने के लिये बहुत आवश्यक है कि वहां मोटर रोड्स खोली जायं। जब तक मोटर रोड्स का जाल नहीं बिछाया जाता, तब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इस बजट में कम्युनिकेशंस और बिल्डिंग्स पर कुछ बंद रखी हुई हैं लेकिन बावजूद सरकार के, माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब जंगलात के और कंजरवेटर साहब के आश्वासन देने पर भी टेहरी गढ़वाल में जो डांगचीरा-टिहरी सड़क बन

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

रही है, और जो श्रमधन से बनायी जा रही है के लिये कोई मद इस अनुदान में नहीं है। जंगलात विभाग के तरफ से यह आश्वासन मिला था, जिलाधीश महोदय की तरफ से यह आश्वासन मिला था, और मिनिस्टर महोदय की तरफ से भी कि जहां हार्ड पोर्शन होंगे जहां हार्ड राक्स होंगी वहां जंगलात विभाग अपने बजट से उसे बनायेगा और जहां सरल होगा वहां जनता बनायेगी। जनता अपना काम कर रही है और बहुत काफी कर चुकी है लेकिन जंगलात विभाग के यह कहने पर कि हमारे पास अभी बजट की मंजूरी नहीं आयी हम इस उम्मीद में थे कि इस बजट में उस मद की मांग होगी लेकिन सप्लीमेंटरीज बजट देखने में कहीं वह आइटम नहीं है। इससे जनता का श्रमधन बेकार चला जाता है और जितनी सड़कें बनी हैं और बनेंगी वह बरसात में खत्म हो जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि चाहे आश्वासन किसी की तरफ से हुआ हो, गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन जनता ने समझा और अगर यह आश्वासन पूरा नहीं होता तो श्रमधन का जो काम चल रहा है वह फेल हो जायेगा और इससे हमारे कार्य के आगे चलाने में आसानी नहीं होगी।

दूसरी बात मैं टिहरी गढ़वाल फारेस्ट की सर्विसेज के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी तक साढ़े तीन साल स्टेट को मर्ज हुये हो चुके, लेकिन वहां सर्विसेज की हालत अब भी शोचनीय है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां अभी तक सर्विसेज पूरी तौर से नियमानुसार एब जार्व नहीं हुई है। जिसका नतीजा यह होता है कि अगर सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट हैं तो शासन की मशीनरी के पुर्जे ठीक काम नहीं करेंगे। वहां मर्जर के बाद छटनी की जा चुकी है और जो डी० एफ० ओ० थे वे रेंजर और जो रेंजर्स थे वे डिप्टीरेन्जर्स बना दिये गये हैं। सरकार जिसको जिस लायक एबजार्व करना चाहती है उनको मुकम्मिल तौर से एबजार्व किया जाय जिससे उनकी सीनियारिटी और ग्रेड वगैरा में फर्क न पड़े। इसके साथ ही साथ उनकी पिछली सर्विसेज का भी ख्याल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये मैं एक रेंजर को लेता हूं वह डिप्टी रेंजर की हैसियत से ऐबजार्ब किया गया है वह २५ साल तक रेंजर का काम करता रहा है और उसके बाद डिप्टी रेंजर की हैसियत से लिया जाता है तो उसकी २५ साल की सर्विसेज काउन्ट होनी चाहिये। यह कहां का न्याय है कि यू० पी० के ५ साल के डिप्टी रेंजर को उस २५ साल के सर्विसेज वाले डिप्टी रेंजर से सीनियर माना जाय और वह जूनियर माना जाय। मैं जानता हूं कि शायद सरकार की नीति ऐसी नहीं है लेकिन ऐसी नीति बर्ती जा रही है। मैं सरकार से कहता हूं कि जब तक कि सरकारी कर्मचारियों का असंतोष दूर नहीं होता कोई भी सरकार की योजना सफल नहीं हो सकती।

तीसरी बात जो उपाध्याय जी ने ऐफारेस्टेशन स्कीम्स के बारे में कही है मैं उससे सहमत हूं। जो पेड़ काटे जाते हैं और जहां लोग खेती नहीं करते वहां फारेस्ट डिपार्टमेंट अगर ऐफोरेस्टेशन का काम शुरू कर दे तो इससे जो कुछ कमी जंगलों में रहती है कटने से या लोगों को देने से, वह पूरी हो जाती है और जंगलों के धन में कमी नहीं आ सकती है। मैं सरकार से कहता हूं कि ऐफोरेस्टेशन स्कीम्स को पहाड़ों पर जरूर लागू करे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि वन किसी राष्ट्र की बड़ी भारी सम्पत्ति है। जहां तक मेरा ख्याल है कि २० प्रतिशत जमीन पर वन रहना अनिवार्य है तभी खेतों में उपज कायम रह सकती है और बाढ़ से देश को बचा सकते हैं और जंगलों से खेतों का ऊसर होना बचाया जा सकता है। हमारे देश में बन की भारी कमी है। हम तो उन पेड़ों को भी वन की श्रेणी में गिनते हैं जो बनकी परिभाषा में नहीं आते उन सबको भी वन में लेकर हमारे यहां वन की बहुत बड़ी कमी है और बन पानी को रोकने का, बाढ़ को रोकने का, और ऊसर को रोकने का काम देते हैं। इसलिये इस प्रकार की एक सूबे भर की योजना बनानी चाहिये कि कितनी जमीन में हमको वन लगाना है और कितनी जमीन में बन रहने चाहिये।

इस प्रकार की योजना बना करके जितने दरख्तान इस वक्त मौजूद हैं उनको बचाने का यत्न करना चाहिये। और जहां भी ऐसी जमीन मिल सके उस पर बन लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। यह बहुत जरूरी है इससे दुहरा लाभ होता है। लकड़ी की जरूरत भी पूरी हो जाती है और अगर जलाने की लकड़ी पूरी हो जाये तो हमारा करोड़ों टन गोबर जलाने से बचाया जा सकता है और उसको उपज के बढ़ाने के काम में लगाया जाय तो हम अन्न का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढा सकते हैं और दूसरे देशों से जो अन्न मंगाने की जरूरत पड़ती है वह शायद गोबर की बदौलत न पड़े, नये जमीन को तोड़ने की जरूरत न पड़े। इसलिये ऐसी योजना होनी चाहिये जिससे यह मालूम हो सके कि कितनी जमीन में बन लगाना है, कितने पेड़ों को बचाना है और जो पेड़ काटने चाहिये या न काटने चाहिये जो बगैर लिहाज काटे जाते हैं बावजूद इसके कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट बना, जो पेड़ों को काटने से मना करता है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जो इस अनुदान के संबंध में श्री गेंदा सिंह जी ने बात कही मैं उसकी कद्र करता हूं। हमारे देश में पेड़ों की रक्षा और जंगलों की, जितना भी संभव हो, सुरक्षित रखना और नये पेड़ लगाने की बड़ी जरूरत है। इसके लिये सरकार ने काफी उद्योग किया है। जैसा कि उन्होंने बतलाया है कि प्रायवेट फारेस्ट ऐक्ट बनाया गया और पेड़ों का काटना आम तौर से बगैर इजाजत के नहीं हो सकता है। एक लैन्ड मैनेजमेंट बोर्ड भी कायम किया गया है, एक कमेटी भी बनाई गई है, खास इसी लिये जंगलों की तरक्की और पेड़ लगाने के काम में मदद दे। इसके साथ साथ जनता में उत्साह पैदा करने के लिये विशेष योजनायें बनाई गई और इसके लिये विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये। पांच साला प्लान जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम होगा कि जंगलों की योजना के संबंध में इसमें विचार किया गया है। २० प्रतिशत की बात का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन काम है। हर जिले में, हर गांव में, सारे भारत में या उत्तर प्रदेश में यानी किसके लिये यह २० प्रतिशत है। यह बड़ी कठिन बात हो जाती है। मसलन हम यह कहें कि गोरखपुर और देवरिया में २० प्रतिशत करें तो बहुत कठिन बात है। एक वांछनीय चीज होती है और एक वास्तविक चीज होती है। लोगों को खाना मिलना है और जंगलों को भी सुरक्षित रखना है। इसके साथ-साथ चरागाह भी बनाने हैं। मनुष्यों के लिये खाना मिलना, सबसे बड़ी आवश्यकता हो जाती है इन सब चीजों के सामंजस्य करने की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं कि उनका सामंजस्य अवश्य होना चाहिये जिसमें यथासंभव जंगल और पेड़ों की रक्षा हो सके और उनकी उन्नति की जा सके।

श्री मदन मोहन जी ने कई बातों की ओर ध्यान खींचा है। रेंजिन और लीसा के संबंध में कुटीर उद्योग के बढ़ाने की बात कही। उनको मालूम होगा कि सोमेश्वर में इस तरह का कारखाना है और सरकार की तरफ से सहायता देने की कोशिश की। जितनी भी उन्नति हो सके करनी चाहिये परन्तु इसमें दो बातें हैं। एक तो यह कि इस तरह का जो लीसा हम बनाते हैं एक तो उसकी क्वालिटी पुअर होती है और पहाड़ों में लाखों रुपया इस काम से लोगों को मिलता है। इसलिये बाजार में इसका क्रेडिट बना रहना चाहिये। उसकी क्वालिटी डिटोरियोरेट हो जाय तो जो हजारों मन लीसा निकल रहा है और लाखों रुपया मजदूरी देते हैं उसमें बाधा पड़ जायगी और थोड़े से कुटीर उद्योग धंधे से हजार दस हजार रुपया ले लेने से वास्तव में फायदा नहीं होता है। तो वास्तव में लोगों को फायदा नहीं होता। इस चीज को मैंने काफी दिखलाया था। उसकी क्वालिटी को ठीक रखना बड़ा कठिन होता है और हमारी बरेली में जो रेंजिन और टरपेंनटाइन फैक्टरी है उसका स्टैन्डर्ड बहुत ऊंचा है और दुनिया भर में उसकी ख्याति है। जो रेंजिन वहां बनता है उसकी कीमत ज्यादा मिलती है। ऐसी बात पैदा की जाय कि उसको धक्का लगे और नुक्सान पहुंचे वह शायद अच्छा नहीं होता। अगर बरेली की रेंजिन और टरपेन्टाइन फैक्ट्री में लीसा १० हजार मन कम हो जाय तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता लेकिन उसकी क्वालिटी गिरने से बदनामी हो जाय तो काफी नुक्सान हो सकता है। अगर कोई ऐसा साधन मिल सके जिससे कि उसकी क्वालिटी को कोई

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

नुक्सान न पहुंचे और काम हो सके तो हम सबको उसे देखना चाहिये और उसकी उचित निकालनी चाहिये।

उन्होंने कमेटी के बारे में कहा। उसमें कोई राजनैतिक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यसमैन वहां सब हैं। मैं यह भी नहीं चाहता कि सब नोमैन हो कर वहां जायं। राजनैतिक विवाद की बात ही नहीं है। व्यावहारिक रूप से क्या किया जाय जिससे जंगलों से हम फायदा उठा सकें इस बात को हमें सोचना है, इसमें राजनैतिक बात नहीं आती। मदन मोहन जी, नारायण दत्त जी और अन्य मित्र हैं। उनके अनुभव का फायदा मिलना चाहिये। इस वक्त तो कमेटी शायद बन चुकी है, जब उसका पुनर्निर्माण होगा तो हम किसी न किसी तरह से उस वक्त उनके तजुर्बे से फायदा उठायेंगे। आखिर उनके होने से नफा हो सकता है, कोई नुक्सान की बात नहीं।

फिर कहा कि ८० साल की हद के अन्दर लोगों को पेड़ों में से लीसा स्वयं निकाल कर बेचने का अधिकार होना चाहिये। उनको मालूम होगा कि पहाड़ में मुश्किल से कोई जमीन पड़ी होगा जो ८० साल हद के अन्दर न हो। जो जंगलात हैं उनमें भी काफी हिस्सा ऐसा है जो ८० साला हद के अन्दर हैं। तो कौन सी जमीन या जंगल है जो ८० साला हद के अन्दर नहीं है। तो इस तरह की बात रख देने से तो सारी चीज ही अपसेट हो जायगी, रिजर्व फारेस्ट खत्म हो जायेंगे। इस तरह की बात की जाय जिससे ज्यादा फायदा पहुंच सके बमुकाबले इसके कि जो सुव्यवस्थित ढंग से काम हो रहा है वह भी खत्म हो जाय। लीसा से ट्रांस्पोर्ट में कम खर्च होता है, मजदूरी ज्यादा बनती है और जितना बनता है वह सब काम में आ जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था की जाय कि अब तक जो इंतजाम है वह बेकार न जाय, उससे कोई नफा न होगा। कोई व्यावहारिक रूप निकल सके तो अच्छा है। उसके लिये कोई प्रिंसिपिल की बात नहीं है। सवाल तो यह है कि प्रेक्टिकल बात क्या हो सकती है, यह देखने की बता है। लेकिन मुझे शंका है कि कोई गुंजाइश निकल सकेगी। यह मैं कठिन समझता हूं।

रानीखेत के फारेस्ट हाउस के बारे में कहा गया कि टेलीफोन लगाया जाय चूंकि बड़े बड़े आदमी आया करते हैं। सवाल तो यह है कि छोटे छोटे आदमियों के लिये क्या किया जाय टेलीफोन लगाना अच्छा है, सब जगह पर लगाया जाय। एक फारेस्ट है उस में टेलीफोन लगाने का खर्च २०० रुपये पड़ेगा लेकिन सब जगह लगाया जाय तो लाखों रुपये चाहिये। इसलिये हम देने में रेसिस्ट करते हैं, और कह देते हैं कि अब तक जिस तरह से काम चलाते थे वैसे ही चलाओ। छोटी छोटी बातों में जब करना पड़ता है हमसे आफिसर्स इस बात की शिकायत करते हैं कि तुम बहुत सी सख्ती करते हो तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मैं समझता हूं कि ३६५ दिन में मुश्किल से २०,३० दिन ही टेलीफोन की जरूरत पड़े। टेलीफोन होगा तो लोग ट्रंकाल भी करने लगेंगे तो खर्चा भी बढ़ सकता है। कटौती तो इसलिये होती है कि खर्चा कम किया जाय न कि बढ़ाया जाय।

यह कहा गया कि टेहरी में मोटर सड़क होनी चाहिये। हम सब लोगों की इच्छा है और वहां के लोग क्रियाशील भी हैं और इधर उधर बनी भी हैं। जो साधन हैं उनका उपयोग करना चाहिये और कर रहे हैं। मगर हमारे साधन सीमित हैं इसलिये जितना हम चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। हमको सबको कोई रास्ता निकालना चाहिये और जो कोई इस तरह का प्रस्ताव यहां आवे उसका समर्थन करना चाहिये। इससे हम अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री भवनसिंह उपाध्याय — अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बातों को मान लिया है। पर टेलीफोन की बात के लिये जो उन्होंने कहा है कि बड़ों को ही आवश्यकता है तो यदि बड़ों की आवश्यकता होती तो वह लग जाता। यह तो

चूंकि हम जैसे छोटों को आवश्यकता है इसलिये नहीं लग रहा है। लोगों के पास मोटर भी नहीं होती है, जो खट से दौड़ जावें। मोटर लावें कहां से? इसलिये मैंने तो अपनी तकलीफ के लिये कहा था।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—आपको छोटे लोगों में नहीं माना जा सकता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—खैर, जो मुख्य मंत्री जी ने कहा ठीक है। मगर यह वहां की एक मांग थी जो मैंने सामने रखदी है। यह नहीं कि २५-३० दिन वह काम आता है। वहां तो रोज मर्रा कोई न कोई रहता है। सब लोग वहां से हिमालय के दर्शन करने जाते हैं।

जहां तक टरपेंटाइन की बात का सवाल है, मैंने पहले ही कहा था कि रिफाइन्ड टरपेंटाइन तो बरेली में बनता है, लेकिन साधारण टरपेंटाइन जो वारनिश वगैरह के काम आता है वहां चल सकता है। उससे हमारे छोटे मोटे उद्योग, जैसे सोमेश्वर में मुख्य मंत्री जी ने बताया, इस तरह के हम चाहते हैं कि और एरियाज में भी हों। मैं इसमें मुख्य मंत्री जी की मदद चाहूंगा बशर्ते कि बरेली टरपैन्टाइन कम्पनी के मैनेजर भी नो आब्जैक्शन नोट लगा दें। मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५— लेखा शीर्षक १०— वन के अन्तर्गत ४,१५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७—लेख शीर्षक १२—मोटरगाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७— लेखा शीर्षक १२— मोटरगाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ५,१४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

मेमोरैन्डम आफ डिमांड्स में ग्रांट नं० ७ के मातहत इसकी बाबत दिया है। वह वास्तव में कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ जमाखर्च करने की बात है। कुछ पारसाल जमाखर्च करने से बच गया था। इन सबको मिला कर यह रकम है और मैं समझता हूं कि सदन को इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२— मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ५,१४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९—ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई, के निर्माण कार्य (स्थायना व्यय को छोड़कर)

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९— लेखा शीर्षक १७, १८ और १९ ख— सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

महोदय, इसमें विशेष कुछ कहना नहीं है। यह मेमोरेंडम में दिया हुआ है यह रामपुर कैनाल डिवीजन के लिये खर्च की आवश्यकता है। कल हमारे उपाध्यायजी ने इस संबंध

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में सुझाव भी दिये थे और एक कमेटी के लिये भी कहा था। परन्तु मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। १०० रुपये की मांग रखी गई है और वह बजट से पूरी कर ली जायगी। अगर ढाई हजार में हाथी मिल गया तो उसमें ले लिया जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर कोई ज्यादा एतराज नहीं है। लेकिन कल से हमारे माननीय श्री रणंजय सिंह जी की बड़ी शिकायत है कि वह उस कमेटी में नहीं रखे गये। सुना है बहुत से हमारे जमींदार भाइयों के पास हाथी खाली पड़े हैं और यदि उनसे हाथी ले लिये जायं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल मैंटीनेंस गवर्नमेंट का पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इसका जरूर खयाल करेगी।

श्री अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) लेखा शीर्षक १७, १८, और १९—ख—के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२—५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई और जल विद्युत् स्थापना पर व्यय

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमान्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई और जल विद्युत् स्थापना पर व्यय, के अन्तर्गत ३,७०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२—५३ के लिये स्वीकार की जाय। इस मांग का स्पष्टीकरण मैमोरेंडम में कर दिया गया है परन्तु मैं २ शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि कल इस विषय में नारायण दत्त जी ने कुछ चर्चा साधारण वादविवाद के समय की थी। एक विषय तो इस में है इंजीनियर स्टुडेंट्स का। यह जो बनारस और अलीगढ़ तथा रुड़की के विद्यार्थियों के संबंध में थोड़ा सा भेद चल रहा था उसे मिटाने के लिये है। पहले रुड़की के स्टुडेंट्स को कुछ टी० ए० वगैरह दिया जाता था। अब बनारस और अलीगढ़ के भी विद्यार्थी आने लगे हैं। यह चाहा गया है कि जैसे रुड़की वालों के लिये व्यवस्था है वैसी ही इन दोनों के लिये भी हो जाय। तो वह व्यवस्था इसमें की गई है। दूसरा विषय बिजली के प्रसार के संबंध में है। उसका भी स्पष्टीकरण इसमें दिया हुआ है। कल नारायण दत्त जी ने कहा था कि सारदा पावर हाउस और रूरल लाइन डिवीजन बनाया है सन् १९५०—५१ में और ५२—५३ के बजट में या पहले सप्लीमेंटरी बजट में रखकर अब क्यों ले आये। यह उन्होंने आपत्ति की थी। यह उनका कहना ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे करेंट बजट में ३२,७९,८०० रुपया बिजली के इस्टैब्लिशमेंट में रखा गया है लेकिन हमने यह आशा की थी कि बचत जो जनरेशन डिवीजन में होगी सारदा हाइडल में, उससे काम चल जायगा। पिछली साल जब जुलाई में बजट पेश हुआ था तो उसके बाद कई नयी योजनायें ली गईं। एक रिहन्द डैम की और दूसरी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पावर प्रोजेक्ट्स की। सारदा डिवीजन था ही जहां प्लान्ट्स वगैरा इरेक्ट हो चुके थे। ये चीजें जो इससे पहिले सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत हुआ यानी नवम्बर में, उसमें पेश नहीं की जा सकीं क्योंकि उस समय तक पता नहीं था कि डिपार्टमेंट की सेविंग्स कितनी होंगी। इसलिये मैं समझता हूं कि हाउस इसे स्वीकार करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। श्रीमान् जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि संपूर्ण अनुदान में दो खंड हैं। जहां तक पहले खंड का

सवाल है यह स्पष्ट है कि रुड़की विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सिविल इंजीनियर्स को यात्रिक भत्ते की सुविधा है, वही सुविधा वे बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी देना चाहते हैं। जहां तक इस मांग का प्रश्न है मुझे उससे कोई विरोध नहीं है। रुड़की यूनिवर्सिटी के छात्रों की योग्यता संदेहमान्य है और उसी प्रकार से दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्रों की योग्यता की भी सराहना की जाय तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक रुड़की यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है उसके बारे में कुछ शिकायतें हमारे पास आयी हैं। और हमने यह भी सुना कि रुड़की के वाइस चांसलर मिस्टर हार्ट के बारे में सरकार के पास भी शिकायतें आईं और वे यहां इस संबंध में आये इसलिये अगर माननीय मंत्री जी रुड़की यूनिवर्सिटी की हालत के बारे में कुछ प्रकाश डालें तो अच्छा होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इस समय जो प्रश्न विचाराधीन है वह इंजीनियरिंग स्टुडेंट्स, जो रुड़की से यहां ट्रेनिंग के लिये आते हैं उनके टी० ए० से संबंध रखता है लेकिन माननीय नारायण दत्त जी जो प्रश्न उठा रहे हैं वह रुड़की यूनिवर्सिटी की व्यवस्था से संबंध रखता है, यह असंगत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—खाली सूचना दे दी जाती तो अच्छा था।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि आपके नाम से मेरे पास कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं आया। शायद आप जनरल बात कह रहे हैं। मेरे पास जो कटौती के प्रस्तावों के नोटिस आये हैं वे श्री मदन मोहन उपाध्याय, श्री राम सुन्दर पांडेय और श्री यमुना सिंह के हैं। क्या उन्होंने आपको इजाजत दे दी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—यह कटौती का प्रस्ताव मैंने श्री मदन मोहन उपाध्याय जी के आज्ञा से पेश किया है और मैं विभाग की न्यूनताओं पर प्रकाश डालने का निवेदन कह रहा था, क्योंकि रुड़की विश्वविद्यालय का एक सामयिक प्रश्न है।..

श्री अध्यक्ष—रुड़की यूनिवर्सिटी की व्यवस्था पर विचार इस विवाद के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—ठीक है समय पर उसका जवाब दे दिया जाय।

इसके बाद माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्टीकरण दिया कि सन् ५१—५२ में सारदा बिजली घर में ग्रामीण लाइन्स डिवीजन बनाया गया था जिसके बारे में ५२—५३ में उसे जारी रखने के लिये बजट में कोई व्यवस्था सम्मिलित नहीं की जा सकी और इसलिये इस अनुदान का यह जो चौथा खंड है उसमें इसकी व्यवस्था रखी गयी है तो जब सन् ५२—५३ के बजट में कोई व्यवस्था ही नहीं थी तो नहीं माना जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे के अन्दर इस डिवीजन का खर्चा शामिल है। तो माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया उससे वह स्पष्ट नहीं होता।

दूसरा जो आगे चल कर इसमें स्पष्टीकरण है वह रिहन्द योजना और पूर्वी क्षेत्र की बिजली योजना के संबंध में चालू वर्ष में दो डिवीजन बनाने की स्वीकृति दी गई है उसका जिक्र है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जो पुरानी रिपोर्ट है उससे स्पष्ट है कि एक रिहन्द योजना डिवीजन पहले से काम कर रहा है। इस संबंध में इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आया ये जो दो डिवीजन बनेंगे वे पुराने डिवीजन के अलावा बनेंगे या जो पुराने डिवीजन बन चुके हैं वे खत्म हो गये हैं या वे फिर से नये बनेंगे। यह मेमोरेंडम में स्पष्ट नहीं है। रिहन्द योजना के अन्तर्गत लाखों रुपया पहले खर्च हो चुका है और किसी न किसी डिवीजन के अन्तर्गत ही यह खर्च हुआ होगा।

तीसरा जो इसमें स्पष्टीकरण है वह जल विद्युत गंग सर्किल, रुड़की को दो सर्किलों में विभाजित करने के नियम में है, जिसके फलस्वरूप चालू वर्ष में कुछ अतिरिक्त व्यय हुआ है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमन्, मुझे जल विद्युत गंग सरकिल के बारे में बहुत शिकायत है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा पहले से ही बहुत ज्यादा होता रहा है। पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की रिपोर्ट में महा-लेखा पाल ने इस प्रकार के खर्चे की ओर खास तौर से हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है :

समिति ने १९४८-४९ के संबंध में गंगा नहर जल विद्युत योजना को फार्म के अनुसार (प्रोफौर्मा) लेखों की जांच की। महालेखापाल ने इन लेखों की जो विवेचना की है उसकी मुख्य बातें यह है-(१) शुद्ध लाभ में उत्तरोत्तर कमी हुई है जो १९४६-४७ ई० में ९.१४ लाख, १९४७-४८ में ४.९२ लाख और १९४८-४९ में २.६९ लाख था। (२) कार्य सम्पादन अनुपात, अर्थात् कार्य सम्पादन व्यय और सम्पूर्ण आय का अनुपात १९४७-४८ के ६७.५ प्रतिशत से बढ़ कर आलोच्य वर्ष में ७१.५ प्रतिशत हो गया। तो एकाउन्टेंट जनरल ने बहुत ताकत के साथ इस बात को कहा कि जल विद्युत गंग सर्किल के इस्टेब्लिशमेंट के चार्जेज को बढ़ाना गलत है और नुक्सानदेह है। लेकिन आज फिर हम यह देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज बढाये जा रहे हैं। इसको दो सर्किल में बांटा जा रहा है। मैं पूछता हूं कि आखिर इसकी क्या आवश्यकता है एक सर्किल में बांटा जाय, इस बात को समझ नहीं सका।

चौथा स्पष्टीकरण है कि विभाग के लिये कुछ अन्य अतिरिक्त कर्मचारी स्वीकृत किये गये और रखे गये। आखिर काहे के लिये और किस बात के लिये स्वीकृत किये गये और रखे गये? इसकी क्या आवश्यकता थी यह इस मेमोरेंडम से स्पष्ट नहीं होता। इसलिये मैं समझता हूं कि कटौती प्रस्ताव के जरिये जो प्रश्न मैंने उठाया है जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं होता तब तक मैं समझता हूं कि मैं अपने प्रस्ताव में संयत हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुन्दर सुझाव सरकार ने सदन के सामने रखा है। माननीय तिवारी जी सदैव यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के नेता रहे हैं, अगुवा रहे हैं और जब सरकार ने रुड़की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को टी० ए० देने की उदारता दिखलाई जैसा कि और यूनिवर्सिटियों में दिया जाता है और उसके लिये एक सुझाव सदन के सामने रखा तो उस पर भी उनको एतराज हुआ। अगर आपको कोई बात कहनी ही हो जो व्यवस्था संबंधी हो तो उसे आप बजट आने वाला है उस मौके पर कह लीजियेगा। यह तो बजट की सप्लीमेंटरी है। यह तो बहुत थोड़ी रकम की डिमांड है इसलिये इस पर उनका एतराज करना ठीक नहीं है। अगर आपको कोई एतराज हो तो माननीय मंत्री जी के दफ्तर में उनसे मिल सकते हैं। वह तो खुला हुआ दरबार है, वहां आपके लिये कोई रुकावट नहीं है। तो मैं पुरजोर शब्दों में इसकी ताईद करता हूं क्योंकि साफ चीज है और हमारे उन विद्यार्थियों को भी यह संतोष मिलेगा कि आज इस सदन के अन्दर भी ऐसे सदस्य हैं जिनके हृदय में हमारे लिये जगह है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इस संबंध में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो नारायण दत्त जी से प्रार्थना करूंगा कि अभी बजट पेश होने वाला है उस समय सारे विषय पर पूर्णरूप से विचार करने का आप को मौका मिलेगा।

जहां तक यह प्रश्न है मैं आपसे निवेदन करूं कि रिहन्ड में एक डिवीजन पहले से काम करता रहा है। उनको कदाचित् पता नहीं है कि रिहन्ड में जो डिवीजन पहले से था वह इर्रीगेशन का था। अब वहां पर बिजली वाला डिवीजन कायम किया गया। पहले जो रिहन्ड का काम शुरू किया गया था तो वह फिर बन्द हो गया। पिछले साल से यह फिर शुरू किया गया है। जो सिंचाई का डिवीजन है वह सिंचाई के लिये पानी का इन्तजाम करेगा। वहां से बिजली भी पैदा की जायगी तो उसके लिये बिजली का डिवीजन कायम किया गया है और वह हाइड्रोएलेक्ट्रिक के लिये काम करेगा।

जहां तक गंग सर्किल, बड़की का सवाल है वहां पर पहले हाइडल डिवीजन ही काम करता रहा है लेकिन बाद में धीरे-धीरे काम बढ़ते बढ़ते ११-१२ डिवीजन हो गये और काम करने में कुछ दिक्कत होने लगी। अब उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उस इलाके में बहुत से ट्यूबवैल लगे हैं और उनको चलाने का काम अभी बाकी है जितना स्टाफ है उसके लिये इन्तजाम करना जरूरी है। वहां पर इतना काम अभी बाकी है कि जिसके लिये काम करने की भी जरूरत है और सुपरवीजन करने की भी जरूरत है। अब वहां पर १२-१३ डिवीजन हो गये हैं और हम अपने यहां पर एक डिवीजन में इतने सर्किल नहीं रखते हैं क्योंकि उनके सुपरवीजन में कमी पड़ती है। इसलिये इसके दो हिस्से किये गये हैं। इस हिसाब से बहुत खर्चा भी नहीं बढ़ा है।

जहां तक सारदा बिजली घर की बात है वहां पर एक जनरेशन डिवीजन नलकूपों की योजना के संबंध में बनाया गया है। उम्मीद तो यह थी कि हम इसको अपने बजट से मीट कर लेंगे मगर वैसा नहीं कर सके इसलिये आपसे उसकी मंजूरी की मांग की है।

जहां तक इस डिपार्टमेंट की कमजोरियों का प्रश्न है मैं समझता हूं कि बजट सामने आने वाला है। २, १ दिन के बाद साधारण विवाद के समय अवसर मिलेगा। उस समय यह सब गौर कर लिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवा—मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०-सिंचाई और जल विद्युत स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत ३,७०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत-३,३६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

इसका जो ब्योरा है वह इस मेमोरेंडम में दिया हुआ है। इसलिये मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अगर आप अनुदान १२ को भी इसी के साथ पेश करदें तो अच्छा है दें दोनों पर एक दफा बहस करना चाहते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२-कमिश्नरी और जिला प्रशासन का व्यय-लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,८८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ११ और १२ में एक रुपया कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्मृतिपत्र में कहा गया है अनुदान संख्या ११ के संबंध में कि "विधान सभा के सदस्यों के यात्रिक और दैनिक भत्तों पर होने वाले व्यय को पूरा

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

करने के लिये चालू वर्ष के मूल बजट में ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। विधान संबंधी कार्यक्रम अधिक होने के कारण राज्य विधान सभा की बैठकें अधिक हुईं जिसके फलस्वरूप वर्तमान व्यवस्था में ४ लाख रुपये की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।" इस संबंध में जहां तक मुझे जानकारी है और बहुत सख्त एतराज की बात है और मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं उनको और मंत्रिमंडल के सदस्यों को इस तरफ अधिक खयाल करना चाहिये। मैं जानता हूं कि माननीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जो हमारे देश के सब से बड़े व्यक्ति हैं लखनऊ में आये हुये थे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के जलसे में सम्मिलित होने के लिये, उस समय बनारस में, अगर मैं भूलता नहीं हूं, सूबा कांग्रेस कमेटी का जलसा था और हैदराबाद में जब कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जलसा था मेरा पूरा विश्वास है कि इन तीन अधिवेशनों में कांग्रेस के सदस्यों को शामिल करने के लिये तीन तीन छुट्टियां दी गयी थीं और मैं एक माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं और न माननीय मंत्री जी का नाम लेना चाहता हूं, पिछली बार जो छुट्टी हुई थी माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के आगमन के वक्त में एक सम्मानित सदस्य ने कहा था मेरे सामने मंत्रिमंडल के एक सदस्य से कि इस वक्त कांग्रेस कमेटियों का चुनाव है, दो दिन की छुट्टियां बीच में पड़ती हैं और दो दिन बच जाते हैं इसलिये अगर ये दो दिन भी शामिल कर लिये जाते तो पांच, छै दिन की छुट्टी में चुनाव का सारा काम हम लोग कर सकते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही स्तम्भित हुआ यह सुन कर और नतीजा इसका यह निकला कि इसी लिये असेम्बली बन्द कर दी गयी और माननीय सदस्यों को आने जाने का किराया और भत्ता दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि चार लाख रुपये की जो कमी हुई है उसका यही कारण है कि तीन-तीन बार असेम्बली इसी लिये बन्द की गयी कि कांग्रेस का जलसा था, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे और कांग्रेस कमेटी का चुनाव था। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को और ऐसे सम्मानित सदस्यों को जो कि नैतिकता का स्तर ऊंचा करने की बात करते हैं इधर बहुत जोर देना चाहिये कि असेम्बली इस तरह से बन्द न हो और गलत तरीके से जनता के पैसे को खर्च करके उसके शोषण को चालू न रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या १२ के संबंध में मुझे यह कहना है कि अदालतें अगर ठीक तरह से काम करने लगें तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक चोरी, डकैती, कत्ल और तरह तरह की बातें बचाई जा सकती हैं। लेकिन अदालतें आज बहुत गलत तरीके से काम कर रही हैं। मैं तो रोजाना देखता हूं मैं शिकायत के तौर पर यह कहना नहीं चाहता हूं लेकिन यह देखता हूं कि मैजिस्ट्रेटों के जिम्मे इतना काम दिया गया है कि शायद ही कोई मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर ऐसा हो जो कि अदालतों में ठीक वक्त से बैठता हो और मुकदमों को देखता हो। मैं शिकायत के तौर पर नहीं कहूंगा लेकिन आजमगढ़ जिले की एक बात कहूंगा। इसी सदन में एक सवाल किया था और उसका उत्तर माननीय न्याय मंत्री ने दिया था कि तीन-तीन साल के मुकदमें अदालतों में अब तक पड़े हुये हैं। मैं खयाल करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जब विरोधी दल में इधर बैठते थे उस वक्त की अदालतों में और आज की अदालतों में बहुत फर्क हो गया है। आज की अदालतें नेतागीरी का काम करती हैं। जो मैजिस्ट्रेट हैं और कलेक्टर हैं वे घूम २ कर लेक्चर देते हैं और उसी दिन मुकदमों की तारीख छोड़ते हैं जिस दिन उनको देहात में जाना होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि एक तरफ जिस कलेक्टर को मुकदमे का फैसला करना होता है सरकारी काम से जाता है और एक तरफ जनता गवाहों को लेकर अदालत में न्याय प्राप्त करने के लिये आती है और अदालत के न रहने के कारण फिर वह निराश हो करके वापस चली जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से दो तरफा नुक्सान होता है। मैजिस्ट्रेट का भत्ता अलग बनता है और उसको तनख्वाह अलग दी जाती है और जो जनता अदालत में न्याय पाने के लिये आती है उसका नुकसान अलग होता है। इसलिये तीन-तीन चार-चार साल के मुकदमे अदालतों में भरे पड़े हैं। और मेरा विश्वास

है जब तक ऐसे कामों को रोका नहीं जायेगा, तब तक जनता सस्ता और शीघ्र न्याय नहीं प्राप्त कर सकेगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मेरा निवेदन है कि अनुदान संख्या १२ से कोर्ट्स का कोई संबंध नहीं है। इसमें तो जिले के शासन का विषय है। हमारे माननीय मित्र जो कचेहरियों की बात कर रहे हैं, कचेहरियों से इसका कोई संबंध नहीं है। जिला कार्यालय और वहां जो क्लर्कों की भरती की गयी है और उस संबंध में जो ज्यादा खर्च बढ़ा है, उसका यह विषय है और न्याय और कचेहरियों से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संबंधित अनुदान पर ही अपना भाषण दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या १२ में जिला प्रशासन लिखा हुआ है और मैं समझता हूं कि कचेहरियों का ताल्लुक उससे है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब से यह सरकार बनी है तब से ही अदालतों में बहुत ज्यादा मुकदमों की भरमार हो गई है और इसी लिये जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हुई है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय उनकी नौकरी अभी तक निश्चित नहीं की गयी है और मैं देखता हूं कि जिस तरीके से उनको काम करना चाहिये उस तरीके से वे काम नहीं क ते हैं। उसका नतीजा उपाध्यक्ष महोदय मैं देखता हूं कि जुडीशियल मैजिस्ट्रटों के संबंर में रिश्वत लेने की बहुत सी शिकायतें हैं। मैं अपने जिले के एक जुडीशल मैजिस्ट्रेट का नाम नहीं लूंगा लेकिन वह काफी बदनाम थे। जब उनकी बदली दूसरे जिले को होने लगी तो उन्होंने इस्तीफा दे करके वकालत करना प्रारम्भ कर दिया। इसका क्या कारण था? इस का एक ही कारण हो सकता है कि जुडीशल मैजिस्ट्रेट अपनी नौकरी को निश्चित नहीं समझते हैं। अगर उनकी नौकरी निश्चित हो जाती तो मेरे ख्याल में लोगों को इस तरह की शिकायत नहीं होती। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिम्मेदारी से कार्य करते तथा रिश्वत आदि की भी शिकायतों से वंचित रहने की विशेष कोशिश करते। तो मैं इस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की नौकरी स्थायी होनी चाहिये और जिला मैजिस्ट्रेट के जिम्मे जो और तरह तरह के काम दिये जा रहे हैं उन कामों के संबंध में देखभाल होनी चाहिये। तीन तीन चार चार छः छः साल से लगातार अपीलें पड़ी हुई हैं। मैं अपने जिले की बात कहता हूं मैजिस्ट्रेटों और डिप्टियों के यहां १०७ और १४५ के मुकदमें हजारों पड़े हुये हैं। इसी सदन में न्याय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि १०७ के मुकदमे डेढ़ हजार पड़े हुये हैं। जिले की २२ अदालतों में ८ हजार कई सौ मुकदमे पड़े हुये हैं और जनता को बड़ी परेशानी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजमगढ़ में तीन साल पहले एक अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट इसलिये नियुक्त किया गया था कि वह अपीलें सुने कलेक्टर के जिम्मे इतना काम है कि पूरा समय अपीलों के लिये नहीं दे सकते हैं। ऐसी दशा में आजमगढ़ में अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति अति आवश्यक है। मंत्री और उपमंत्री इतने ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं कि कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मंत्री या उपमंत्री न जायं। इसलिए मैजिस्ट्रेट लोग उन्हीं का प्रोग्राम पूरा करने में लगे रहते हैं और जनता की भलाई से संबंध रखने वाले कार्य पूरा नहीं हो पाता।

इन शब्दों के साथ मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमने जो सुझाव दिये हैं उनको स्वीकार करेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला बेलरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के पास करने के पहले मैं दो एक बात निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि अगर हमारी गलतफहमी है तो उसको वह दूर कर देने की मेहरबानी करेंगे। इसमें एक खासी रकम इस पर खर्च की गयी है या की जानी है। विधान सभा की बैठकें ज्यादा हुईं और उसके लिये भत्ते और किराये के मद में उसको खर्च किया गया।

[श्री गेंदा सिंह]

इसमें कोई शक नहीं कि हमारा सूबा बड़ा है और उसके लिये कानून बनाना भी होता है। बड़ा काम करना होता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हमने कई कानून पिछले कुछ महीनों में पास किये और उन कानूनों में से एक आधा ऐसा भी था जिसके लिये दस-दस ग्यारह ग्यारह बजे रात तक भी बैठना पड़ा। दूसरों के लिये मौका नहीं मिला कि हम उन पर विचार कर सकें इतनी जल्दी। यहां तक कि मनोमालिन्य भी पैदा हुआ और आखिरी कदम उस नाराजगी का जो हम उठा सकते थे वह भी उठाया। हमने वाकआउट किया।

दो कानूनों की तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट है। इस कानून में जब संशोधन आया था तो उस समय हमने निवेदन किया कि इसमें कुछ ऐसी धारायें हैं जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और हमारे मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि फौरन ही कोई दूसरी कमेटी बनायी जायगी। इसमें संदेह नहीं कि कमेटी बनी और उसकी कुछ बैठकें भी हुईं। और कमेटी में मुझे भी जाने का मौका मिला था। उसमें जो सब से मुख्य प्रश्न था वह यह था कि गन्ने की कीमत देने में मिल मालिक जो ढिलायी करते हैं उसके लिये कुछ उपाय किया जाय। वह उपाय यह सोचा गया और यह फैसला हुआ कि अगर गन्ने की कीमत बाकी रहे तो उस मिल मालिक को बकाया पर उत्पादक को सूद देना पड़ेगा। एक तो यह बात हुई और दूसरे यह कि अगर २४ घंटे की मांग करने के बाद मिल मालिक बाकी रखता है और कसदन बाकी रखता है तो ऐसी हालत में जहां उसको साढे सात सौ रुपया जुर्माने की सजा की गुंजाइश कानून में है जेलखाने की सजा देने की भी गुंजाइश कानून में कर दी जाय। इन तमाम चीजों को कर दिया जाय। और उस कमेटी में जिसमें माननीय उद्योग मंत्री सदर थे, हम लोगों ने एक राय से यह कहा कि इस कानून में, शुगर फैक्ट्रीज ऐक्ट में जो संशोधन होना है यह सीजन के पहले हो जाना चाहिये, मिलों के चलने के पहले हो जाय ताकि जो शिकायतें गन्ने के मूल्य की अदायगी में हुआ करती थीं वह अबकी मर्तबा न हों, लेकिन अब जबकि सीजन खत्म होने जा रहा है यह भी मालूम नहीं होता है कि उस कमेटी की सिफारिश क्या है और वह भी प्रकाशित न हो सकी। मुझे यह भी विश्वास है कि अब इस सीजन के पहले पहले वह कभी इस सदन के सामने नहीं आ सकेगी।

मैं किसी की नीयत पर तो शक नहीं करता, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की खिदमत में यह जरूर पेश करूंगा कि अगर किसी मिल मालिक ने २ लाख रुपया किसी कागज में बकाया रखा जिसका ६ प्रतिशत सूद हम बैंक का जोड़ते हैं तो वह ५० हजार रु० से भी ज्यादा होता है, तो अगर उस ५०,००० रु० की बात उठाकर उसको दिलाने के लिये कानून में इस बात की गुंजाइश करने का फैसला किया जाता है तो वह कानून सदन के सामने नहीं आता है और जान बूझ कर के हमारे फैसले की बात भी सदन के सामने लाने में कोताही की जाती है। तो इसका क्या कारण है? उसका स्वाभाविक कारण चाहे जो हो, माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून को पास करने में बड़ी कोताही की गयी जिससे लाखों रुपये का किसानों को नुक्सान हुआ और सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। ३,९०,००० रुपया मिल मालिकों ने पिछले वर्ष का सेस का बाकी रख लिया और वह बकाया पड़ा हुआ है। सरकार ने उसकी उसूली की कोशिश नहीं की। साथ ही शहरी जमींदारों को खत्म करने का कानून न मालूम सदन के सामने कितनी बार आया और चला गया। वह क्यों नहीं पास किया गया? और दूसरे कानूनों के लिये, जिस को मैं समझता हूं बहुत कम जरूरत रहती है उनके पास करने के लिये अगर हम रात को बैठ सकते थे तो क्या इसके लिये नहीं बैठ सकते थे? लेकिन नहीं, दोनों कानूनों को पास न करके बहुत बुरा काम किया गया।

दूसरी बात जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव की है और उस पर ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता हूं। फिर जब मौका आवेगा तो कहूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता

हूं कि अनकन्फर्मड लोगों की बड़ी भारी फौज जो है उसमें रहते हुये सिद्धांत पर चलने में दिक्कत होती है। उनकी तादाद कम की जाय। इस तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान होना चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इस सम्बन्ध में जो बातें कही गयीं, जहां तक वह ग़लत-फ़हमी के कारण नहीं कही गयीं, विचारणीय हैं।

विधान सभा के खर्चे के बारे में कहा गया कि दो तीन मर्तबा कांग्रेस के काम के सिलसिले में बैठकें रुकीं। मैं यह तो नहीं समझता कि विधान सभा की यह इच्छा है, या विरोधी दल यह चाहता है कि अगर एक तरह से छुट्टी देने की जरूरत है, तो इसलिये कि कांग्रेस का काम भी उस बीच में हो पड़ा है, छुट्टी नदी जाय इस तरह की इच्छा शायद उनकी कभी नहीं हो सकती। और यह भी इस विधान सभा के सदस्य जानते हैं कि विधान सभा का कार्य जो होता है वह यथासम्भव सब के सुभीते को देख कर किया जाता है। हम छुट्टियां देते हैं जो हमारे यहां त्योहार होते हैं। अब राष्ट्रीय पर्व भी हमारे यहां हो सकते हैं। उनमें भी छुट्टी देने की आवश्यकता हो सकती है। हमारा दृष्टिकोण जो सामाजिक बातों के ऊपर है, बहुत बदलता जाता है। समयानुकूल नयी नयी समस्याएं होती हैं। नये ढंग से चीजों को देखना होता है। आप देखेंगे कि जब कि पहले नागपंचमी की बड़ी छुट्टी हुआ करती थी, परन्तु आज उसकी कोई अहमियत नहीं रही। और चीजें होती हैं जो कि महत्व की समयानुकूल हो जाती हैं और उसके अनुसार विधान सभा का कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जाती है और जहां तक कि विरोधी दल के सदस्यों का सम्बन्ध है उनको भी अगर किसी बात में असुविधा हो तो उन तारीखों को भी टालने की और उनके सुभीते के लिए भी विधान सभा को इस तरह से करने की जिससे कि कम से कम असुविधा हो कोशिश की जाती है। परन्तु इस तरह का उलाहना करना कि कभी अगर और कारणों से वह छुट्टी हुई हो और उसके साथ साथ कोई इस तरह का मौका पड़ गया हो कि जिससे कांग्रेस का काम भी हो जाय तो यह तो न्यायसंगत बात नहीं है और न यह कोई ऊंची बात है। आखिर इस बात से कोई खर्चे में फर्क नहीं पड़ सकता। हजार पांच सौ रुपया मुमकिन है इधर उधर हुआ हो लेकिन यह लाखों का क्या सवाल है, यह कैसे। मैं तो यह नहीं कहना चाहता कि इस विधान सभा का समय ठीक तरह से उपयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक तरह से उपयोग में लाया जाता है। मगर खर्चे के घटाने की तरफ आज अगर हम नजर रखें तो सम्भव है कि उसकी उपयोगिता की रक्षा करते हुये और भी खर्चा कम कर सकते हैं और समय का सदुपयोग करके और ज्यादा उससे लाभ उठा कर कम खर्चा उठा सकते हैं उसके लिये किसी की जिम्मेदारी निश्चित नहीं। हम सबकी ही जिम्मेदार हैं। परन्तु उसको देख कर मालूम हो सकता है कि किस ढंग से यह लम्बे लम्बे पैमाने से बातें चलती हैं। मुझे कोई उसका विरोध नहीं है और न मैं उसे कोई ऐसी बात समझता हूं जो कि अनुचित है परन्तु हमने तो बराबर चाहा कि शनिश्चर को बैठक हो जाय। जब कभी एकाध दफा होती भी है तो बाज दफा शनिश्चर को बैठक करने के नाम से या रात को देर तक बैठने के नाम से यहां वाकआउट तक हो जाता है। इतनी बात बुरी लगती है।

श्री गेंदा सिंह—इसलिये नहीं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जाहिरा ऐसा ही मालूम होता है कि इसीलिये होता है कि मुमकिन है अन्दरूनी दूसरी बात रहती हो, और बातें हों मगर जाहिरा ऐसा देखा गया कि ऐसा होने से वाकआउट हुआ। अगर इसलिये नहीं तो मैं इसके लिए यह समझता हूं कि हमें यह कहना चाहिये कि हम शनिश्चर का दिन अपने कार्यक्रम का रख दें। एक तो उससे हमारा खर्चा कुछ कम हो सकता है और दूसरे हम बजाय ५ के ६ बजे तक

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कर दें या हम साढ़े दस बजे से साढ़े पांच बजे तक कर दें ताकि कुछ काम ज्यादा निकल सके। अब हमारा काम तो बढ़ता ही जायगा। कम नहीं हो सकता। तो उसके लिये अगर खर्चा कम करना हो तो तरीके निकल सकते हैं मगर यह समझना कि उन तरीकों से असुविधा किसी न किसी को होनी ही चाहिए यह तो ठीक बात नहीं है। फिर भी इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए कि सुविधा जहां तक हो सके हो और उसका उपयोग भी किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी नहीं कहना चाहता कि हमने कितना उद्योग किया। बाज वक्त तो हमें गिलोटीन लाना पड़ा, बाज वक्त विशेष प्रस्ताव पेश करना पड़ा, न करते तो खर्चा न जाने कितना बढ़ जाता। परन्तु कोई मुझे खुशी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि साधारण नीति से हमारा काम चले और जितना जिस काम में समय देने की आवश्यकता है वह दी जाय क्योंकि हमारा लोकतन्त्र शासन है और उसमें जितने भी यहां के सदस्य हैं हम सब को मिल-जुल के काम करना है। जहांतक गवर्नमेंट का ताल्लुक है वह तो सभी दल से और खास कर विरोधी दल से जो कुछ भी बातें उसको मालूम हो सकें उससे फायदा उठाना चाहती है। हर जगह हम नहीं जा सकते। हमारे यहां कमियां हैं। लिहाजा हमें उन्हें छिपाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमें उनको न जानने से कोई फायदा नहीं। हम उन्हें जानना चाहते हैं। लिहाजा हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। जहां तक हमारे काम करने का समय है उसको और भी ठीक करके जो कुछ भी सहायता मिल सके वह और अच्छा है।

फिर कुछ मुकदमों के बारे में कहा गया। सदस्यों को मालूम होगा कि मैं पहले भी कई दफे बतलाया है कि सरकार की तरफ से काफी उद्योग इस बात का किया गया है कि मुकदमे ठीक तरह से किये जायं। जो वक्त मुकर्रर है उसमें मैजिस्ट्रेट सिर्फ वही काम करे। कई को हमने इसके लिये दंड भी दिया है और जब कभी कई बात मालूम होती है तो उसमें हम ऐसा यत्न करते हैं कि जिससे कि इस तरह की बातें न हो सकें। मैं समझता हूं कि यहां तक सही है कि पहले से काफी सुधार इस मामले में हुआ है। मैं खुद काफी इस बात की देखभाल करता हूं और जहां कहीं जाता हूं पूछता भी हूं कि ३ महीने से पहिले के फौजदारी के मुकदमे कितने हैं। उनकी संख्या पहले के मुकाबले में अब बहुत कम हो गई है और हम उसे और कम करना चाहते हैं। आजमगढ़ के बारे में जो कुछ कहा गया, अगर किसी खास मुकदमे का मामला हो तो मैं उसकी जांच करने के लिये तैयार हूं और सम्बन्धित लोगों से जवाब तलब करने के लिये तैयार हूं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के अहकामात की पाबन्दी हो। कहा गया है कि मुक़दमे बहुत बढ़ गये हैं। सम्भव है कि मुकदमे ज्यादा बढ़ने से उतने तेजी से काम न हो सकता हो जितना कि होना चाहिये। मगर अन्डरट्रायल्स की तादाद और नक्शों को देख कर हम कह सकते हैं कि पहले से इस बात में बहुत सुधार हुआ है। मगर इससे हमारा संतोष नहीं होता। हम चाहते हैं कि किसी भी काम में यथासंभव जो कमी दूर हो सकती है उसे दूर करने में किसी तरह की कोताही न की जाय।

एक बात श्री गेंदा सिंह जी ने शुगर के बारे में कही। मैं समझता हूं जितना महत्व वह इस बात को दे रहे हैं अगर पहले से उतना वह देते तो उन्हें नानआफीशियल रेजोल्यूशन लाने से कोई रोक नहीं सकता था। और उनकी पार्टी की ओर से प्रस्ताव आ सकता था। मगर उन्होंने भी उसे इतना आवश्यक नहीं समझा जितना उनको अब मालूम हो रहा है।

श्री गेंदा सिंह—एक बात का। (सप्लेनेशन देना चाहता हूं। यह प्रस्ताव मैं इसलिये नहीं ला सका कि हमसे बराबर यह कहा जाता है कि अब आ जाता है, अब आ जाता है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अब आ जाता है कहने में रिजोल्यूशन लाने में रुकावट नहीं पड़ सकती, मगर मैं उसका कोई गिला नहीं करता हूं। जैसा मैंने कहा था, एक कमेटी तुरन्त मुक़र्रर कर दी गई थी और उसने इस काम को किया। मैं उनसे इस बात में सहमत हूं कि कोई वजह नहीं है कि रुपया रोका जाय और उनको कोई सूद भी नहीं मिले। मैं समझता हूं कि रुपया जल्दी मिलना चाहिये और उसके लिये जो उपाय हो सकते हैं वे होने चाहिये। मगर अब शुगर एसेंशल कमोडिटीज के अन्दर रख दी गई है जिसके कारण हमारे अख्तियार जो पहले थे वह अब नहीं रहे हैं। इसके बारे में अभी लिखा पढ़ी चल रही है और जब तक इसकी सफाई नहीं होती हम उसे नहीं कर सकते। बाज दफा कानूनी अड़चनें ऐसी आ जाती हैं कि कोई चीज नहीं हो पाती। परन्तु उसका परिहार हमारे ही हाथ में नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस सीजन में ही हम इस तरफ कुछ कर सकें। हमारी तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं है। एक बात मैं जरूर चाहता हूं कि जो यह समझा जाता है कि सरकार की तरफ से कोई कोताही है यह बात न्याय की बात नहीं है। हमारी इच्छा इसी से प्रकट होती है कि पारसाल २४, २५ करोड़ मन गन्ना हमारी मिलों में पेला गया यानी जो मामूलन पेला जाता था उससे डेढ़ गुना या दो गुना पेला गया। उस वक्त गुड़ की क़ीमत बहुत कम हो गई थी, ७, ८ रुपये मन तक हो गई थी, और गन्ना के न पिलने से लोगों को बहुत नुक़सान हो रहा था। मिल मालिकों के पास इतना मतालबा नहीं था कि वे नक़दी उस गन्ने की कीमत दे सकते क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल महदूद है। अब ४२ करोड़ रुपये का गन्ना मिलों में गया। बमुकाबले और सालों के १७, १८ करोड़ ज्यादे रुपयों का यानी और सालों में सिर्फ २४, २५ करोड़ का जाता था। इस लिये इस खयाल से कि यह गन्ना पड़ा रह सकता है हमने रियायत की और अपने सेस को भी छोड़ दिया कि अगर हम इसे वसूल करेंगे तो मुमकिन है किसानों का गन्ना पड़ा रह जाय। मैं पूछना चाहता हूं गेंदा सिंह जी से कि यह नीति ग़लत थी या सही थी और अगर सही थी तो फिर गिला नहीं होना चाहिये और यह मानना चाहिये कि हमने जो काम किया उससे किसानों को फायदा पहुंचा और उनको १०, १२ करोड़ का जो नुकसान होता उससे वे बच गये। अगर वह नुक़सान उनको पहुंच जाता तो क्या नतीजा होता। तो जो गवर्नमेंट की नीति रही उससे काफी सहारा किसानों को पहुंचा। इसके अलावा गन्ना ऐसी चीज है जो चन्द महीनों के अन्दर न पिल जाय तो बेकार हो जाता है और बोझा बन जाता है और बजाय इसके कि उससे कोई फायदा हो उसे जला कर निकाल देने में उसे अलग से रुपया खर्च करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में करना क्या चाहिये था। क्या ऐसे बर्ताव को हम करते कि चाहे जान चली जाये लेकिन पाउन्ड आफ फ्लेश तो निकाल ही लेना चाहिये या हमारा पाउन्ड तो मिल ही जाय चाहे जो कुछ हो मगर हमारा काम इस ढंग का नहीं रहा है और मैं समझता हूं कि इस पर समझदार आदमी जैसे गेंदा सिंह जी हैं वे गिला करें तो फिर क्या कहा जा सकता है कि शायद उनको ग़लतफहमी है और बाज वक्त विरोधी भावना में बाज चीजें ओझल हो जाती हैं चाहे वह प्रत्यक्ष ही क्यों न हों।

इसके अलावा उन्होंने अरबन एरियाज जमींदारी अबालीशन की बात कही है। वह सदन के सामने है। सेलेक्ट कमेटी से आया है। मगर फिर या तो और चीजों में बहुत वक्त लग जाता है या फिर जब काम और खत्म होता है तो सभी थक जाते हैं और इस "सभी" में मैं विरोधी दल के मित्रों को भी शामिल करता हूं कि उनकी भी थकान हो जाती है तो फिर इसके लिये तो या तो हम सभी कामों को फुर्ती से करें या सारे विवादों में इतना समय दें जितना आवश्यक हो और अपने समय को बढ़ा कर शनिश्चर को भी काम करें और अपने दिन के समय में भी एकाध घंटा बढ़ा दें।

[श्री गोविन्द बल्लभ पंत]

लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसमें कुछ खर्चा जरूर होता है और उस खर्च से हम बच नहीं सकते। आखिर हम सारे जनसमुदाय की सम्मति से, उसकी सहमति से, उसके परामर्श से, उनके प्रतिनिधियों की राय से काम करते हैं तो यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक डिक्टेटर हो तो चाहे कर ले लेकिन इसमें कुछ न कुछ अवसर तो अवश्य मिलना चाहिये और लोगों की राय प्रकट होनी चाहिये और उनको हमें समझने का मौका होना चाहिये तभी जनतंत्र का काम अच्छी तरह से चल सकता है। इसलिये कुछ तो मूल्य हर चीज का देना पड़ता है। लोकतंत्र का कुछ मूल्य तो जरूर देना होता है परन्तु उसका लाभ बहुत बड़ा होता है और इसलिये थोड़े से रुपये की वजह से हमें उस बड़े काम को ओझल नहीं करना चाहिये।

इसी तरह से अहलकारों के बारे में भी है। लोकतंत्र में शासन का काम बहुत सा बढ़ जाता है। कितनी जगहों से उसकी पूछ गछ होती है और उसमें खर्च बढ़ जाता है। यह बात सही है कि जब हम काम लोकतंत्र के अनुसार करते हैं तो उसमें हद दरजे की किफायत करना जरूरी है मगर इसके होते हुये इस बात के लिये भी हमें कोई बड़ा असन्तोष नहीं होना चाहिये। इसके लिये तो हम कहते हैं कि खर्चा बचाने के कामों में हम सब आपस में परामर्श करके कामों को मिलाजुल करके समझबूझ करके करने की कोशिश करते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद कुछ बातों का स्पष्टीकरण हुआ किन्तु इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सका कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मुकद्दमे कम होंगे और जल्दी से जल्दी उनके खत्म करने की कोशिश की जायगी। मैं तो यह चाहता था कि जो मैजिस्ट्रेट्स और डिप्टी मैजिस्ट्रेट्स जिनके जिम्मे अदालतों के देखने का काम है वह और कामों में फंसे रहने के कारण मुकद्दमों को नहीं देख पाते और सारे काम उन्हीं के जिम्मे पड़े हुये हैं और वह अदालत में बैठ नहीं पाते और मुकद्दमे नहीं देख पाते। इसलिये जनता की परेशानी बढ़ रही है। इससे अहलकारों की भी परेशानी बढ़ती है। अहलकार कहें या न कहें लेकिन उनके सामने परेशानी है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी की चिट्ठी जायगी और उससे मुकद्दमे जल्दी फैसल होंगे और उसका नतीजा यह होगा कि मुकद्दमे ठीक तरह से देखे नहीं जायंगे। मुकद्दमों का फैसला तो जल्दी हो जायगा लेकिन इसका बुरा असर होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे कि कुछ जिलों में न्याय और शासन को अलग कर दिया गया है उसी तरह से सारे प्रदेश में हो जाना चाहिये क्योंकि न्याय और शासन के एक ही आदमी के हाथों में होने से व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल पाती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता है जिससे जल्द से जल्द मुकद्दमे खत्म हों और ज्यादा मुकद्दमे अदालत में न आयें।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कहा यह जाता है कि वाकआउट कर दिया जाता है। मुझे स्मरण है कि जिस दिन वाकआउट किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, शुक्रवार को यह प्रस्ताव लाया गया था कि शनिवार को भी असेम्बली होगी। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी विरोधी दल में होते या इतनी छोटी तादाद में उनका बहुमत होता तो मैं समझता हूं कि जो दल बहुमत में होता और उसकी तरफ से यदि ऐसा प्रस्ताव आता तो वह भी वही करते जो हम लोगों ने किया। इसी कारण हमारी पार्टी ने उस दिन वाकआउट करना पसन्द किया था क्योंकि इतनी जल्दी कार्यक्रम नहीं बदले जा सकते थे। लेकिन अब जब कि शनिवार को एसेम्बली करने का एजेण्डा में आ गया है और हमने उसे स्वीकार कर लिया है कि असेम्बली में बैठेंगे, लेकिन जब कि हमारा कार्यक्रम पहले से बना हुआ है और यकायक ऐसा प्रस्ताव पेश कर दिया जाय तो उसका विरोध करना जरूरी हो जाता है। मैं इन लोगों के साथ

निवेदन करना चाहता हूं कि अदालतों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मुकद्दमों में देरी हो रही है और न्याय और शासन को अलग अलग करने की मांग को वह स्वीकार करने की बात सोचेंगे ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—उन्होंने तो अपना प्रस्ताव वापस ले लिया ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—वापस नहीं लिया है ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—तो जो बातें कही गईं उसके लिये ज्यादा क्या कहूं । जहां तक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स का ताल्लुक है वह जुडीशियल का काम करते हैं और जो एस० डी० ओज० हैं वह आज कल कम्पेंसेशन स्टेटमेंट्स में लगे हुये हैं । एक बात और समझनी चाहिये कि हमारी अब यह पुलिस स्टेट नहीं रही, अब यह वेलफेयर स्टेट है । इसका महज पुलिस से लोगों को पकड़वाने का काम अब नहीं रहा है और केवल मुकदमे ही फैसल नहीं करना है बल्कि लोगों के फायदे के कामों को भी करना है । हम चाहते हैं कि सरकार के अधिकारी अब अपनी तवज्जुह इधर रखें और इसको अपना कर्तव्य समझें कि हम ऐसी ऐसी बातें करें जिनसे जनता का जीवन सुखी हो और उनके जो जीवन का स्तर है वह ऊंचा हो । अभी श्रमदान की बात हुई और भी इस तरह की बातें होनी चाहिये जिनसे जनता में कार्यक्षमता बढ़े और देश का हित हो । इन कामों के करने में हम सरकारी अहलकारों का सहयोग चाहते हैं । जहां तक अदालतों का ताल्लुक है उसके काम को आप्ते से कराने की कोशिश की जाती है और की जायगी । जहां तक जुडिशियल और एक्जिक्यूटिव का सवाल है उस सम्बन्ध में जो हमारी नीति है उसको हम कई बार बतला चुके हैं । जहां तक अदालतों का काम ठीक वक्त पर कराने की बात है मैं बिल्कुल उस नीति से सहमत हूं । उसका हमने उद्योग भी किया और मैं समझता हूं कि पहले के मुकाबले में इसमें सुधार हुआ है परन्तु जो कुछ कमी है भी उसको भी सुधारने की कोशिश की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ११ में १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक : २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,३६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय—लेखा शीर्षक : २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,८८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियां

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि यह अनुदान संख्या १५-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १२,५९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इस मांग में कोई नई बात नहीं है। जो मदें हैं उनमें कोई नया सिद्धांत नहीं है। कोई चर्चा भी नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। मेमोरेंडम में सभी आवश्यक बातें बतलायी जा चुकी हैं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में यह संशोधन पेश करना है कि अनुदान संख्या १५ में एक रुपये की कमी कर दी जाय इसलिये कि मुझे दो तीन सुझाव देने हैं। एक तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जिसके लिये अभी तक हम लोग लड़ते रहे, जेल जाते रहे, डंडे खाते रहे, काल कोठरियों में रहे, सब कुछ किया, इसलिये किया कि हमें पोलिटिकल क़ैदी करार दिया जाय। आज जब यह कहा जाता है कि पोलिटिकल क़ैदी की जमात मान लीजिये तो उस पर इंकार किया जाता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारे भाई अर्जुन सिंह भदोड़िया जो मेहतरों की हड़ताल दिला रहे थे उनको पकड़ लिया गया और उनको सी क्लास में डाल दिया गया है। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि अर्जुन सिंह भदोड़िया का राजनीति के अलावा कोई दूसरा संबंध भी हो सकता है? उनकी गृह पत्नी सरला भदोड़िया भी जेलखाने में पड़ी हुई हैं। इस तरह से पोलिटिकल क़ैदियों की जो श्रेणी है उसे सरकार को जरूर मान लेना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह पता चला है कि चन्द्रप्रभा बांध पर जहां काम हो रहा है वहां पर एक तो हमारे क़ैदी भाई काम कर रहे हैं और कुछ बाहर के मजदूर काम कर रहे हैं। इन दोनों की मजदूरी में फ़र्क़ है। बाहर वालों को कम दिया जाता है जब कि वे अपने आप अपनी मेहनत से झोपड़ी बना कर रहते हैं लेकिन जेल के जो क़ैदी हैं उनको सरकार की ओर से कैम्प दिये जाते हैं और मजदूरी भी ज्यादा दी जाती है। मैं समझता हूं कि मजदूरी में समानता होनी चाहिये।

तीसरी बात यह है जिसको हम बराबर कहते चले आ रहे हैं कि हमारे अलीगढ़ की कोतवाली में हवालात है उसमें क़ैदियों के टट्टी पेशाब का कोई इंतजाम नहीं है। इसके लिये हमने सन् ३७ से आवाज उठाई थी लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब कुछ इन्तजाम जल्दी कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कुछ बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन हमारे मित्र मलखान सिंह जी ने इस प्रश्न को उठाया है कि जेलों में राजनैतिक क़ैदियों का क्लासिफिकेशन किया जाय तो मैं उनको माननीय गृहमंत्री जी की ओर से कुछ जवाब देदेना चाहता हूं ताकि उनको तसल्ली हो जाय। बात यह है कि कांग्रेस वालों को तो अब जेलों में जाना नहीं है नहींतो अब तक कभी की क्लासीफिकेशन की बात हो जाती फिर अगर पोलीटिकल प्रिजिनर्स का क्लासिफिकेशन कर दिया जायगा तो ठाकुर मलखान सिंह अपर क्लास में रोज जेलखाने दौड़ने लगेंगे। नहीं तो कोई वजह ऐसी नहीं थी कि ऐसा न होता क्यों कि इस चीज के लिये तो हम सब बहुत पहिले से लड़ते ही चले आ रहे हैं कि किसी राजनैतिक कार्यकर्ता को क्रिमिनल क़ैदी के साथ न रखा जाय। मैं आशा करता हूं कि गृहमंत्री जी इस पर अब विचार करेंगे और शीघ्र ही ये क्लासेज हो जायेंगी यानी अगर कोई आदमी सत्याग्रह करता है तो उसको पोलीटिकल प्रिजिनर्स की कैटेगरी में रक्खा जाय। मगर वह सार्वजनिक कार्य के लिये किया गया हो तो!

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं माननीय मलखान सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये गृह मंत्री जी से उपमद (च) की ओर ध्यान देने का निवेदन करूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि "भोजन व्यय, वस्त्र और बिस्तर के लिये की गयी व्यवस्था में ३,६१,९०० रु० से कम पड़ गयी है जिसके कारण क़ैदियों की औसत दैनिक संख्या में तथा खादी के वस्त्रों के मूल्य में वृद्धि होना है।" इसमें यह स्पष्ट होना चाहिये कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है। जब कि आंकड़े उपलब्ध हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिये।

इसमें दूसरी मद (ङ) की इस प्रकार है :---जनोपयोगी योजनाओं में क़ैदियों को काम में लगा कर उन्हें फिर से बसाना---मूल बजट में केवल दो लाख रुपये के धनराशि की व्यवस्था

उस समय की गयी थी जब कि सम्पूर्णानन्द कैंप के खोलने पर होने वाले व्यय के ब्योरेवार तखमीने उपलब्ध नहीं थे। अब यह आशा की जाती है कि वास्तविक व्यय बजट में यह पूछना चाहूंगा कि बिना तखमीने उपलब्ध हुये २ लाख रुपये की मांग किस प्रकार की गयी और यह कि आज जो पैसा मांगा जा रहा है उसके तखमीने उपलब्ध हैं या नहीं। अगर तखमीने उपलब्ध हैं तो क्या माननीय मंत्री जी पूरे तखमीने बतलाने की कृपा करेंगे? तभी यह अनुदान मंजूर होसकता है।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मद—क जेल की उपमद (ज) हवालात के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोग पहिले जेलों में जाया करते थे तो जेलों के बारे में यह सोचा करते थे कि जब हमारी हुकूमत होगी तो जेलों का सुधार होगा और उस वक्त जेलों को नर्क समझा जाता था लेकिन जब कि हमें अपने हुकूमत के अन्दर भी जेलखाने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जेल की हालत हमने देखी तो हमने पाया कि जेलों में वही हालत है। थोड़ी सी लोहे की तसलों में जरूर तब्दीली हो गयी है। तब्दीली के अन्दर हमने यह भी देखा कि जहां कम आदमी के रहने की जगह है वहां ज्यादा आदमी भर दिये जाते हैं। जहां ६०,६५ आदमियों के रहने की जगह है वहां क़रीब क़रीब २०० आदमी रखे जाते हैं और वे बराबर बन्द रखे जाते हैं। इस अनुदान में एक मद आया है विस्तर और वस्त्र के लिये। मैं तो जाड़े के दिनों में कसया हवालात में गया था और वहां मैंने देखा कि हवालात में क़रीब क़रीब १७५ हवालाती बन्द थे, और उनमें से आधे आदमियों के पास कम्बल थे जो कि फटे पुराने थे। दो आदमियों के बीच में एक कम्बल था इस तरह से दो आदमी तो कम्बल पर सोते थे और दो आदमी बैठ बैठ कर रात गुजारते थे। मैंने देखा कि वहां ऐसी अव्यवस्था थी कि हवालात की दीवाल को अगर कोई क़ैदी पार करना चाहे तो वह भाग सकता था। मैं देवरिया जिले के कसया हवालात की बात कह रहा हूं। हमारे यहां जो सत्याग्रह चल रहा था उस सिलसिले में मुझे भी जेलखाने जाने का मौक़ा मिला। वहां जाकर मैंने देखा कि उन जेलों में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। बिस्तर वगैरह की कमी तो है ही जहां ६५ आदमी की जगह है वहां २०० आदमी रखे गये थे इतने लोगों के बीच में पाखाने के कुल १०,१२ खड्डे थे। दूसरे वहां खाने पीने की व्यवस्था भी वैसी ही देखने में आयी जैसा कि हम पहले देखते थे। जहां पहले एक वक्त चावल दाल और दूसरे वक्त साग दिया जाता था वैसे ही अब भी दिया जाता है। इसके अलावा जो कर्मचारी वहां रहते हैं उनके लिये क्वार्टर का प्रबंध नहीं है। अगर उनके यहां कोई रहने के लिये मेहमान आ जाता है तो उनको बड़ी परेशानी होती है। उनके यहां फर्नीचर आदि का भी प्रबन्ध नहीं है। खाना बनाने की जगह नहीं है। तो इन तमाम अव्यवस्था को देखते हुये मैं समझता हूं कि इसमें सुधार होना चाहिये। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में दो तीन प्रकार के आक्षेप हुये हैं। एक आक्षेप तो श्री मलखान सिंह जी ने यह किया....

श्री मलखान सिंह—मैंने कोई आक्षेप नहीं किया बल्कि सुझाव दिया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ठीक है, मैं कोई निन्दा करने के तौर पर नहीं कह रहा हूं। उन्होंने यह कहा कि अलीगढ़ के लाक अप की हालत ठीक नहीं है, वहां सैनिटरी अरेंजमेंट अच्छा नहीं है। उसकी बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं उनका कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया और मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि वहां जो कमी है वह यथासंभव जल्दी दूर हो सके।

दूसरी शिकायत हमारे एक मित्र ने की। उन्होंने यह कहना शुरू किया कि अब भी जेल वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे। मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं तीन रोज से कहता आता हूं कि हममें से कुछ लोगों को गद्य कविता और अतिशयोक्ति से काम लेने में ही कुछ अधिक सुविधा

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

होती है और यदि किसी को इस क़िस्म की बात करने में रस आता है, कुछ आनन्द मिलता है। तो उस आनन्द को छीनना भी एक प्रकार का जुल्म ही है और मैं ऐसा जुल्म करना नहीं चाहता वे शौक़ से ऐसा कह सकते हैं। परन्तु मैं भी जेल में रहा हूं और शायद उनसे ज्यादा मर्तबा जेल में रहा हूं और ज्यादा समय तक रहा हूं। मैंने देखा है कि जेल पहले कैसा होता था,, बीच में कैसा था और आजकल कैसा है। और मैं बग़ैर किसी बात को सोचे हुये, गम्भीरता के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई मुक़ाबिला नहीं है जेल के प्रबंध का आज के और पहले से। हां यह ठीक है कि यदि किसी ने यह सोच रखा हो कि जेल कोई स्वर्ग बनाया जाय तो वह स्वर्ग नहीं बन सकता है। जेल स्वर्ग बनना चाहिये या नहीं बनना चाहिए इस पर दो रायें हो सकती हैं लेकिन मनुष्यता का ख्याल रखते हुये और जो साधन हमारे प्रदेश में हैं उनको देखते हुये हमारे यहां जेल के प्रबंध में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। एक बात और है जिसका जिक्र वह कर रहे थे कि देवरिया में हवालात की जगह कम होने से वहां लोगों को तक़लीफ़ हुई। यह बात सही है कि देवरिया में जेल की इमारत तैयार नहीं थी और एक समय ऐसा आया कि देवरिया की हवालात में जितनी जगह थी उससे ज्यादा आदमी वहां पर रखने पड़े। किस वजह से ऐसा हुआ मैं उसके क़ानूनी पहलू पर कुछ नहीं कहना चाहता कि किसका कसूर था और किसका नहीं था मैं इस बात को नहीं जानता। लेकिन एक फार्म के संबंध में कुछ झगड़ा हुआ जो उसका मालिक समझा जाता था उसमें और कुछ लोगों में। उस सिलसिले में १०० से ऊपर आदमी गिरफ्तार किये गये। देवरिया की हवालात छोटी है और क्योंकि सूरत ऐसी पैदा हो गयी कि इतने ज्यादा आदमियों को वहां पर बन्द करना पड़ा। ऐसी दिक्क़त कहीं पर पैदा हो सकती है। हमारे और आप के घर में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि कोई मौक़ा ऐसा आ जाय कि जगह से ज्यादा आदमियों को रखना पड़े। इसी तरह से अगर कहीं पर ला ऐण्ड आर्डर मे गड़बड़ हो जाय और वहां पर मजबूरी की हालत में कुछ ज्यादा आदमियों को बन्द करना पड़े तो यह एक मजबूरी की हालत हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग गड़बड़ी करें और उनको गिरफ्तार न किया जाय। मैं जानता हूं कि देवरिया की हवालात छोटी है और जितने आदमियों को वहां पर रखना पड़ा उतने के लिये वहां जगह नहीं थी। पूरा पूरा इन्तजाम वहां पर नहीं हो सकता था। लाइट की दिक्क़त थी, जगह की कमी थी रहने की कमी थी। इस चीज को पूरी तरह से हम महसूस करते हैं और इस तरफ हमने ध्यान दिया। इस तरफ गेंदा सिंह जी ने भी हमारा ध्यान दिलाया और वहां के जिलाधिकारियों ने भी ध्यान दिलाया और उन्होंने कोशिश की जितनी जल्दी हो सके वहां बोझा कम किया जाय और वहां से कुछ लोगों को गोरखपुर तबादला किया गया। इस तरह का ख्याल किया जाता है और सही है कि देवरिया की जेल बन जाने के बाद अगर फिर इस क़िस्म की घटना हो गयी और १००,२०० आदमियों को गिरफ्तार किया गया तो आगे तकलीफ़ नहीं होगी यह मैं उनको विश्वास दिलाता हूं।

यह जो चन्द्रप्रभा डैम बन रहा है वहां पर क़ैदी और मजदूर दोनों काम करते हैं। मजदूरों को भी वही मजदूरी दी जाती है और क़ैदियों को भी वही मजदूरी मिलती है। मजदूरी की दर में कोई फ़र्क़ नहीं है। एक बात जरूर है कि वहां पर जो काम होता है उसमें मजदूर तो काम करते ही है क्योंकि उनको तो पैसे का लोभ होता है मगर उनको डबल लालच होता है। उनको खाना भी मिलता है और मजदूरी भी मिलती है। इस वजह से उसमें कुछ थोड़ा सा फर्क़ मालूम होता है वैसे कोई दर में कोई फ़र्क़ नहीं है।

एक सवाल और उठाया गया कि खादी और दूसरे कपड़े म कितना फ़र्क़ किया गया है। इसको नहीं बतलाया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि बजट में जो पेश किये जाते हैं और उनके अन्दर जो रक़म रखी जाती है वह सब पहले फाइनेंस कमेटी के सामने आती है और उस फाइनेंस कमेटी में इस सदन के बहुत से सदस्य होते हैं। जो रक़म वह कमेटी स्वीकार करती है वही रक़म बजट में आती है चाहे वह पूरा बजट हो या सप्लीमेंट्री हो और वहां पर हरएक आइटम

का ब्योरा रहता है। इसमें वह पूरा ब्योरा नहीं आ सकता है और अगर इस तरह से किया जाय तो काम नहीं चल सकता है। खादी के कई रेट हैं उनका पूरा ब्योरा नहीं दिया जा सकता है। एक सवाल था जिसका जिक्र नारायण दत्त जी ने कल दिया था मैं समझता था कि रात को आराम से सो जाने के बाद उनके मन में इस तरह की शंका नहीं रहेगी। यह हो सकता था कि किसी काम के लिये ३ लाख रखा गया हो और बाद में हिसाब में किस प्रकार से जरूरत और हो जाय और वह खर्चा ३ लाख का हो जाय। हो सकता है कि यह किसी पोथी में लिखा हो कि जो चीज किसी पार्लियामेंट के सामने पेश की जाय तो उसका पूरा पूरा ब्योरा देना चाहिये। साधारणतः ऐसा होता है कि बजट मैनुअल के अलावा और चीजें भी देखनी होती हैं और साधारणतौर पर ऐसा किया जाता है लेकिन ऐसे लोग जो हर मौके पर रिवोल्यूशन की बात करते हैं उनको मालूम होना चाहिये कि इस तरह से रिवोल्यूशन का क़दम नहीं उठाया जा सकता कि थोड़े से रुपये, आने, पाई की बात हो तो उसमें भी वही चीजें ले आयी जाय। पारसाल जब डैमी के लिये मांग आयी थी तो उसमें २ लाख रुपया बजट में रखा गया था और मेमोरैन्डम में भी उसका जिक्र कर दिया गया था, और गोल रकम रख दी गई थी वह एक बिलकुल नयी चीज थी, एक नया काम था और उससे पहले हमारे सामने किसी प्रदेश की कहीं की कोई नजीर नहीं थी और चूंकि वह नया काम था इसलिये हमारे लिये यह सम्भव था कि हम उसका कोई अन्दाजा लगा सकते थे कि उसमें किस किस जगह कितना कितना खर्च होगा, इसका अन्दाजा हो ही नहीं सकता था। इसलिये उस वक्त २ लाख रुपया रख दिया गया था। जब ठीक ठीक काम का ब्योरा हमारे पास हो तभी हम सदन के सामने पूरे तौर से आ सकते थे। उसको हमने ही मंजूर नहीं किया था बल्कि उस वक्त सदन ने ही आंख खोल कर उसको माना था और अब अगर इस तरह का आक्षेप किया जाता है तो वह आक्षेप सदन पर ही होगा, हमारे ऊपर नहीं हो सकता। मैं एक ही बात कहूंगा कि यह पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर है और उसका यह एक कन्वेन्शन है कि कोई भी सदस्य सदन में मान्य चीज पर कोई आक्षेप नहीं करता। उस समय सदन ने खूब आंख खोल कर २ लाख की गोल रक़म को स्वीकार किया था, अब सदन की कलेक्टिव विजडम के बारे में कुछ कहना मैं तो मुनासिब नहीं समझता हूं। अब इतने दिनों तक काम हुआ है, फिर हमारे सामने मालूम नहीं क्या क्या जरूरतें आ सकती हैं क्या क्या फ़ोरसी किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता, फिर खर्च हो, हिसाब पूरा हो, एकाउन्टेंट जनरल के यहां से हिसाब तैयार हो तब पता लगेगा लेकिन हम क़ैदियों का खाने का खर्चा बचा ही लेते हैं।

एक बात श्री मलखान सिंह जी ने कही कि हमने डंडे खाये उस में हमको और उनको सभी को तक़लीफ़ जरूर हुई लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि उन्होंने डंडे खाये इसलिये वह पोलिटिकल प्रिजनर बने, उन्हों ने डंडे खाये भारत की स्वतंत्रता के लिये और उनका वह काम पूरा भी हुआ, कोई पोलिटिकल प्रिजनर बनने के लिये उन्होंने या हमने डंडे नहीं खाये। मैं ने पहले भी कहा था और आज भी कहा कि हम सब को सोचना चाहिये कि यह क्लासिफिकेशन करना कोई आसान चीज नहीं है। एक दो दफ़ात ऐसी हैं जैसे १२०,१२२,१३० और १२४ वग़ैरा और बाक़ी सब ऐसी हैं कि जिनको पोलिटिकल दफा कहा ही नहीं जा सकता है।

श्री मलखान सिंह—पुराने इंडियन पैनल कोड को बदल दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके पोलिटिकल और नानपोलिटिकल मोटिव को देख सकते हैं, कुछ उस आदमियों के कामों को देख सकते हैं। आज कल आदमी के रहन-सहन को देख कर भी उसको ए श्रेणी वग़ैरह में रखा जाता है, उस के स्टेट्स को देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी तरीक़ा निकल सकता है लेकिन पोलिटिकल या नान पोलिटिकल क्लासीफिकेशन करना जरा मुश्किल काम है। जिस सैक्शन का आफेंस है उसके मुताबिक़ बटवारा हो सकता है। साल्ट ऐक्ट तोड़ा गया, वह कोई पोलिटिकल दफ़ा नहीं थी लेकिन अगर हजारों लाखों आदमी किसी दफा को तोड़ने लगें और ऐसे लोग कि जिन के पोलिटिकल होने में शंका नहीं तब तो बात मानी जा सकती है कोई भी पोलिटिकल दफ़ा ऐसी हालत में आ सकती है, कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है या कोई इस तरह का तूफ़ान आ जाय लेकिन साधारणतः यह असम्भव है कोई भी आदमी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

किसी पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर हो और अगर वह कोई जुर्म किसी दफ़ा में करता है तो उसको अलग रखा जाय यह नहीं हो सकता । एक आदमी किसी पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर हो सकता है लेकिन वह किसी आदमी को मार भी सकता है। पोलिटिकल मोटिव से भी किसी का मर्डर हो सकता है और नानपोलिटिकल मोटिव से भी किसी का मर्डर कर सकता है। अभी आज मेरे मित्र श्री झारखण्डे राय जी ने बस्ती के एक केस का जिक्र किया और कहा कि उस केस में जो लोग पकड़े गये हैं वे पोलिटिकल प्रिजनर्स में रखे जायंगे या नहीं। उस दफा में जिसमें उन्होंने जुर्म किया दो जमींदारों के मारने के सिलसिले में उनको ट्रान्सपोर्टेशन फ़ार लाइफ़ हुआ, एक को फांसी की सजा हुई थी और एक को ट्रान्सपोर्टेशन फ़ार लाइफ़ लेकिन बाद में फ़ांसी वाले की भी सजा घटा कर ट्रांसपोर्टेशन फ़ार लाइफ़ कर दी गयी। अब हो सकता है कि उन्होंने यह मर्डर बहुत ऊंचे पोलिटिकल मोटिव से किया हो। हो सकता है कि उनका यह ख़याल रहा हो कि इन दो, चार जमींदारों को मार डालने से भारतवर्ष का बड़ा कल्याण हो जायगा, संभव है कि उनका ख्याल बिल्कुल सही हो। लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी निजी दुश्मनी की वजह से उन दोनों जमींदारों को मारा हो। अब कोई शख्स कहे कि हम उनको पोलिटिकल प्रिजनर क़रार दें महज इस वास्ते कि उनका किसी पोलिटिकल पार्टी से संबंध था तो यह तो मुश्किल है। इन सब वजहों से जहां तक पोलिटिकल पार्टी वाली बात है मैं समझता हूं माननीय सदस्य स्वयं ग़ौर कर के देखेंगे कि इस तरह से बटवारा करना संभव और उचित भी नहीं होगा और अन्याय भी हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि छोटी सी रक़म जो मैंने मांगी है इसके मंजूर करने में किसी को कोई दिक्क़त नहीं होगी और यह छोटी सी रक़म बग़ैर एक पैसा कम किये मुझे मिल जायगी।

श्री मलखान सिंह—जो राजनैतिक क़ैदियों के संबंध में बात कही गयी है वह तो मेरी समझ में आयी नहीं और न मैं उससे संतुष्ट हूं। अगर वही क़ानून जो बटिश गवर्नमेंट में था चला आ रहा है तो वह बदल जाना चाहिये या हो सकता है कि वे लोग जो हिंसा से काम लेते हों उनको सरकार कह सकती है कि वे लोग जो हिंसा से काम लेते हों उनको सरकार कह सकती है कि पोलिटिकल क़ैदी न क़रार दिये जायं, लेकिन जो अहिंसा से काम लेते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं और कहते हैं कि हम इस गवर्नमेंट को यहां नहीं रहने देंगे या गवर्नमेंट का नाम लेकर कहते हैं कि हम दूसरी गवर्नमेंट क़ायम करेंगे, उनको गवर्नमेंट पोलिटिकल क़ैदी क़रार देने में क्यों हिचकती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भंगियों की हड़ताल गवर्नमेंट को उलटने के लिये कहां हुई थी?

श्री मलखान सिंह—भंगियों की हड़ताल इसलिये हुयी थी कि गवर्नमेंट की आखें खुलें और जो कुछ भी उन्होंने किया उसमें हिंसा से काम नहीं लिया। इन विचारों को जाहिर करने के बाद मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—जेल—लेखा शीर्षक: २८-जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १२,५९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिय स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक : ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

इसका विवरण स्मृतिपत्र में दिया हुआ है और बहुत छोटी रकम है लिहाजा अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान में मैं १ रु० का कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। यद्यपि शिक्षा मंत्री महोदय ने इसके संबंध में कोई विश्लेषण या भाषण तो नहीं दिया है और हृदय में यह भी महसूस होता है कि शिक्षा के संबंध में जो अनुदान दिया जा रहा है या जो अनुदान शिक्षा के संबंध में प्रस्तुत है उस पर कटौती का प्रस्ताव देना बहुत मुनासिब नहीं है किन्तु इसमें बहुत सी नयी बातें प्रस्तुत की गयी हैं जिन पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

इसमें चार बातों का समावेश किया गया है। सर्वप्रथम क्यूरेटर का विषय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संग्रहालयों का एकीकरण किया जा रहा है या उनकी सुव्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है, किन्तु जो इसमें एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है वह इस तरह से है कि ऐसा विदित होता है कि व्यक्ति विशेष को किसी स्थान पर नियुक्त करने के उद्देश्य से यह विषय यहां पर समावेश किया गया है। हमारे देश में शिक्षा के साथ साथ संग्रहालयों की बड़ी भारी आवश्यकता है और एक नहीं, दो नहीं बल्कि मैं समझता हूं जैसी कि पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय की स्कीम भी थी, कि प्रत्येक शिक्षा संस्था के साथ साथ संग्रहालय का होना आवश्यक है जिससे हमारा भौतिक विकास हो सके, किन्तु इसके साथ अगर यह बात की जाती है कि व्यक्ति विशेष को हम इस पद पर नियुक्त करें, यद्यपि मुझे तो उनका कोई ज्ञान नहीं है, अन्य लोग शायद कुछ प्रकाश डालें लेकिन यह पद जो है यह उपयुक्त नहीं मालूम होता है।

दूसरी बात जो इसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में कही गयी है, यद्यपि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये जो अनुदान रखा गया है या उसका जो इंतजाम किया गया है, प्रसन्नता की बात है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की ओर सरकार का ध्यान है, लेकिन मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं और यह समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी चार पांच यूनिवर्सिटियां हैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी को एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयत्न किया जाय। जितनी यूनिवर्सिटियां हमारे यहां हैं वे अभी पर्याप्त नहीं हैं और आगे चलकर और भी यूनिवर्सिटियों की आवश्यकता होगी। यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सभापतित्व में बनी थी उसमें बहुत सी सुन्दर बातें हैं। यदि हमारी सरकार उस ओर ध्यान दे तो हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठ सकता है और जो बहुत सी कमियां हमारी शिक्षा पद्धति में हैं उनमें उनका सुधार हो सकता है और गोरखपुर में जो ग्रामीण विश्वविद्यालय बनाने का उद्देश्य होना चाहिए उसका स्तर ऊंचा करके यदि उसको बनाया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत उपयुक्त होगा।

यद्यपि यह छोटा सा कटौती का प्रस्ताव है और आगे जब बजट आयेगा उस समय बहुत सी बातें यहां पर कही जायंगी, किन्तु तीसरी बात यहां पर यह कही गयी है कि इलाहाबाद के अन्दर एक कन्या ट्रेनिंग कालेज खोलने का उद्देश्य है, और उसमें जो भाषा लिखी गयी है उसमें यह कहा गया है कि हम पुनर्संगठन करना चाहते हैं। पिछले बहुत दिनों से बराबर अखबारों में या सरकार की तरफ से जितनी विज्ञप्तियां निकलती हैं उनमें पुनर्संगठन का शब्द सुनते हैं और उसको सुनते सुनते कभी थक भी जाते हैं, लेकिन यह देखते हैं कि अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं एक उदाहरण देता हूं जो देश के सामने एक विकट उदाहरण है और वह यह है कि जब बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोले गये तब पेपरों में भी और बड़े बड़े नेताओं के भाषणों में भी आता था और उस समय यह आशा की जाती थी कि बेसिक शिक्षा के द्वारा देश की शिक्षा में बड़ा भारी परिवर्तन हो जायगा, लेकिन हम देखते

[श्री गंगाधर मैठाणी]

हैं कि जिस तरह से उसमें असफलता हुई वह देश के लिये एक बहुत बड़े दुख की बात है। उसी तरह से मैं यह देखता हूं कि कन्याओं के लिये यह ट्रेनिंग कालेज खोला जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर वह चीज जिस उद्देश्य से स्थापित की जाती है वह सफल नहीं होती है तो उससे दुख होता है। उसके साथ साथ यहां पर एक अन्य बात का भी समावेश किया गया है। यहां पर छात्रों के लिये जो थोड़ा सा रुपया रखा गया है मैं समझता हूं कि वह भी पर्याप्त नहीं है। छात्रों के बौद्धिक विकास के लिये उनका शारीरिक विकास आवश्यक है। उनको सैनिक शिक्षा आदि दी जाय जिसके द्वारा कम से कम युवावस्था में और खासकर स्कूल और कालेज की अवस्था में उनका विकास हो सके। इतना कहते हुये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटमोशन उसे पढ़ने की .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को मूव करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—सदन और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षकों और विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता क्यों बढ़ती जा रही है, हड़ताल, गलत जलूस और प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। मास्टर पढ़ाना चाहता है, किन्तु बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनकी इज्जत नहीं करते, प्रतिष्ठा नहीं करते और मास्टर साहबान बच्चों से कम प्यार करते हैं, वेतन के लिये हड़तालें होती हैं और अभी अभी आपको खबर होगी कि आमरण अनशन भी होने वाला है। एक जत्था आने वाला है जो २३ या २४ तारीख से कौंसिल हाउस के सामने प्रदर्शन करेगा। क्या बात है? क्यों ऐसी बातें सुनाई देती हैं क्या विद्यार्थीवृन्द खराब हैं या अध्यापकगण बुरे हैं? इनमें क्यों खराबियां हैं? तो यह अध्यापक गण वही हैं जिन्होंने कांग्रेस की लड़ाई में पूरी सहायता दी थी। पढ़े लिखे भी हैं? और बच्चों ने तो गजब का काम किया। वे स्वतंत्रता के आंदोलन में टूट पड़े जब सन् १९४२ का आंदोलन हुआ और हमारे बड़े-बड़े नेता जेल में चले गये तब न सिर्फ वह जेल गये बल्कि वह फांसी तक पर चढ़ने को तैयार रहे। झंडा लेकर आगे बढ़ते रहे। आपको जान कर खुशी होगी कि कलकत्ता में जब निहत्थे विद्यार्थियों पर धड़ाधड़ गोली चलने लगी तो यही विद्यार्थी गिरते, फिर खड़े होते थे, फिर गिरते थे और फिर खड़े होते हुये आगे बढ़ते जाते थे, गांधी जी ने जेल का सत्याग्रह करना बतलाया था और हिन्दुस्तान के लड़कों ने प्राण दे कर भी सत्याग्रह करना संसार को बतला दिया। वही तबका है जिसने आजादी के लिये शानदार कुर्बानी दी। किसी ने कहा है :—

सफलता पाई अथवा नहीं उन्हें क्या ज्ञात, दे चुके प्राण

यही तबका है कि जिसमें आज अनुशासनहीनता आ गयी है। तो सवाल यह उठता है कि क्या सरकार खराब है? और जो शिकायतें हमारे विरोधी दल के लोग करते हैं वह क्या सच है? अथवा सरकार में स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता आ गई है? किन्तु यह भी गलत है। यहां पर बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, जिन का त्याग जिनकी तपस्या, जिन को सूझ-बूझ प्रशंसनीय है और जिस लगन से, जितनी मेहनत से हमारे मंत्रीगण और हमारे अफसरान काम करते हैं वह भी काबिले तारीफ है।

एक सदस्य—आप भी तो हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—मगर आप हमारे साथ नहीं हैं। "खाक ऐसी जिन्दगी पर तुम कहीं और हम कहीं।" जब तक आप हमारे साथ नहीं आते, तब तक हमें खुशी नहीं है। जिस शान के साथ, जिस भलमंसाहत के साथ, सब के साथ हमारी सरकार ने काम किया

है वह काबिले तारीफ है। मैं तो उस मशीन का पुरजा हूं, मैं अगर तारीफ करता हूं तो कोई तारीफ नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि दिल्ली में इंगलैन्ड के बेविन साहब ने व्याख्यान दिया है जिसमें उन्होंने सरकार की तारीफ की है, यहां की डिमोक्रेसी और काम की भूरि भूरि प्रशंसा की है। वाकई कांग्रेस की शराफत है कि उसने अपने विरोधियों को भी बोलने की, लिखने की और प्रचार करने की इतनी आजादी दे रखी है कि शायद ही किसी अन्य ने दी हो। तब सवाल उठता है कि यह भी अच्छे और वह भी अच्छे अर्थात् टीचर्स भी अच्छे, लड़के भी अच्छे, सरकार भी अच्छी तो फिर हड़ताल क्यों होती है। तो यहां मैं अदब से अर्ज करता हूं कि सरकार की बातें बतलाई नहीं जातीं दूसरी तरफ विरोधी वृन्द ने वहां अखाड़ा बना रखा है स्कूलों, कालिजों और बोर्डिंग हाउसेज में उनका बोलबाला हो रहा है, वह कहते हैं कि बिजनेस मैन, वकला वगैरह तो रिएक्शनरी हैं, इनके पास जाना ठीक नहीं होगा, किन्तु लड़के जोशीले होते हैं उनके पास जाना चाहिये। वहां पर जहां थोड़ी लम्बी चौड़ी बातें कीं तो सब ने कहा ठीक है जहां उन्होंने कहा कि मजदूर बेघर है, गरीब भूखों मरता है, यह पेट्रोल नहीं जल रहा है किसानों का खून जल रहा है, ये ईंटें नहीं चीनी हैं, किसानों की हड्डियां हैं, जमींदारी खत्म हो गई मगर जमींदारों की शिकायतें आज भी बनी हुई हैं, कारखाने उसके माल, मूल्य कन्ट्रोल कर लिया गया किन्तु पूंजीपतियों की निन्दा जहां की तहां मौजूद है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जरा बजट पर भी निगाह डालिये।

श्री सीताराम शुक्ल—अभी तक तो विषय पर बोलता था किन्तु आपकी इच्छा के प्रतिकूल बोला तो बाहर होगया मगर मुझे उपदेश देने से पहले आप भी अपनी तरफ ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा हुआ करता। मैं उम्मीद करता हूं कि आज नहीं तो आइंदा सही आप मेरी बातों पर ध्यान दिया करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि बाहर से विरोधी वृन्द में प्रचार होता है कि किसान मजदूर बहुत परेशान हैं इसलिये इस राज्य को उलटना चाहिये। एक इन्सान के दिमाग में जब यह बात आ जाती है कि गरीब मर रहा है तब वह भी कह देता है कि यह ठीक कह रहे हैं इसके अतिरिक्त कुछ लोग पीली टोपी लगाकर कहते हैं कि हिन्दू धर्म का नाश हुआ जा रहा है। यह सरकार तो मुस्लिम-परस्त है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि जब अयोध्या जाते वक्त लकड़मंडी में टैक्स लगता था तब हिन्दू धर्म की रक्षा होती थी कांग्रेस के आने पर जब वह कर माफ हो गया तो अब नाश होता है। जब अंग्रेजी भाषा में सरकारी काम होता था तब हिन्दू धर्म की रक्षा होती थी और जब कि हिन्दी आ गयी है तो नाश हो रहा है। जब सोमनाथ का मन्दिर टूटा पड़ा था तब धर्म की रक्षा हो रही थी किन्तु जब मंदिर बन गया तो कहते हैं कि धर्म का नाश हो रहा है। इसका क्या कारण है? केवल प्रचार ही नहीं होता है प्रजातंत्र में अच्छे काम करने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि आपकी बातों को पब्लिक जाने। क्या जरूरत है रूस को जो यहां अपना प्रचार करता था वह बहुत पैसा वाला मुल्क नहीं है लेकिन पब्लिक ओपिनियन बड़ी चीज है। यहां अपनी किताबें बेचते हैं, अखबार भेजते हैं और न सिर्फ अखबार और किताबें बल्कि सिनेमा भी होते हैं। अमरीका तो ड्रामा भी कराता है उसने प्रचार करने ही के लिये श्री आइजनहावर की स्पीच को सबके पास भेजा है। इसलिये एक शायर ने कहा है कि—

खींचो न कमानो को न शमशीर निकालो,
जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो।

इस से प्रकट है कि प्रचार कितना महत्व रखता है। मैं प्रतिपक्षी-वृन्द से कहता हूं कोई कांस्टीट्युएंसी चुन लीजिये। आप अपनी बात कहिये, मैं अपनी बात कहता हूं और अगर आप मैजारिटी वोटिंग ले जायं तो मैं आपके साथ हो जाता हूं। लेकिन लड़कों में जब गलत प्रचार होते हैं और उसका उत्तर नहीं दिया जाता तो वह गलती करते हैं। जैसे और

[श्री सीताराम शुक्ल]

विभागों में प्रचार विभाग रखा गया है वैसे ही एजूकेशन में भी हमको प्रचार विभाग रखना चाहिये। हमको ठीक बातें बतानी चाहिये अगर हम बतला दें तो हड़तालें नहीं होंगी तथा विरोधी विद्यार्थी समर्थक बन जायंगे इस लिये प्रचार पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। उक्त विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुये अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूं। विस्तृत कार्यक्रम किसी अन्य अवसर पर पेश करूंगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के संबंध में केवल एक बात कहना चाहता हूं। इसमें नेशनल कैडेट कोर के संबंध में चर्चा है। नेशनल कैडेट कोर में आजकल दो भाग हैं, जूनियर और सीनियर डिवीजन। जहां तक मुझको मालूम है, इंटरमीडियट कालेजेज में जूनियर डिवीजन भी है और वहां पर नेशनल कैडेट कोर है लेकिन जो संस्थायें इस प्रकार की हैं कि जहां केवल हाईस्कूल तक की शिक्षा दी जाती है वहां नेशनल कैडेट कोर का कोई माकूल इन्तजाम नहीं है। मैंने पता लगाया है कि कुछ ऐसी संस्थायें हैं कि जो चाहती हैं कि वह अपने यहां जूनियर डिवीजन की नेशनल कैडेट कोर खोलें लेकिन उनको अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई। मैं निवेदन करूंगा कि जो संस्थायें ऐसी हों कि जिनके पास अपने साधन हों और कुछ संस्थायें ऐसी हैं कि जो सरकार से कुछ रुपया नहीं मांगती हैं केवल यह चाहती हैं कि उनको स्वीकृति दी जाय तो कोई कारण नहीं है कि सरकार उनको स्वीकृति न दे। यह कह कर मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मैठाणी जी के कटमोशन का समर्थन करना चाहता हूं और एक दो बातें सरकार के समर्थन के लिये पेश भी करना चाहता हूं। किसी सरकारी संस्था के संचालक का स्थान बहुत महत्व रखता है। वर्तमान संचालक महोदय जो हैं उनसे मैं समझता हूं कि यह बेड़ा चलने वाला नहीं है। यह बात हो सकती है कि इस वक्त आपको पूरी बातें न बतलावें और फिर सदन को इस बात के बताने की आवश्यकता पड़े कि इसके ये-ये कारण हैं और इसकी आवश्यकता यदि पड़ी तो मैं वह सारी बातें निवेदन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात मैं यह सोचता हूं और वह सिद्धांत की बात है कि जब एक आदमी ने बड़ी खिदमत की और खिदमत करते करते ५५ साल हुए, ५६ साल हुए, ५७ साल हुए तो फिर उस खिदमत का एवज हम बैठा करके भी दे सकते हैं। तो ऐसी हालत में मैं नहीं समझता हूं कि उनको एक्सटेंशन देने की बात पर विचार करना सरकार के लिये किसी तरह से उचित है। अगर किसी आदमी की जरूरत है तो हमारे सूबे में शिक्षा संचालक के स्थान पर ऐसे व्यक्ति को रख देने की.....

श्री हरगोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है कि इन अनुदानों से इस चीज का कोई संबंध नहीं प्रतीत होता।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अनुदानों के संबंध में ही कहें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितने भी अनुदान शिक्षा संबंधी होते हैं उनका संबंध शिक्षा संचालक से है और यह सारा अनुदान शिक्षा संचालक के हाथ में जाकर के ही किसी किसी काम में खर्च होता है। तो अगर शिक्षा संचालक ही ऐसा है कि उसका ठीक ठीक उपयोग न कर पावे तो मैं नहीं समझता हूं कि इस का संबंध है या नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसका संबंध है और मेरी तो पूरी तरह से यह धारणा है कि ऐसे शिक्षा संचालक के हाथ में इस तरह का अनुदान देना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि ग्रांट्स इन एड की अगर फेहरिस्त उठा करके देखी जाय तो उस में कितना पक्षपात किया गया है आप से आप खुल जायगा और मैं वक्त पाकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी की खिदमत में यह पेश भी करूंगा कि कहां

पक्षपात किया गया है और पक्षपात किया गया है या नहीं। मैं समझता हूं कि सिवाय इस क्वालिफिकेशन के कि माननीय शिक्षा संचालक महोदय एक ऐसे व्यक्ति के परिवार के हैं कि जिनका इस हुकूमत में बड़ा हाथ है सिवाय इस क्वालिफिकेशन के दूसरी कोई क्वालिफिकेशन उनमें नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—एक प्वाइंट आफ आर्डर है। क्या कोई भी माननीय सदस्य किसी भी अफसर के बारे में सदन में इस प्रकार का आरोप और आक्षेप कर सकते हैं जो यहां पर उत्तर देने के अधिकारी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस बात का विचार रखना ही चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—मैंने उपाध्यक्ष महोदय, किसी का नाम तो रखा नहीं है और मैंने ऐसे आदमी का जिक्र किया है जिसका संबंध एक संस्था से है। अगर माननीय रामनरेश जी मुझे कुछ कहने से रोकना चाहते हैं और उनकी बुराइयों को रहने देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनकी हुकूमत है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। एक बात मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षा विभाग में ही ऐसे लोग हों जो शिक्षा संचालक बनाये जा सकें। हो सकता है कि हमको बाहर से भी लाना पड़े।

दूसरे बात गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में है। जितना धन देने की कृपा माननीय मंत्री जी ने की है उससे ज्यादा अगर मैं एक उपाय धन का और बताऊं तो मुझे आशा है कि उसे सरकार स्वीकार करेगी। उसमें उसका कुछ खर्च नहीं होगा। वह यह है कि सारे भर में गल्ला मिलों में हजारों गाड़ियां चलती हैं और उनमें सैकड़ों की तादाद में ऐसी रद्द जाती हैं जिनका वारिस लेने वाला कोई नहीं आता। इस रुपये को अगर यूनिवर्सिटी को दिला दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। एक बात यह भी है कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के यूनियनों के संबंध में सरकार कुछ सोच रही है। उसमें मैं समझता हूं कि जो अनिवार्य यूनियन बनाने का इंतजाम था उसे रहने दिया जाय। मैंने तो सुना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ होस्टल हैं जिनमें खाने के लिये कम्पलसरी कानून है कि उनको ३५ रुपया देना होगा, चाहे कोई प्याज खाने वाला हो या न हो उसे परहेज करने का अधिकार नहीं है। यूनिवर्सिटी एक सीखने की जगह है और वहां कुछ मजबूरी होनी ही चाहिये क्योंकि वहां से लोग निकल कर शासक हो सकते हैं। यह होना चाहिये कि उनको संघ में रहने के लिये मजबूर किया जाय। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय या शिक्षा मंत्री कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो विरोधाभास करती हैं। राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों से इस समय ज्यादा समय से नहीं हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां उस रिपोर्ट से विरोधाभास होता है उस पर जरूर गौर करना चाहिये क्योंकि बहुत परिश्रम के बाद और खोजबीन के बाद वह रिपोर्ट तैयार की गई है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इतनी पवित्र बौद्ध गोरखपुर यूनिवर्सिटी को हमारे सामने आई और मैठाणी जी ने उसका विरोध किया और मुझे बड़ा दुख हुआ जब गेंदा सिंह जी ने उसका समर्थन किया।

श्री संयाघर मैठाणी—मैंने विरोध नहीं किया है।

श्री गेंदा सिंह—मैंने भी विरोध नहीं किया है।

श्री शिवनारायण—बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने साफ किया कि आपने विरोध नहीं किया। गोरखपुर में हमारी एक यूनिवर्सिटी बन रही है और वह ऐसे सुन्दर स्थान पर है जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था।

[श्री शिवनारायण]

इसमें विज्ञान के सिलसिले में डिमान्ड की गयी है और उसके लिये एजूकेशन मिनिस्टर साहब की तरफ़ से १०० रुपये मांगे गये हैं। आज संसार में विज्ञान का युग है। इसमें लोग आगे जा रहे हैं तो हम ही क्यों पीछे रहें लेकिन उसमें भी हमारे दोस्त रोड़ा अटकाना चाहते हैं।

डिसिप्लिन के बारे में कहा गया है तो मैं कहता हूं कि बिना उसके काम नहीं चलेगा। कहा गया कि जो प्याज नहीं खाते उसको भी जबर्दस्ती खाना पड़ेगा। मैं पूछता हूं कि आज इन सब बातों की गुजायश कहां है। हम लोग जो शिक्षा संस्थाओं में काम करते हैं वे जानते हैं कि क्या दशा है वहां की और जितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं वह कितना रन करती हैं और हमारी आने वाली संतान को किस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। कहीं सोशलिस्ट्स, कहीं जनसंघ, कहीं हिन्दूमहासभा इन नवजवानों को बिगाड़ती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज ही कहा था कि विद्यापीठ से निकले हुऐ लोग कुछ यहां पर मंत्री हैं और कुछ केंद्र में। तो यह तो आदर्श होना चाहिये शिक्षा का, यह नहीं कि लड़कों को इधर उधर की बातों में फंसा कर बर्बाद कर दें। गेंदा सिंह जी ने कहा कि मिल वालों के पास रुपया है उनसे ले लो। तो हर चीज के लिये गवर्नमेंट से ही नहीं उम्मीद करना चाहिये। आइये चलिये हम और आप चलें उनसे कहें, झोला उठावें और लोगों से इस चीज के लिये भीख मांगें तो हमारा काम चल सकता है। यह नहीं कि हर बात के लिये गवर्नमेंट की ओर देखें।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां सैनिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। हमें हवाई बाज चाहिये, अच्छे जहाज वाले सिपाही चाहिये और इनकी ट्रेनिंग के लिये जहां तक बन पड़े हमें अपनी बागडोर कसना चाहिये और उसके लिये मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को सलाह दूंगा कि उन्हें अपने पग पर डटे रहना चाहिये क्योंकि जो कारनामे आज हम कर जायेंगे वही हमारा रेकार्ड होगा कि हमारे मन्त्रिपद के काल में यह काम हुए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटमोशन माननीय मेथाणी जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और वह इसलिये कि मैं एक डाइरेक्टर की नियुक्ति सारे प्रान्त के संग्रहालय के लिये करने का जिक्र है। यह एक नया तरीका हमारी हुकूमत ने लोगों को बड़ी नौकरी देने का व सीधे नियुक्त करने का निकाला है। इसमें लखनऊ म्यूजियम के जो क्यूरेटर साहब हैं उन्हीं की नियुक्ति हो रही है और कहा गया है कि उनकी तनख्वाह का जो ग्रेड है उसमें वह जहां तक पहुंच चुके हैं और नया ग्रेड जो क़ायम किया जा रहा है उसमें केवल १५ रुपये का अन्तर है यानी सिर्फ १५ रुपये ज्यादा पड़ेंगे। अभी कुछ दिन हुऐ अखबारों में एक खबर छपी थी। लोगों ने पढ़ा होगा कि "मम्मी उड़गई"। हमारे यहां के क्यूरेटर साहब जब विलायत गये तब ईजिप्ट से दो मम्मी लाये। वहां पर एक ऐसा मसाला होता है जो मुरदे पर लगा कर रख देने से बहुत दिन मांस गलता व सड़ता नहीं, रखा रहता है। तो जब क्यूरेटर साहब वहां गये तो वहां से इस प्रकार के दो प्रकार के मम्मी ले आये खरीद कर। उनके लिये तो केस भी बनवाये गये और उनके लिये बढ़ई मथुरा से बुलाये गये। पता नहीं लखनऊ में कोई बढ़ई मिला ही नहीं या क्या बात हुई। लखनऊ के बढ़ई भी तो बना ही सकते थे लेकिन खैर बहुत सी कंट्रोवर्शल बातें अखबारों में इस सिलसिले में आती रहीं जिनकी हमारे पास बहुत सी मिसालें भी रखी हैं लेकिन मैं उसके बारे में इस समय कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और इसलिये भी नहीं कहना चाहता कि बहुत कुछ इस पर आगे बजट के समय कहना है और जो कुछ बाक़ी रह जायगा उसको कहना ही होगा। पर आज उनके खिलाफ़ जो हमारे वर्तमान क्यूरेटर हैं एक इंक्वायरी कमेटी बैठी थी जिसमें हमारे प्रान्त के दो आई० सी० यस० आफिसर्स थे। एक तो सनवाल साहब थे और दूसरे सप्रू साहब थे। पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ क्यों नहीं वह रिपोर्ट पेश होती? उन्हीं को आज हमारी सरकार डाइरेक्टर आफ़ म्यूजियम्स बनाने जा रही है सारे म्यूजियम का जितने हमारे प्रान्त में होंगे, उनका संचालन करने के लिये उनकी नियुक्ति हो रही है। मेरी राय इस हुकूमत से यह है कि ऐसी बड़ी जगह के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवरटाइजमेंट

होना चाहिये ताकि और भी विद्वान इस जगह के लिये अपनी दरख्वास्त दे सकें। इनकी ही तनख्वाह बढ़ाकर इनका ही अप्वाइंटमेंट लखनऊ में कर देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा और सरकार इस पर विचार करे और लोगों से एप्लीकेशन्स इनवाइट करे। चाहे इसकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन से न हो और गवर्नमेंट ही कर ले लेकिन लोगों को एप्लीकेशन्स जरूर इनवाइट की जाय ताकि और लोगों को भी मौक़ा मिल सके।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हमारे श्री सीताराम शुक्ल हैं उनका कुछ ख्याल किया जाय क्योंकि ख़तरा ऐसे ही लोगों से होता है जो डैसपरेट हो जाते हैं। इस गवर्नमेंट की तारीफ़ करते करते उनकी जबान घिस गयी है इसलिये अब सरकार उनका कुछ ख्याल अवश्य करे और उनको पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या डिप्टी मिनिस्टर वग़ैरा कुछ कर दिया जाय।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

खैर जो सलाह उन्होंने दी है वह ठीक है। मैं हुकूमत से फिर कहूंगा कि उनका जरूर ख्याल करे। इस संचालक की जगह के लिये एडवरटाइजमेंट किया जाय और पब्लिक सर्विस कमीशन से इस जगह का चुनाव हो।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में जो बातें कही गयीं वह थोड़ी सी ऐसी थीं जिनका कोई संबंध प्रस्तुत अनुदान से नहीं था। इसको मैं उचित नहीं समझता कि इस भवन में किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ़ या उसके पक्ष में विशेषतया जब कि वह सरकारी कर्मचारी हो, कुछ कहा जाय क्योंकि उसको यह अवसर नहीं होता है कि वह अपने पक्ष में कुछ कह सके।

जहां तक म्युजियम का संबंध है, एक रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी थी और उसने इस बात की सिफारिश की चूंकि इस प्रान्त में सरकारी म्युजियम के अतिरिक्त और भी बहुत से म्युजियम हैं और जिनको सरकार अनुदान देती है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रान्त में कोई एक संचालक म्यूजियम्स का बनाया जाय जो उनकी देखरेख कर सके। इसके अतिरिक्त और बहुत सी जगह खुदाई हमारे यहां हो रही है जिनमें बहुत सी चीजें निकल रही हैं, उनके महत्व को देख कर किस म्युजियम में कौन सी चीज रखी जाय और उनका कहां रखना ज्यादा शिक्षाप्रद होगा यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करने के लिये यह आवश्यक था कि कोई एक उच्च पद का अधिकारी हो तो इसी सिफारिश के अनुकूल कुछ दिन पहले सरकार ने यह निश्चय किया कि लखनऊ म्युजियम का जो क्यूरेटर हो वह डाइरेक्टर बनाया जाय। उसमें जो इस समय यहां के क्यूरेटर हैं उनका कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि आज वह हैं और कल न जाने क्या हो। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उनके खिलाफ़ एक इंक्वायरी बैठी हुई थी। यदि उस इंक्वायरी में यह साबित होता है कि वह दोषी हैं तो यहां के क्यूरेटर न रहते और उस सूरत में जो भी क्यूरेटर होता उसी को यह पद प्राप्त होता। तो यह कहना कि इस अनुदान का संबंध एक व्यक्ति विशेष की पदोन्नति के लिये है मैं समझता हूं कि यह सत्य से बहुत परे है। आज इसमें देख सकते हैं कि अभी उनका वेतनक्रम २५० से ८५० तक का है और इस समय वह ४८५ रुपये पाते हैं। ५०० से १,२०० तक का वेतन क्रम उनको अगर दिया जाता है तो इस समय १५ रुपये की ही उनके वेतन में वृद्धि होती है तो इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से हो यह कहना मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के लिये असंगत है। अब रही यह बात कि पब्लिक सर्विस कमीशन से एक दूसरा व्यक्ति रखा जाय तो अधिक धन लगेगा। दूसरे सरकार ने यह भी अवश्य सोचा होगा कि यदि इस कार्य के लिये दूसरा व्यक्ति रखा जाय और ५०० से १,२०० के ग्रेड में रखा जाय तो उसके लिये पर्याप्त कार्य न होगा। लखनऊ म्युजियम के क्युरेटर के साथ साथ वह यह काम भी कर सकता है और उसके लिये १५ रुपये की वृद्धि होना मैं समझता हूं कोई अनुचित बात नहीं की गई। आर्थिक दृष्टि से भी कम ही खर्च होगा और जो कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक़ काम होगा। लिहाजा इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। लखनऊ क्यूरेटर के खिलाफ़ जो शिकायतें थीं उनकी जांच सरकार ने न की होती तब तो ऐसा कहा जाना ठीक था। मदन मोहन

[श्री हरगोविन्द सिंह]

जी ने जिस शो केस का जिक्र किया मैं स्वयं वहां गया और जा कर के जो उससे ऊंचे दर्जे के शो केसेज थे जो पहले बन चुके थे उनको देखा तो उनके मुक़ाबले में मैंने उस शो केस को अच्छा पाया जिसके लिये कि उन पर सन्देह किया जाता है। मैंने देखा कि ठीक ही किया गया। मथुरा के बढ़ई की बात कही जाती है। जो पहले क्यूरेटर थे वह भी मथुरा से उस बढ़ई को बुला कर शो केसेज बनवाया करते थे। यह भी मालूम हुआ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के म्यूजियम के लिये भी शो केसेज इसी बढ़ई ने बनाये। उसमें एक खास तरह की निपुणता है। इसीलिये किसी व्यक्ति के ईमान पर किसी माननीय सदस्य का आक्षेप कर देना और ऐसी सूरत में करना कि जब वह व्यक्ति यहां अपनी सफ़ाई नहीं दे सकता हो, मैं समझता हूं यह बात आज भी अनुचित थी, आगे भी अनुचित रहेगी। इस बात का खयाल रखना चाहिये कि किसी कर्मचारी के ईमान की निस्बत आक्षेप न करना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अखबार वालों के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जब आप कहते हैं तो वह भी कहेंगे। वह आप से छोटे ही हैं, बड़े तो हैं नहीं।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में जो अनुदान दिया गया है, सच पूछा जाय तो उसमें सरकार को कुछ देना नहीं है। क्योंकि यह तो मोलेसिस के दाम हैं जो कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस की शुगर फैक्टरीज ने दिये हैं। लाख रुपया दिये जा चुके थे लेकिन साढ़े पांच लाख होते थे। जिसमें से १ लाख रुपया यह समझ कर कि शायद इतने दाम बाक़ी रहे होंगे, बजट में उसका इंतजाम कर दिया गया था। अब मालूम हुआ कि १ लाख पचास हजार हैं। इसलिये यह अनुदान रखा गया। जहां तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया यह बात सोचने की है। उसके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है, उसके संबंध में सरकार विचार कर रही है, एक कमेटी भी सरकार ने बिठा दी है जो गोरखपुर गयी है और जिसने बहुत सी रिकमेंडेशन्स की हैं कि उस यूनिवर्सिटी को किस ढांचे में ढाला जाय। सरकार इस पर विचार कर रही है।

एन० सी० सी० के बारे में कहा गया। यूनिवर्सिटीज में एन० सी० सी० काम करती है और हाईस्कूल और इंटर कालेजेज में पी० ई० सी० काम करती है। हमारे प्रदेश में किसी इंस्टीट्यूशन से ऐसी मांग नहीं आई कि वहां इस चीज को शुरू किया जाय। केवल मुजफ्फरनगर से पारसाल ऐसी मांग आयी थी इसका वहां प्रबंध कर दिया जाय। एक दो स्कूल के लिये इंतजाम करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हरएक जिले के स्कूल यह मांग करें तब तो इसका इंतजाम करने पर विचार किया जा सकता है। इसलिये अगर जिले के सब स्कूलों की ओर से ऐसी मांग की जायगी कि उनके यहां मिलिटरी एजूकेशन आरंभ की जाय तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस पर विचार किया जायगा।

श्री गेंदा सिंह जी की बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता इसलिये कि मैं समझता कि वह सदन के स्तर के नीचे की बात है। एक आदमी जो यहां नहीं है, शिक्षा विभाग के संचालक हालांकि वे निकट भविष्य में नहीं रहेंगे, फिर भी जो कुछ इस सदन में कहा गया, उसके बारे में उनको यहां जवाब देने का अवसर न मिलेगा। अतः मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहता।

श्री गंगाधर मेठाणी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनाथ काटजू ने जो सजेशन दिया है, मैं आशा करता हूं सरकार उसको मान लेगी। जहां तक जिस जिले में मैं रहता हूं उसके लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पहाड़ी इलाक़ों में इसका बहुत स्कोप है अगर वहां एन० सी० सी० पढ़ाई जाय तो बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा के संबंध में कटौती का प्रस्ताव लाना यद्यपि हमें उपयुक्त नहीं मालूम होता क्योंकि हम समझते हैं कि शिक्षा जितनी बढ़ाई जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन यहां पर एक

सैद्धान्तिक बात आती है और वह सैद्धान्तिक बात यह आ जाती है कि कोई भी बड़ी पोस्ट हो और वह परमानेंट हो तो उसका सिद्धांत यह माना गया है और कांस्टीट्यूशन में भी इसका सिद्धांत यह माना गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उसको नियुक्ति होनी चाहिये। आशा है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय उस पर ध्यान देंगे। कटौती का प्रस्ताव उसी उद्देश्य से रखा गया था क्योंकि न तो इस उद्देश्य की पूर्ति की गयी कि मास एजूकेशन हो और न इस उद्देश्य की पूर्ति की गई कि बेसिक स्कूल कायम हो। बेसिक शिक्षा के लिये जिस उत्साह से कार्य किया गया था उसमें असफलता हुई। उसी प्रकार से जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था, मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं किया। मैंने यह कहा कि हमारे यू० पी० के अन्दर जितने विश्वविद्यालय हैं, प्रत्येक विश्वविद्यालय की इस्पेशलिस्टी हो। सर राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यदि उसे ग्रामीण विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सबसे उपयुक्त होगा और हमारे उत्तर प्रदेश की बड़ी भारी कमी पूरी होगी।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री गंगाधर मेठाणी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष —माननीय शिक्षा मंत्री क्या आपको इस पर कुछ कहना है?

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त) —माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ५,०४,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यदि आप की आज्ञा हो तो एक दूसरा अनुदान जो मेरे ही विभाग से सम्बन्ध रखता है और जब सदन में यह अनुदान उपस्थित होता है तो उसके साथ ही वह अनुदान भी उपस्थित होता है यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे भी उपस्थित कर दूं।

श्री अध्यक्ष—उस पर कम से कम विरोधी पक्ष तो नहीं बोलना चाहता। तो यह तो अभी खत्म हुआ जाता है। इसके बाद आप दूसरा पेश कीजियेगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक इस अनुदान का संबंध है, जो विवरण है और जो इस अनुदान से संबंध रखता है उसका लेखा तो उस ब्योरे में उस स्मृतिपत्र में दिया गया है जो आप लोगों को बांटा गया है। इसलिये मैं उस संबंध में ब्योरे में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आशा रखता हूं कि सदस्यगण इस अनुदान को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के इस अनुदान में चिकित्सा के अन्तर्गत मुझे कटौती का प्रस्ताव पेश करने की

[श्री रामसुन्दर पान्डेय]

इसलिये जरूरत पड़ी कि मैं कुछ सुझाव उनको दे सकूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मृतिपत्र को पढ़ने से यह प्रतीत हुआ कि इस प्रदेश में आंख के अस्पताल बहुत से हैं और उनमें से कई का इस बजट में जिक्र तक नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद माननीय स्वास्थ्य मंत्री को यह पता हो कि आजमगढ़ जिले में भी एक आंख का अस्पताल है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था। लेकिन इस बजट में आजमगढ़ अस्पताल के लिये कोई अनुदान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि शहरी और देहाती क्षेत्रों में जो अस्पताल फैले हुये हैं, उनमें अधिकतर अनुदान देहाती अस्पतालों के मुक़ाबले शहरी अस्पतालों को अधिक दिया जाता है। और खास कर जब मैं देखता हूं और बजट से यह पता चलता है कि कर्मचारियों के वेतन पर अधिक पैसा खर्च होता है। जिस देश में रोग रोगियों की संख्या अधिक हो और शहरों के मुकाबिले में देहातों में रोगी अधिक हों और देहातों में दवाई भी कठिनता से मिलती हो तो और भी कठिन स्थिति हो जाती है। देहात के लोग गरीब भी होते हैं शहरों के मुकाबिले में लेकिन शहरों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है और देहात पर कम खर्च किया जाता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि शहरों पर कम खर्च किया जाय लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं कि देहातों में जो पैसा खर्च किया जाता है वह कम किया जाता है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में सरकार की ओर से करीब ९ अस्पताल हैं और आयुर्वेदिक और यूनानी १३ अस्तपताल हैं। जिला बोर्ड की ओर से ४ अस्पताल हैं। सब अस्पतालों को लेकर सरकार की ओर से और बोर्ड की ओर से जो कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है वह करीब १ लाख १४ हजार रुपया है और दवाई के लिये २८,२८० रुपया दिया जाता है। जब मैं हिसाब लगाता हूं कि आजमगढ़ में प्रत्येक व्यक्ति पर कितना पैसा पड़ता है तो वह एक पैसे से भी कम पड़ता है। एक तरफ तो एक लाख १४ हजार रुपया वेतन पर खर्च होता है और दूसरी तरफ दवाइयों के लिये २८ हजार कुछ रुपया दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो शहरों के अस्पताल हैं उनमें दवाइयों पर ज्यादा खर्च होता है और देहात के जो अस्पताल हैं उनमें केवल ५००,४०० रुपये की सहायता दी जाती है। देहात के जो औषधालय होते हैं उनमें मेडिसिन भी नहीं होती है। अगर कोई आदमी वहां पर अचानक बीमार पड़ जाता है और वह डाक्टर के पास जाता है तो दवाई भी वहां पर नहीं मिलती है और विशेष खर्च करने पर भी उसको देहात में दवाई नहीं मिलती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह बिना दवाई के मर जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि शहरों के मुकाबिले में देहात के औषधालय और आयुर्वेदिक अस्पतालों के लिये भी उतना ही दिया जाय जिससे वहां पर दवा का इन्तजाम हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देहाती अस्पतालों की बहुत कमी है और आजमगढ़ में विशेष कमी है। देवा गांव तहसील में जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है और बहुत गरीब लोग हैं वहां पर केवल एक अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है जिसको ५०० रुपया साल सहायता बोर्ड देता है और सरकार की ओर से जिला बोर्ड के चार अस्पतालों को केवल ११०४ रुपया सालाना सहायता मिलती है जो बहुत अपर्याप्त है। देवागांव तहसील की आबादी करीब ३ लाख के है। वहां के क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये वहां पर अस्पताल अवश्य खुलना चाहिये। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से दूसरा निवेदन करूंगा कि जनवरी में उन्होंने बचन दिया था कि मधुबन जिला आजमगढ़ में अवश्य अस्पताल खोला जायगा क्योंकि इस क्षेत्र की आबादी १।। लाख से ऊपर की है तथा इसी क्षेत्र के निवासी सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य भी हैं। और यहीं के प्रसिद्ध सेनानी स्वर्गीय ब्रिगेडियर उस्मान भी हैं। ऐसी दशा में मधुबन में अस्पताल का होना अत्यन्त आवश्यक है। मेरे इन दोनों सुझावों पर विचार करने की कृपा करें, एक तो यह कि देहात में भी शहरों के मुकाबिले में दवाई का इन्तजाम किया जाय और आजमगढ़ में अस्पतालों की कमी है उसका भी अभाव पूर्ण होना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अनुपूरक बजट का संबंध है मैं समझता हूं कि मेरे मित्र पांडे जी ने इस पर कोई विशेष बात नहीं कही। बात तो उन्होंने ऐसी कही जो सम्भवतः जब पूरा बजट आता उस समय वह कहते तो ज्यादा अच्छा होता । किन्तु उन्होंने जो प्रश्न उठाया है इसलिये उसका एक शब्द में जवाब देना लाजिमी है और वह यह है कि इस सरकार की यह नीति है और जहां तक मुझे मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर ५ मील पर किसी न किसी प्रकार का औषधालय होना चाहिये चाहे वह यूनानी हो, एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, कोई न कोई अवश्य खोला जाय। अब रही यह बात कि आजमगढ़ की वह ऊबड़ खाबड़ तहसील किसी ५ मील के दायरे में न आये यह दूसरी बात है परन्तु किसी न किसी तरह का प्रबंध वहां भी अवश्य होगा। मुझे एक और बात इस कटौती के संबंध में कहना आवश्यक मालूम होती है कि इस मांग में जो रकम रखी गई है वह इतने आवश्यक कामों के लिये रखी गई है कि अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इधर ध्यान न देते तो बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का होता। सीतापुर के नेत्र चिकित्सालय में बराबर रोगियों की संख्या बढ़ती जाती है और जहां धनाभाव के कारण बहुत कठिनाई थी वहां के लिये जो रुपया रखा गया है वह बहुत ही आवश्यक था इसकी तरफ भी पांडे जी महाराज ध्यान से देखें कि यह भी ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ही से संबंधित है। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि धारूपुर जिला प्रतापगढ़ में एक औषधालय है जिसका प्रबंध एक ट्रस्ट द्वारा कालाकांकर राज की ओर से होता था जमींदारी टूटने के बाद यह संभव नहीं हो सकता था कि कोई ताल्लुकेदार अब उस औषधालय का संचालन कर सके। अब उस औषधालय को प्रतापगढ़ के जिला बोर्ड ने ले लिया है और यह बात भी हममें से किसी से छिपी नहीं है कि इस अस्पताल की यह दशा थी कि अस्पताल तो था और डाक्टर भी थे लेकिन वहां दवादारू का कोई प्रबंध न था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस अस्पताल के लिये थोड़ा सा धन दे कर जो ग्रामीण जनता की सेवा की है वह प्रतापगढ़ की जनता भूल नहीं सकती। मैं इन शब्दों के साथ पांडे जी की कटौती का विरोध और इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त— अध्यक्ष महोदय, पांडे जी ने जो बातें स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहीं हैं उन पर इस समय मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि जो बातें उन्होंने अभी आलोचना करते हुये कही हैं वह ऐसी थीं जिनका जिक्र मुझे विश्वास है कि उस समय अवश्य होगा जब कि मैं अपने विभाग का अगले वर्ष का बजट इस सदन की स्वीकृति के लिये उपस्थित करूंगा और उस समय वही बातें जनरल बजट में आ सकेंगी और उन पर बहस हो सकेगी । इस समय जो मांग मैंने अनुदान के द्वारा उपस्थित की थी उसका सम्बन्ध जिन चीजों से था वह चीजें ऐसी हैं जिनका देहाती जीवन से सम्बन्ध है। अभी श्री शुक्ल जी ने बतला दिया कि एक अस्पताल जिसकी मांग की गई है वह देहात ही में स्थित है और अधिकतर जिन बातों के लिये अनुदान में मांग की गई है वह ऐसी चीजें हैं जो देहात में ही स्थित हैं। जौनसार बावर के लिये जहां जनरल डिजीजेज के लिये एक मोबाइल अस्पताल के चलाने की बात कही गयी है वह तो इलाक़ा हमारे प्रदेश का है जो कि देहात में स्थित है और जो बहुत पिछड़ा हुआ है। इसी तरह से जो खेतान फीमेल हास्पिटल पडरौना में है वह भी अस्पताल ऐसा है जो हमारे देहात के रहने वालों की सेवा करता है। गेंठिया में जो टी० बी० का सेनेटोरियम नया बनाया जा रहा है वह भी एक ऐसा स्थान है जो कि देहाती क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। इसी तरह से गोरखपुर में जो कुष्ठ सेवाश्रम बना है और जिसके बनाने में बाबा राघवदास जी का बहुत बड़ा हाथ है वह सेवाश्रम भी हमारे देहात के रहने वालों की ही सेवा कर रहा है। उनका यह कथन कि इतने वर्षों में देहाती क्षेत्रों के लिये अस्पतालों का बहुत कम निर्माण हुआ है जरा सत्यता से परे है। चार, पांच वर्षों में इस सरकार के अन्तर्गत देहाती क्षेत्रों में जितने अस्पतालों का निर्माण हुआ है इससे पूर्व तो कभी इतने अस्पतालों

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

का निर्माण नहीं हुआ था। जब इस सरकार ने १९४६ में इस प्रदेश की बागडोर को संभाला था उस समय विदेशी सरकार की ओर से करीब ४० या ४५ अस्पताल चलाये जा रहे थे और उसके बाद १८७ या १८८ एलोपैथिक अस्पतालों का निर्माण हो चुका है और आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल भी करीब २४० या २५० से ज्यादा बनाये जा चुके हैं या चलाये जा रहे हैं। यह सत्य है कि हमारे प्रदेश की जितनी जन-संख्या है उसके अनुपात में या उसकी जरूरतों के अनुपात में हम अभी अस्पतालों का निर्माण नहीं कर पाये हैं और न उनका निर्माण होना आज कल सम्भव ही है और उसका कारण है। हमारे प्रदेश की आमदनी कम है और धन का अभाव हमेशा हमें घेरे रहता है और इसी कारण से हर चीज में हम दूसरे प्रदेशों से या दूसरे देशों से पिछड़े हुए हैं। हमें इस कारण से निर्णय करना पड़ता है कि किस चीज में हमें प्राथमिकता देना है, किस चीज में हमें पहले खर्च करना है और किस चीज को हमें पहले बनाना है। इसी कारण हम उस संख्या में अभी अस्पतालों का निर्माण नहीं कर पाये हैं जितनी संख्या में हमारे प्रदेश में उनकी आवश्यकता है। फिर भी हमने प्रति वर्ष नये अस्पताल देहाती क्षेत्रों में बनाये हैं। पिछले वर्ष में भी बनाये, उससे पूर्व वर्ष में भी बनाये और आयन्दा साल का बजट जब हम उपस्थित करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि हम देहाती क्षेत्रों में फिर भी अस्पतालों का निर्माण करेंगे।

उनका यह कथन कि अस्पतालों में कर्मचारियों को वेतन अधिक दिया जाता है और दवाओं के ऊपर अधिक पैसा नहीं खर्च होता है, सत्य है। परन्तु उन्हें यह जानना चाहिये कि आज कल जो इलाज का तरीक़ा है उसके जानने वाले जितने दिनों में शिक्षा प्राप्त करके डाक्टर के रूप में निकलते हैं उन्हें तो आज के समय में अधिक पैसा देने की जरूरत पड़ती ही है और फिर डाक्टर यदि हम उसे अधिक तनख्वाह देते हैं तो वही तो मरीज को सलाह देता है, वही तो मरीज की सेवा करता है और उसी की सलाह से मरीज अच्छा होता है। दवाओं पर उत्तरोत्तर हम अधिक खर्च करते जा रहे हैं और हमारी चेष्टा बराबर यह रहती है कि हम देहात में जो अस्पताल हैं उनके अनुदान में वृद्धि करें, अगले वर्ष में भी हम करेंगे, पिछले वर्ष में भी हमने किया है, प्रति वर्ष इक्वीपमेंट का खर्च बढ़ता जाता है और वह इसीलिये कि जो आधुनिक ढंग की चीजें आज के विज्ञान के अन्तर्गत निकलती जा रही हैं उनका फ़ायदा अधिक से अधिक देहात के रहने वालों को भी मिलता जाय। यही वजह है कि पिछले वर्ष हमने इक्वीपमेंट के लिये जितना रुपया प्रति वर्ष रखते थे उससे पांच लाख रुपया अधिक रखा और आयन्दा के बजट में भी हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि जिससे अधिक से अधिक इक्वीपमेंट देहात के अस्पतालों में भेजा जा सके और अधिक से अधिक दवायें वहां दी जा सकें। बहुत अधिक इस सम्बन्ध में कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक आजमगढ़ जिले का सम्बन्ध है उसकी जो आवश्यकतायें हैं वे भी सरकार की नजरों के सामने हैं। पिछले वर्ष मैंने उन्हें वचन दिया था, कदाचित मैं उस वक्त को पूरा करने की अगले वर्ष चेष्टा करूंगा और वह था एक स्थान पर अस्पताल के बनाने की बाबत। जैसा मैंने कहा कि जब बजट हमारे सामने उपस्थित होगा और उस समय वे अपनी मांग यदि उपस्थित करेंगे तो उस मांग पर सरकार अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं सदन से यही बात कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे स्वास्थ्य विभाग के अनुदान का सम्बन्ध है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी जरूरतों को देखते हुये वह अनुदान बहुत कम रुपयों का है, परन्तु कुछ दिक्कतें हमारे सामने हैं, रुपयों की कमी है, फिर भी जितना रुपया स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिये सरकार निकाल सकती है, वह उतना निकालती है और प्रत्येक वर्ष वह इसका प्रयत्न करती है कि उसमें अधिक

से अधिक अनुदान दी जा सके। मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान को इस सदन की स्वीकृति के लिये उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम १५३ के अनुसार इसकी बहस साढ़े चार बजे खत्म हो जानी चाहिये लेकिन पूरक अनुदानों के सम्बन्ध में मुझे अधिकार है कि मैं थोड़ा बहुत फर्क कर सकता हूं। चूंकि बहुत से अनुदान मंजूर हो चुके हैं, इसलिये चार बज कर ४० मिनट पर यह बहस समाप्त हो जायगी और उसके बाद जितने अनुदान रह जायेंगे, उनके ऊपर मैं सदन की राय ले लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की कमी को वजह से मुझे और कोई बात नहीं कहनी है और मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ५,०४,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य

अल्प मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास और खोज

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

कृषि उप-मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन—लेखा शीर्षक : ४०—कृषि के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा

कृषि उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद रावत)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक : ४१—पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत् योजनाओं पर व्यय

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत् योजनाओं पर व्यय के अन्तर्गत ३,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत् योजनाओं पर व्यय के अन्तर्गत ३,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४१ और ८१—क—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४१ और ८१ क—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४१ और ८१–क—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग

उद्योग मन्त्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २८ में जो मांग की गई है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मुझे कुछ अर्ज करना है। इसकी बाबत एक आब्जेक्शन है।

श्री अध्यक्ष—कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी, यह जो कटमोशन हुआ है इसके मुताल्लिक है कि यह नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—यानी यह कटमोशन पेश ही नहीं हो सकता?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कहा है कि एक रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में आक्षेप क्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—खैर, कहने दीजिये।

श्री रामनायण त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर वक्त कम करना चाहते थे। और कोई बात तो हो नहीं सकती थी। अध्यक्ष महोदय, जिस विषय का संबंध करघा उद्योग से हो उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव मुनासिब नहीं मालूम होता। लेकिन इस मौके से फायदा उठा कर सरकार की करघा सम्बन्धी नीति पर आलोचना करना मैं मुनासिब समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—सिर्फ एक मिनट बाकी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इसमें ५५ हजार रुपये जो मांगे गये हैं वह भी बहुत देर से मांगे गये हैं। यह काम काफी पहले हो जाना चाहिये था। इस समय आज कल हमारे प्रदेश में जो करघे के बुनकरों की दुर्दशा है वह बहुत दयनीय है। सूत के कपड़े की मंदी की वजह से बुनकर अपनी बीवियों के जेवर बेच कर और ऊंचे ब्याज पर कर्जे लेकर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। इसलिये हमारी सरकार के लिये आवश्यक है कि जैसे मदरास सरकार कर रही है करघा उद्योग को पनपने का मौका दे जिससे वह अपना जीवनयापन कर सकें।

हमारे प्रदेश में तीन टेकनिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एक लखनऊ में, दूसरा गोरखपुर में और तीसरा झांसी में। इन तीनों में इतना मतभेद रखा गया है कि आप को सुन कर ताज्जुब होगा। अगर वहां के विद्यार्थी किसी मिनिस्टर को निमंत्रित करना चाहते हैं तो कहते हैं कि तुम मिनिस्टर्स को निमंत्रित नहीं कर सकते। इसका परिणाम यह है....

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हो गया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आप की आज्ञा से एक बात और पढ़ना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—अब तो हो गया समय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—एक इत्तला जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में नियम यह है कि कोई प्रश्न अब नहीं किया जा सकता। आप अगर थोड़ा और समय चाहते थे तो समय नियत करते समय कहते लेकिन उस वक्त आपने कोई आपत्ति नहीं की। अब समय खत्म हो गया। अब मैं इस मांग को वैसी की वैसी पेश करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक: ४३—उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—श्रम और संख्या

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—श्रम और संख्या (लेखा-शीर्षक: ४७—विविध विभाग) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—वाहन विभाग

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—वाहन विभाग—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य–निर्माण कार्यों पर लागत, के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्य—स्थापना पर व्यय और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य—स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५४-क—प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें तथा ५४—ख—भारतीय राजाओं के निजी खर्चे तथा भत्ते

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें—लेखा शीर्षक ५४-क—प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें तथा ५४-ख—भारतीय राजाओं के निजी खर्चे तथा भत्ते के अन्तर्गत १,०४,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५६—लेखन-सामग्री और छपाई

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—लेखन सामग्री (Stationery) और छपाई (Printing)—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यांकनपूर्वक सुरक्षित निधि सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत १३,२६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय के अन्तर्गत ७,७२,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२—जलेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजनाओं तथा विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामूहिक योजनायें

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—योजना और एकीकरण, लेखा-शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर तथा विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामूहिक योजनाओं के अन्तर्गत ३४,३३,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का सम्पादन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत् निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ६३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ७१—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत—लेखा शीर्षक: ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ३५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२ ५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक-निर्माण कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर अन्य राजकीय निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विस, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर अन्य राजकीय निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण लेखा शीर्षक द—सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

१९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का द्वितीय पूरक) विधेयक

श्री अध्यक्ष——अब विधेयक बटवा दिया जायगा और इसके बाद उसके ऊपर राय ली जायगी।

मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं है कि यह ५ बजे के पहले ही लिया जा रहा है।

(किसी ने कोई आपत्ति नहीं की।)

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग १९५२-५३ का द्वितीय पूरक विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-१९५३ के द्वितीय पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस पर कुछ बोलूं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। वह यह है कि आज सदन में जब गेंदा सिंह जी भाषण दे रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी ऐसे आदमी के बारे में इस सदन में बातें नहीं कही जा सकती हैं जो यहां पर उपस्थित नहीं है। बजट आगे आ रहा है और यह हो सकता है कि हमको अपने जिले के अफसरों के बारे में कुछ कहना पड़े। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार सरकार से कहें कि फलां अफ़सर ने यह ज्यादती की। क्या हम पद का नाम लेकर भी चर्चा नहीं कर सकते या यही कहें कि मंत्री जी ने ही सब कुछ बुराई की है?

श्री अध्यक्ष——इसे आप मेरे दफ्तर में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। इस समय यह विधेयक पेश है। मैं आपको वहां बता दूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर इस समय कुछ ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन हमसे टोटल रकम २,२३,२४,१०० रुपये की मंजूर कराई गई है। समय को बचाने के लिये हमारी ओर से यह प्रयत्न किया गया कि केवल १५ ग्रांटों पर ही बहस हो जाय मगर वह भी ९ ग्रांटों पर हो सकी। जहां ३५ अनुदान हैं और इतनी बड़ी रकम उसके लिये हो १ दिन का समय काफी नहीं है जिसमें करोड़ों पर विचार किया जा सके। हमने इसीलिये पिछले मौके पर जब सप्लीमेंट्री बजट आया था उस समय हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह बतलाया था कि नियम १५३ जो पूरे बजट के लिये है इसमें भी लागू किया जा सकता है और २० दिन तक दिये जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि कुछ लाख ही पर हम विवाद कर सके हैं और बिना विवाद हुए ही करोड़ों रुपये की रकम हमसे स्वीकृत कराई गई, इस संबंध में हम आपत्ति प्रकट करते हैं। आज वाक आउट आदि करने की बात नहीं थी क्योंकि आज हम लोगों ने स्वयं ही ऐकामोडेट करने को चाहा कि जल्दी ही सारा काम हो जाय। लेकिन मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इतनी जल्दी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी रकमें मंजूर करा लेना न्यायोचित नहीं है और अध्यक्ष महोदय, आप से भी अनुरोध करूंगा कि वे कृपा करके सरकार को सलाह दें आइन्दा से सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के लिये तीन चार दिन का मौका दिया करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति न हो तो इसको दूसरे दिन के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसे ही फरमा दिया है। शायद वे सीरियस भी नहीं हैं क्योंकि इसके पोस्टपोनमेंट का सवाल नहीं उठता। इसमें कोई ऐसी बात बाकी नहीं है जिसके मुताल्लिक कहने की आवश्यकता हो। इसलिये इसके पोस्टपोन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२–५३ का द्वितीय पूरक) विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १–३ तथा अनुसूची

१९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)

३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिय जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१—यह अधिनियम १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२–५३ का द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५२–५३ के लिए २,३०,२४,१००रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल जोड़ २,३०,२४,१०० रु० (दो करोड़, तीस लाख, चौबीस हजार, एक सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउण्ट)—			
२	मालगुजारी	२१,२८,०००		२१,२८,०००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	१८,०००	...	१८,०००
५	वन (फ़ारेस्ट)	४,१५,०००	...	४,१५,०००
७	मोटरगाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	५,१४,३००	...	५,१४,३००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	१००	...	१००
१०	सिंचाई (इरिगेशन) और जल-विद्युत स्थापना (हाइड्रो-एलेक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय	३,७०,१००	...	३,७०,१००
११	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,३६,०००	१०,०००	३,४६,०००
१२	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	३,८८,०००	...	३,८८,०००
१५	जेल	१२,५९,९००	...	१२,५९,९००
१८	शिक्षा	४००	...	४००
१९	चिकित्सा (मेडिकल)	५,०४,८००	...	५,०४,८००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	४००	...	४००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रिकल्चरल डेवेलप्मेंट ऐंड रिसर्च)	२००	...	२००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइज़ेशन)	३००	...	३००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२४	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी)	५००	...	५००
२५	विद्युत योजनाओं पर व्यय	३,७४,०००	...	३,७४,०००
२६	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	१००	...	१००
२८	उद्योग	५००	...	५००
२९	श्रम (लेबर) और संख्या	१००	...	१००
३०	वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	२००	...	२००
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	८००	...	८००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	१००	...	१००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (ग्रांण्ट्स-इन एड आफ़ सिविल वर्क्स)	३५,१००	...	३५,१००
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमिन रिलीफ़)	११,७५,०००		११,७५,०००
३६	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	१,०४,९००		१,०४,९००
३८	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई (प्रिंटिंग)	१३,२६,४००	...	१३,२६,४००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज़)	४००	...	४००
४०	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	७,७३,५००	...	७,७३,५००
४२	योजना और एकीकरण	३४,३३,९००	...	३४,३३,९००
	ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	...	१००	१००
	ऋण को कम करना या उससे बचना	...	१००	१००
	योग 'क'	१,१९,८६,०००	११,८५,२००	१,३१,७१,२००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	ख—राजस्व लेखों के बाहर पूंजी व्यय—			
४३	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत निर्माण कार्यों का सम्पादन	६३,००,०००	..	६३,००,०००
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत	३५,००,०००	..	३५,००,०००
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	१००	..	१००
४८	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों सहायता और पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	१००	..	१००
४९	पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ़ पेन्शन)	..	५१,३००	५१,३००
	योग 'ख'	९८,०१,०००	५१,३००	९८,५२,३००
	ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स ऐड एडवांसेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)—			
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज)	६००	..	६००
	योग 'ग'	६००	..	६००
	बड़ा योग	२,१७,८७,६००	१२,३६,५००	२,३०,२४,१००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२–५३ का द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२–५३ का द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश हज समिति के लिये एक प्रतिनिधि के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—हज समिति के एक मुसलिम सदस्य के निर्वाचन के लिये यह कार्यक्रम रखा गया है—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय	२४ फरवरी, १९५३ व दिन के १ बजे तक।
नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	२४ फरवरी, १९५३ के डेढ़ बजे दिन तक।
नामों की वापसी की अंतिम तिथि ..	२६ फरवरी, १९५३ के १ बजे दिन तक।
निर्वाचन की तिथि, समय तथा स्थान यदि आवश्यक हो	२७ फरवरी, १९५३ को २ से ४ बजे तक वाचनालय में होगा।

नाम निर्देशन-पत्र सूचना कार्यालय (नोटिस आफिस) में प्राप्त हो सकता है।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ,
२० फ़रवरी, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ट २३५ पर)

Notice under section 7 of the Preventive Detention Act, 1950, (*Act No. IV of* 1950) *as amended from time to time*

WHEREAS, by virtue of my order dated the 5th January, 1953, already served on you, you Sri Shibban Lal Saksena, resident of Gorakhpur, have been detained under sub-clauses (ii) and (iii) of sub-section (1) of section 3 of the Preventive Detention Act, 1950 (Act No. iv of 1950), as amended from time to time.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the said Act you are hereby informed that the grounds of your detention are as follows:

1. That in the course of speeches delivered by you at; Ghughli near the Punjab Sugar Mills, Ghughli, on 19th December, 1952, 25th, December, 1952, 26th, December, 1952; 28th December, 1952 and on 31st December, 1952; you repeatedly exhorted and enjoined upon the cane-growers of that area not to supply sugarcane to the Sugar Mill or even to withhold the supply which some of them had already brought to the Mill, thus interfering with the maintenance of the supplies of sugar essential to the community, and

2. That by using expressions some of which are quoted below you incited the cane-growers and the public to violence against established authority of the Government and to defiance of lawful orders and directions issued by Government officers, thus seriously prejudicing the maintenance of the public order :

"Main chetawani deta hun ki agar Zila Collector aur Superintendent ko khun ki holi khelna hai to ham ko bata den. Yeh Ghughli hai, yahan ke kisan, Mazdur goli ka samna karke apni mang puri karenge. Jis din aisa hogaya to yeh mill yahan nahin rah sakegi. Adhikariyon ko yahan se bhagne ka rasta nahin milega. Yeh log hamse mazak mat karen iska natija bahut bura hoga; jaisa ham chahenge waise apna haq lekar rahenge...." on 19th. December, 1952

" Dubeji jate waqt bhi Ghughli ke Kashtkaron se khun ki holi khelna chahte hain mujhe bata den. Iske liye main taiyar hun. Main goli ya top gun se darne wala nahin hun. Aur SDM Budha Ram yahan aye hue hain unhonne akal ke samai bhukhmari men kahe the ki bukhar se admi mar rahe hain. Aise papi admi ke ane ki kya zarurat hai jo janta ko dhokha deta hai. Yahan se chale nahin jayange to unke liye khariat nahin hai. Police aur Fauj janta ko dhokha dene ko aiee hai." on 25th December, 1952.

"Yeh mill Police aur Fauj ke bharose nahin chalegi. Yah Police wallah kewal Police ka kapra pahne hain, inko nanga kiya jai to woh bhi tumhare tarah bhukhe hain. Inka kuchh dosh nahin hai, dosh to us darogha ka hai, iski to Bansgaon men adat par gai hai. Maine suna hai ke usne gaon men jakar mere sathi Sudama ko pakra hai. Yeh darogha aur deputy hamare bharose par hain aur ham logon ke banaye hue hain. Mainne swaraj liya hai tab sipahi se darogha, darogha se dipti aur kanungo se dipti bane hain, aur sab hamin se larte hain. Main in logon ko jahannum men bhej dunga." on 26th December, 1952.

" Main us darogha se puchhna chahta hun ki woh kyon yahan nahin ata. Hamari nokri karo aur ham usko tankhah den aur hamare sath namak-harami kare. Main ne sab adhikariyon ko chetawani dediya hai aur

ayinda ke liye bhi dedeta hun ki woh log samajh jaen, yahan unki dal nahin galegi, nahin to yahan khun ki nadiyan bahengi. Ham apni jan hatheli par lekar tayyar hain. Iska jawab Pant se lunga woh bhi apna munh chhipa rahe hain. Unke munh men kalikh laga kar chhorenge, aur khushki kayam kar ke chhorenge. Society ko khod kar phikwa denge. Ap ghabraon nahin, hamare volunteer sarak par sojayenge. Gari nahi ja sakti, mill nahin chal sakti.." On 28th December,1952.

" Ap log Collector Saheb se kahan ki ham log Society nahin chahte. Vijai ap ki hokar rahegi iske liya police ya fauj ya sarkar ki taqat nahin hai ki roke. Jab Khushki hogi to nikale gaye mazdooron ko phir rakhna hoga, jab tak aisa nahin hoga tab tak mill ko nahin chalne denge. Ham kante par soyenge, goli khayenge, jail jayenge, khoon bahayenge. Iske liye ham taiyar hain aur isliye taiyar hain ki ap log hamare sath hain. Yah hartal jab tak jari rahegi jab tak hamari mange puri na hon. Chahe jitne din lagen. Main Dilli, Lucknow ya Gorakhpur kahin rahun ap log manenge nahin, agar koi koshish kare to pahiye ke neeche so jana. Ap par goli chale ya ap jail bheje jaen, parwah na kijiyega, Jab tak main ap ke samne akar na kahun ki mill chalaiye kyunki ap logon ne yeh kam mujhe saunpa hai." On 31st December, 1952.

These activities on your part are prejudicial to the maintenance of public order and the maintenance of supplies essential to the community and I am satisfied that there is reasonable apprehension of a recurrence of these activities on your part. With a view therefore to prevent you from continuing this course of action it has been considered necessary to detain you.

Also, in pursuance of the provisions of the said section of the said Act, you are further informed that you have a right to make a representation against the order under which you are detained. If you wish to make such a representation, you should address it to the Home Secretary to the State Government through the undersigned.

Given under my hand and seal of the Court this the Fifth day of January, 1953.

Sd. R. N. SINGH, I. A. S.,
District Magistrate,
Gorakhpur.

Notice (Supplementary) under section 7 of the Preventive Detention Act, 1950 (Act No. IV of 1950), as amended from time to time.

To

Sri Shibban Lal Saksena, detained in the District Jail,
Gorakhpur.

In continuation of the Notice under section 7 of the Preventive Detention Act, 1950, dated January 5, 1953, served on you on January 7, 1953, please note that in pursuance of section 9 of the Preventive Detention (Second Amendment) Act (Act No. LXI) of 1952, you are further informed that you have a right of personal hearing before the Advisory Board constituted under the Act. If you desire to be heard in person by the Board, you should specifically say so in your representation.

Given under my hand and seal of the Court, this 9th day of January, 1953.

Sd. R. N. SINGH, I. A. S.,
District Magistrate,
Gorakhpur.